खण्ड-223, अंक-4
मंगलवार, 5 वैशाख, शक संवत् 1883
(25 अप्रैल, 1961 ई0)

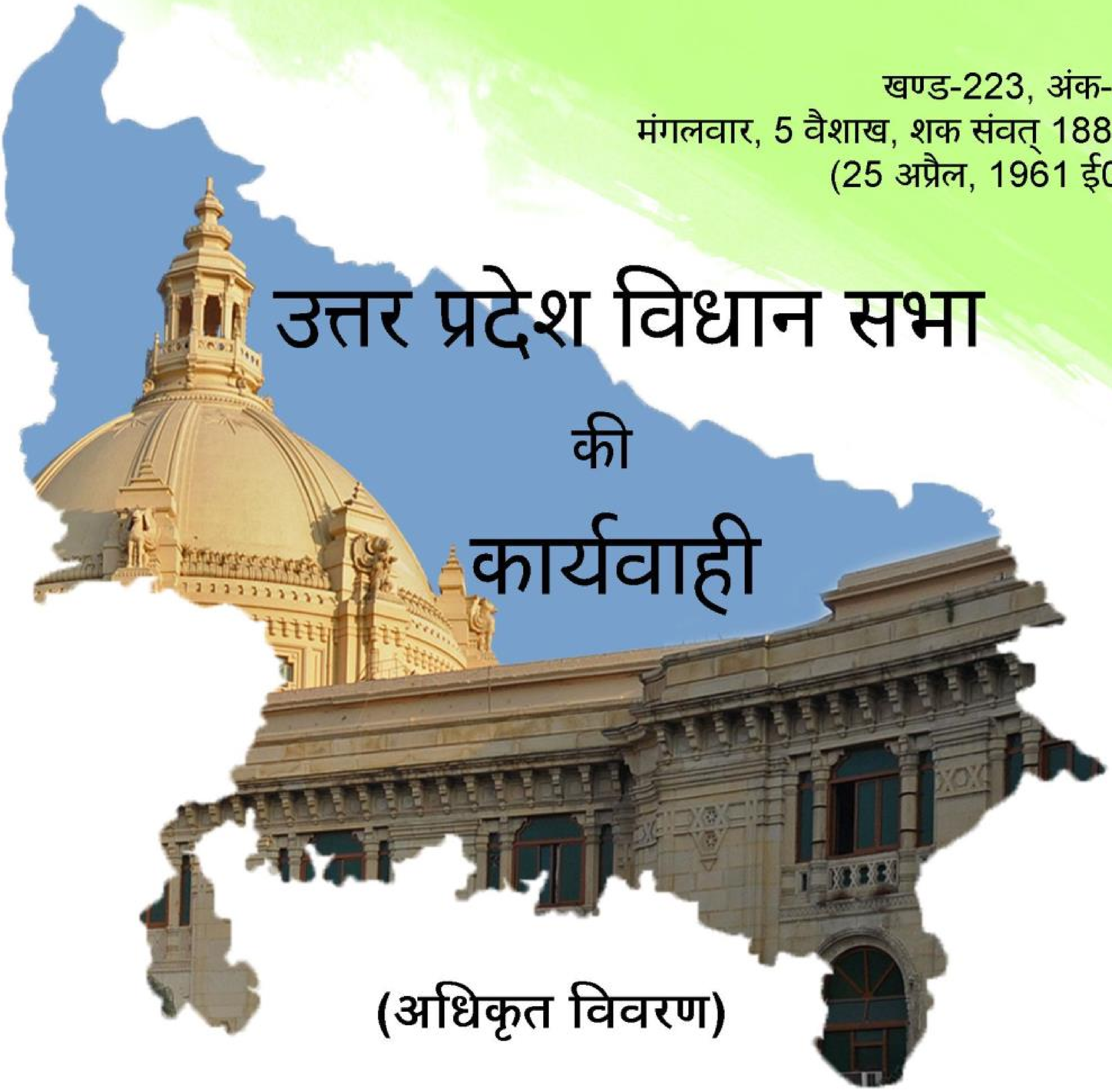

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 223 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१

AUG 1960

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३११

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूरअली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिका प्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह, नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री० एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल आर्य, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री

भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रविपुदमन सिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफजाफरी, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री

लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी, भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषि विभाग की ओर से कानपुर जिले में खाद के मूल्य की गलत वसूली

१—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के अन्तर्गत कुछ थानों से सरकार के पास हाल में किसानों की ओर से शिकायतें आई हैं जिसमें कहा गया है कि कृषि विभाग की ओर से खाद का रुपया वसूल करने के लिये विभिन्न तहसीलों में वसूली की जो सूची भेजी गई है उसमें ऐसे भी किसानों के नाम शामिल हैं जिन्होंने इस विभाग से खाद कर्ज में लिया ही नहीं और फिर भी अमीन लोग सख्ती से वसूलयाबी में लगे हुये हैं ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां ।

२—श्री रामदुलारे मिश्र—उपरोक्त गम्भीर परिस्थिति को ध्यान में रख कर क्या गृह मंत्री उपर्युक्त शिकायतों की जांच कराने तथा तत्सम्बन्धी वसूली स्थगित करने पर विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, इन पर जांच हो रही है और तकावी वसूली स्थगित करने के आदेश कुछ प्रार्थना-पत्रों पर दिये जा चुके हैं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि जिन संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें आयीं वे अभी वहीं काम कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस विषय में अभी तक दो बीज भंडारों के इंचार्जों का तबादला किया गया है । विभागीय कार्यवाही अनवरत है ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि केवल प्रार्थना-पत्र देने वालों का तकावी वसूल करना रोक दिया गया है या सब का रोक दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तक तो ऐसा ही है । कुछ आवेदन-पत्र तो निदेशक को दिये गये हैं और कुछ तहसीलदार को दिये गये हैं । ऐसे प्रार्थना पत्रों पर वसूली रोक दी गयी है । साथ में जांच भी हो रही है और कुछ जांच सी०आई०डी० को भी दे दी गयी है । अगर और कोई विशेष जानकारी सरकार को दी जायगी तो उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—जिन प्रार्थना-पत्रों पर वसूली रोक दी गयी है, उन लोगों की भूमि जिस ने गलती से शामिल कर दी थी, उसके खिलाफ गवर्नमेन्ट की ओर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसी की तो जांच हो रही है । शिकायत यह थी कि तकावी नहीं ली और वसूल हो रही है । उससे कुछ ऐसा मालूम पड़ा कि कुछ गड़बड़ी है, इसलिये कुछ जांच सी०आई०डी० को दे दी गयी और वसूली स्थगित कर दी गयी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—इसी प्रकार की शिकायत कि तकावी किसानों को नहीं दी गयी और वसूल की जा रही है विधूना बीज भंडार के बारे में किसी विधायक ने की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

हरदोई जिले में उमरारी ड्रेन का सर्वेक्षण

****३—श्री राजेन्द्र सिंह** (जिला हरदोई)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जिले में सरकार ने उमरारी ड्रेन खुदवाने के लिये सर्वेक्षण कब पूरा किया है और उसके खुदने में अब देर क्यों हो रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—प्रस्तावित उमरारी ड्रेन का सर्वे २१ जून, १९६० को पूरा हो चुका है । परन्तु भूमि प्राप्त न होने के कारण उसके खुदने में देर हो रही है ।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने इन दस महीनों में भूमि प्राप्त करने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किये और उसमें क्या-क्या अड़चनें आयीं ?

श्री राममूर्ति—अक्तूबर, ६० में भारी वर्षा की वजह से बहुत बड़ा एरिया जलमग्न हो गया था, इसलिये लाइन नहीं लगायी जा सकी । अब लैन्ड केस तैयार हो गया है, यह चीफ इंजीनियर के एप्रूवल में है । यह मैं आपकी इत्तला के लिये और बतला दूं कि इस एरिया में करीब ११०० एकड़ भूमि जलमग्न रहती है । इस ड्रेन के बनाने में करीब ४० हजार रुपया खर्च होगा और ६०० एकड़ जमीन लाभान्वित हो सकेगी ।

श्री राजेन्द्रसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जहां यह ड्रेन निकलने वाली है वहां गांव समाजों के सभी प्रधान भूमि देने को तैयार हैं ?

श्री राममूर्ति—यह बात सही हो सकती है लेकिन फिर भी सरकार द्वारा जमीन एक्वायर की जायगी तथा सरकारी ढंग से काम किया जायगा ।

ऊसर भूमि सुधार योजनान्तर्गत जिले

****४—श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊसर भूमि को कृषि के लायक बनाने की जो योजना प्रदेश के दस जिलों में चालू होने वाली है उसमें प्रदेश के कौन-कौन जिले लिये जायेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़ तथा गाजीपुर ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऊसर सुधार योजना किस प्रकार से चालू की जायगी ? क्या सरकार गांव समाज की भूमि का ही प्रबंध करेगी या व्यक्तिगत लोगों को भी अनुदान या ऋण के रूप में सहायता देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस वक्त श्रीमन्, ऐसी योजना है कि जिस एक खंड में २०० एकड़ ऊसर जमीन एक चक में हो उसे सरकार गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स ऐक्ट के अन्तर्गत ले लेगी और फिर १० एकड़ के हिसाब से उन काश्तकारों को जो स्वयं चाहेंगे कि उस भूमि का सुधार करें, दे देगी । तीन वर्ष के लिये उस भूमि का लगान उनको नहीं देना पड़ेगा और तीन वर्ष तक सिंचाई भी मुफ्त सरकार की तरफ से होगी । जो टेक्निकल गाइडेंस की आवश्यकता होगी, जिससे उनको जानकारी हो कि भूमि का सुधार कर सकें, उसके लिये भी सहायता दी जायगी । लेकिन ऐसे काश्तकार जिनके पास ऊसर भूमि है और सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, उनके लिये भी मुफ्त सिंचाई का प्रबंध होगा और आवश्यक टेक्निकल सहायता भी मिलेगी लेकिन लगान जैसा कि वे देते रहे हैं, वह देना पड़ेगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दस जिलों का चुनाव किस कसौटी के आधार पर किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—विभाग की तरफ से एक सर्वे हुआ था और जहां पर भी एक खंड के अन्दर २०० एकड़ ऊसर भूमि का एक चक मिला जहां की जमीन में रेह या नमक की सी स्थिति हो गयी थी और जहां सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध थी, उनको ही सेलेक्ट किया गया है ।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े प्राप्त हुए हैं कि हमारे प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा ऊसर भूमि है ?

श्री रामस्वरूप यादव—आंकड़े तो हैं और बहुत से जिलों में ऊसर भूमि है लेकिन लक्ष्य तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में केवल १० हजार एकड़ ऊसर भूमि के सुधार का ही है जिसके लिये ५ लाख रुपया रखा गया है । सन् ६१–६२ के लिये २१ हजार रुपया है और १,००० एकड़ भूमि के सुधार करने का प्रश्न है ।

पाकिस्तान के भूतपूर्व जनरल सरफ्रैंक मेसर्वी का बरेली आगमन

५—श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभी हाल में पाकिस्तान के एक भूतपूर्व उच्चाधिकारी जनरल सर फ्रैंक मेसर्वी राज्य के अन्तर्गत बरेली में कई दिन ठहरे और उन्होंने भारत के खिलाफ तथा कुछ रहस्यपूर्ण बातें कुछ लोगों से कीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जनरल सर फ्रैंक मेसर्वी जो पहिले जाट रेजिमेन्ट के कर्नल कमान्डेन्ट थे १५.३.६१ को दिल्ली से ३ दिन के लिये बरेली आये थे और जाट रेजिमेन्टल सेंटर के आफिसर्स मेस में ठहरे । उनके द्वारा कोई आपत्तिजनक कार्यवाही किये जाने की सूचना सरकार को नहीं मिली ।

६—श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या यह सही है कि उनके सम्मान में एक समारोह का आयोजन हुआ जो किसी कारण स्थगित कर दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त अवसर पर जाट रेजिमेन्टल सेंटर और आरमी सर्विस कोर स्कूल के अधिकारियों द्वारा केवल एक प्रीतभोज दिया गया था । इसके अतिरिक्त और किसी समारोह के आयोजन की सूचना नहीं है ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जाट रेजिमेंट की ओर से उन्हें सलामी देने का भी आयोजन किया गया था और उसकी तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन उनके पास भारतीय सेना की वर्दी न होकर पाकिस्तानी सेना की वर्दी थी, इसलिये उनको सलामी नहीं दी जा सकी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसकी जानकारी तो नहीं है ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ये वही जनरल सर फ्रैंक मेसर्वी हैं जिनकी सलाह पर गये वर्ष पाकिस्तानी सेना ने काश्मीर पर हमला किया था ?

श्री अध्यक्ष—इसका कोई सम्बन्ध यहां की सरकार से नहीं है । यह तो केन्द्रीय विषय है और आप पुराने इतिहास को यहां नहीं पूछ सकते हैं । इसके विषय में जो उनकी कार्यवाही हुई है, उसके बारे में आप पूछना चाहें तो पूछ लें ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जनरल बरेली क्यों आये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह किसी समय यहां जाट रेजीमेंट के कमान्डर रह चुके थे और अफसरों से मिलने के लिये आये थे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इस प्रश्न के लिये जो सूचना मंगाई गई तो क्या इस बात की जांच कराई गई कि उन्होंने कुछ रहस्यपूर्ण बातें कीं, यह आरोप सही है या गलत है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस की सूचना मंगाई गई थी, लेकिन कोई ऐसी रहस्यपूर्ण बात सरकार की दृष्टि में नहीं आई।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जनरल का जिक्र किया जा रहा है उन्होंने शाहजहांपुर में आर्मी क्लोथिंग फैक्ट्री को भी जा कर देखा था ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसकी सूचना की आवश्यकता है।

मोटर कण्डक्टर श्री गयाप्रसाद की नेपाली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी

७--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर), श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर), श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) तथा श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार को इस आशय की सूचना प्राप्त है कि गत ५ अप्रैल, को राजकीय रोडवेज के एक कंडक्टर को सोनोली थाना नई कोट, जिला गोरखपुर (भारतभूमि) से नेपाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--दिनांक ५-४-६१ को राजकीय रोडवेज के किसी कंडक्टर को तो नहीं किन्तु एक निजी मोटर कंपनी के कंडक्टर श्री गयाप्रसाद को नेपाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की सूचना है।

८--श्री मदन पांडेय, श्री दुर्योधन, श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री अमरनाथ--क्या उपर्युक्त समाचार को पुष्टि करते हुये नौतनवां जिला गोरखपुर के प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा भेजा गया तार मुख्य मंत्री को गत ६ या ७ अप्रैल, को प्राप्त हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं।

श्री मदन पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस आदमी, गयाप्रसाद, के पकड़े जाने की सूचना पुलिस को किसके द्वारा और कब प्राप्त हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--७ अप्रैल को उस को छोड़ दिया था और गया प्रसाद ने भी शिकायत की थी कि उसको इस तरह से गिरफ्तार किया गया था।

श्री मदन पांडेय--अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानना चाहा था कि सबसे पहले गया प्रसाद के पकड़े जाने की सूचना किसके द्वारा और कब मिली, उस के छूट जाने के बाद मिली या पहले मिली और उस घटना का विवरण क्या था ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस के लिये तो सूचना की जरूरत होगी कि गया प्रसाद की शिकायत के पहले भी कोई सूचना मिली थी या नहीं लेकिन गया प्रसाद का कहना था कि यह पुलिस चौकी बिलकुल बार्डर पर है और वहां पर दस गज ऐसी भूमि है कि जो नेपाल और भारत के बीच की जमीन है। यह सोनोली, मोटर स्थान नेपाल सीमा पर है और वह थाना २ फर्लांग पर है। नेपाल के सिपाहियों का कहना था कि मोटर हमारी सीमा में मोड़ते हैं लेकिन गया प्रसाद का कहना था कि नेपाल की सीमा में गाड़ी नहीं मोड़ते थे। इसके अलावा

नेपाल पुलिस का यह भी कहना था कि नेपाल की कांग्रेस के प्रचार के कागजात भी उनके पास थे इसलिये भी उनको नेपाल की सीमा में गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में ७ अप्रैल को उन को छोड़ दिया गया ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या मंत्री जी को मालूम है कि सोनोली में नेपाल की पुलिस चौकी है और भारतीय पुलिस वाले और नेपाल पुलिस वाले मिलकर वहां स्वयं ऐसे काम कराया करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--मिल कर क्या काम कराते हैं यह तो मुझे नहीं मालूम है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आयी हैं कि जब नाजायज फायदा नहीं पहुंचता और सिपाही लोग चार्ज नहीं लगा पाते तो वह लोग उधर के सिपाहियों से मिलकर लोगों को पकड़वा दिया करते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जो शिकायतें आई हैं उनके लिये तो नोटिस की जरूरत होगी लेकिन एक छोटी चौकी वहां जरूर है जिस में एक हेडकांस्टेबिल और ४ कांस्टेबिल रहते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस कंडक्टर को भारत सीमा के अन्दर नेपाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया उस के संबंध में क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्रोटेस्ट के लिये कहा है कि वहां की पुलिस ने भारत की सीमा में आकर गिरफ्तार क्यों किया ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसी जरूरत नहीं समझी जाती है कि नेपाल सरकार को इस संबंध में लिखा जाय, इसमें कोई खास बात नहीं है क्योंकि अभी यह भी नहीं निश्चित हो सका कि बात क्या थी ?

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि भारत और नेपाल में आपस में मैत्री है और नेपाल के सिपाहियों द्वारा यू० पी० में गया प्रसाद को पकड़ा गया जिस के कारण आसपास के लोगों में एक बुरी भावना फैल रही है केंद्रीय सरकार द्वारा नपाल सरकार को लिखवायें कि आइंदा ऐसी बातें न हों ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने जवाब दे दिया कि वह आवश्यक नहीं समझते ।

श्री मदन पांडेय--इस बात को देखते हुए कि गोरखपुर जिले के नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के २ सदस्य आपसे अनुरोध कर रहे हैं क्या माननीय मंत्री जी अब इस बात पर विचार करते हुये कि कई बार इस प्रकार की घटनायें हो चुकी हैं केंद्रीय सरकार को लिखने जा रहे हैं कि इस संबंध में नेपाल सरकार से कोई बातचीत की जाय ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । घटनायें जो आप लोगों ने बतलाईं वह तो अपनी पुलिस की खराबी की वजह से बतलाईं, तो अपनी पुलिस को ठीक करना चाहिये ।

श्री मदन पांडेय--वहां आये दिन पुलिस वाले इधर के आदमियों को पकड़ कर ले जाते हैं. . .

श्री अध्यक्ष--अभी लारी जी ने कहा था कि यहां के पुलिस वाले जो हैं वह पकड़वा देते हैं, तो यहां के पुलिसवालों का कसूर हुआ या नेपाल वालों का ?

श्री मदन पांडेय--यहां के लोग पकड़वा दें और दूसरे लोग हमारी सीमा से पकड़ लें, तो चाहे हमारे आदमी पकड़वावें या वह लोग अपने आप पकड़ ले जायं, जुर्म तो उनका होगा ।

श्री अध्यक्ष---आपका मतलब है कि नेपाल सरकार का ही कसूर माना जाय ?

श्री मदन पांडेय---हमारी भूमि से उन्हें नहीं पकड़ना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---अपनी पुलिस के लिये तो आपको अपनी सरकार से कहना चाहिये

श्री मदन पांडेय---हमारी पुलिस पकड़वा देती है तो भी माननीय मंत्री जी को ऐसी कार्यवाही के संबंध में सतर्क रहना चाहिये और . . . .

श्री अध्यक्ष---आप उसे उनके पास लिखकर भेज दें ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

चैनल कान्स्ट्रक्शन डिवीजन, शाहजहांपुर में अपव्यय की शिकायत

*१---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि चैनेल कान्स्ट्रक्शन डिवीजन, शाहजहांपुर के काम समाप्त होने व वहां एक खंड के लिये अपर्याप्त काम होने के कारण सरकारी धन के अपव्यय होने के संबंध में सिंचाई मंत्री को जनवरी, १९६१ में विधायकों के पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति---सूचना एकत्र की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो, सुबह सूचना आ गई है उसके बारे में कुछ बतला दूं ?

श्री अध्यक्ष---अब आ गई है तो पढ़ दीजिये ।

श्री राममूर्ति---मेरे पास लिखित तो नहीं है लेकिन टेलीफोन पर मालूम हुआ था ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन मेरे पास तो आनी चाहिये ।

श्री राममूर्ति---तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा ।

*२---श्री रामस्वरूप वर्मा---[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

आपरेशनल एरिया में रामपुरा तथा रेढर थाने

*३---श्री गरीबदास (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह डकैतों के बढ़ते हुये आतंक से जनता की सुरक्षा के लिये जिला जालौन के रामपुरा तथा रेहर थानों के क्षेत्र को अविलम्ब आपरेशनल एरिया घोषित करने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)---ये थाने इस समय भी तथाकथित आपरेशनल एरिया में सम्मिलित हैं ।

अकबरपुर तथा बिल्हौर तहसीलों में लवणीय एवं क्षारीय भूमि का सर्वेक्षण

*४---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या सरकार कानपुर जिले के अन्तर्गत अकबरपुर और बिल्हौर तहसील में हजारों एकड़ लवणीय एवं क्षारयुक्त भूमि जो बेकार पड़ी है, उसे कृषि योग्य बनाने के लिये सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करने पर विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—कानपुर जिले में लवणीय व क्षारीय भूमि का सर्वेक्षण व विश्लेषण का कार्य किया जा चुका है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सर्वेक्षण और विश्लेषण कहां-कहां किया गया और अब क्या योजना है, उसकी मुख्य-मुख्य बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मेरे पास तो दोनों तहसीलों की फेहरिस्त हैं, उसमें बहुत से गांव हैं। लेकिन सबको बताने में बहुत समय लग जायेगा। इन दोनों तहसीलों में से अकबरपुर में ३१ हजार १३० एकड़ जमीन है और बिल्हौर में २३ हजार ५३७ एकड़ है। कानपुर के अलावा मैंने ९ जिले और पहले प्रश्न के उत्तर में बताये थे—गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इटावा, मैनपुरी, हरदोई, उन्नाव और अलीगढ़। इनमें भी योजना लागू करने का विचार है और १० हजार एकड़ भूमि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सुधार करने का लक्ष्य है, ५ लाख रुपया व्यय होगा। सन् ६१–६२ में सिंचाई की सुविधा २१ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने का विचार है और जैसा कि निवेदन किया, और भी खंड जहां २०० एकड़ जमीन मिल जाय, उसे सरकार रिज्यूम कर लेगी और सहायता देगी सुधार के लिये। सिंचाई और लगान के लिये ३ वर्ष के लिये सुविधायें दी जायेंगी। व्यक्तिगत काश्तकार चाहेंगे तो उनको भी सुविधा दी जायेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

बाराबंकी जिले में शिवगढ़ नाले की भूमि का मुआवजा

*१—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, परगना हैदरगढ़ व सुबेहरा में जो गनहरी, नरदही आदि ग्रामों से सैलाबी नाला खोदा जा रहा है उसकी खोदाई कब तक समाप्त हो जायगी और उससे कितने गांव की कितनी भूमि सैलाब से बचेगी ?

श्री राममूर्ति—इस नाले की खोदाई इस वर्ष वर्षा ऋतु से पूर्व समाप्त हो जाने की आशा की जाती है। इस नाले को शिवगढ़ ड्रेन कहते हैं और इसका केवल ६ मील ४ फर्लांग का भाग बाराबंकी जिले में पड़ता है और उससे बाराबंकी जिले के ६ गांवों की लगभग ३५४ एकड़ भूमि सैलाब से बच सकेगी। यह नाला परगना सुबेहा के किसी भी ग्राम से होकर नहीं निकलता।

*२—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गनहरी, नरदहा, बल्ला परेवा आदि के किसानों की जो मजरुआ भूमि नाले में ली गई है वह कितने एकड़ है और क्या उसका मुआविजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—बाराबंकी जिले में इस नाले के लिये ३५.१९४ एकड़ भूमि ली गई है ग्राम बल्ला और परेवा में इसके लिये कोई भूमि नहीं ली गई। इस भूमि के मुआवजे की कुल धनराशि ४,०९४ पये थी जिसमें से ४००,४.२० रुपये का वितरण किया जा चुका है।

*३—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त नाले की कोई ऐसी योजना भी है कि उससे सिंचाई आदि का काम लिया जा सके ? यदि हां, तो वह कौन-सी योजना है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--मंत्री जी बतायेंगे कि शिवगढ़ ड्रेन की खुदाई कब से शुरू की गई ?

श्री राममूर्ति--इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री जंगबहादुर वर्मा--मंत्री जी बतायेंगे कि शिवगढ़ ड्रेन की खुदाई का कुल कितने रुपये का एस्टीमेट बना है ?

श्री राममूर्ति--जो शुरू के ७ मील ४ फर्लांग रायबरेली जिले में पड़ते हैं वह तो नियोजन विभाग की तरफ से लगभग १ लाख ३९ हजार रुपये के खर्चे से काम होगा और बाकी योजना पर २,५७,२५३ रु० खर्च होगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा--मंत्री जी इस बात की जांच करेंगे कि जिला बाराबंकी में जो नाला पड़ता है उस पर अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है ?

श्री राममूर्ति--मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता। लेकिन विभाग की तरफ से यह लिखकर आया है कि वर्षा ऋतु के शुरू होते-होते काम पूरा हो जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा--मंत्री जी बतायेंगे कि नाले की खुदाई का ठेका किसको दिया गया है और कितनी अवधि उस के लिये मुकर्रर की गई जिसमें नाले को खोद कर तैयार कर दें ?

श्री राममूर्ति--ठेकेदार का नाम मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि विभाग से यह लिखकर आया है कि वर्षा ऋतु के शुरू होने के पहले नाला खुद जायगा।

खरखोंदा थाने से थानेदार का क्वार्टर दूर होना

*४--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मेरठ में ऐसे थाने कौन-कौन से हैं, जिनके थानेदारों के रहने के सरकारी क्वार्टर्स थाने व शहर की आबादी से दूर हैं और उसमें १९५९ व १९६० में डकैतियां, चोरियां व मारपीट की घटनायें कहां-कहां हुई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिला मेरठ में थाना खरखोंदा तथा थाना मवाना के थानेदारों के क्वार्टर थाने और आबादी या कस्बे से दूर हैं।

उसमें से थाना खरखोंदा के थानेदार के क्वार्टर में ३/४ जून, १९५९ की रात को एक चोरी की तथा २७/२८ जून, १९६० की रात को एक मारपीट की घटना हुई। डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जिन थानेदारों के क्वार्टर थाने और आबादी से दूर बने हुये हैं वह थाने के नजदीक बना दिये जायं जिससे उनकी लुटाई और पिटाई न हो सके ?

श्री रामस्वरूप यादव--इससे तो मैं सहमत नहीं हूं कि उनकी लुटाई पिटाई न हो सके इसलिये थाने के पास उनके क्वार्टर बनाये जायं लेकिन यह ठीक है कि थाने के पास ही उनका क्वार्टर होना चाहिये क्योंकि उनका काम ही ऐसा होता है। इस संबंध में मैं निवेदन कर दूं कि खरखोंदा थाना ऐसा है जिसका क्वार्टर बन जायगा। कुछ धन का प्रबन्ध कर दिया गया है। जहां थानेदार का क्वार्टर है वहीं पर थाना बनने को है। जब उसका प्राविजन हो जायगा तो वहां थाना बन जायगा।

आजमगढ़ जिले की जल निकासी योजनायें

*५—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की सदर और फूलपुर तहसील के अन्तर्गत डाही धरौली तालजल निकासी योजना सरकार के विचाराधीन कब से है और कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति—इस योजना का सर्वेक्षण जुलाई, १९६० में किया गया है। अगर यह योजना बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई तो इसको कार्यान्वित किया जा सकेगा।

*६—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील फूलपुर में पासीपुर और लहरपार के समीप ताल बघेला जल-निकासी योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री राममूर्ति—इस ड्रेन की लम्बाई ४ मील ४ फरलांग है लेकिन हाल ही में इस संबंध में सरकार ने यह निश्चय किया है कि ५ मील से कम लम्बी नालियों की खुदाई (earth work) संबंधित कार्य ग्राम सभायें श्रमदान द्वारा करेंगी जिसके पश्चात् उन पर पक्का काम (masonary work) सरकार द्वारा किया जायेगा। इसलिये इस ड्रेन की खुदाई का काम अब संबंधित ग्राम सभा की जिम्मेदारी है।

*७—श्री विश्राम राय (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन सी प्रमुख जल-निकासी योजनायें कार्यान्वित होने वाली हैं और उन पर कितना खर्च होने वाला है ?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ जिले की प्रमुख जल निकासी योजनाओं की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३६ पर)

फरेंदा तहसील में सिंचाई योजनायें

*८—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सिंचाई मंत्री ७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६४ के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि सरकार तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर में कितने नलकूप कहां-कहां बनवा रही है ?

श्री राममूर्ति—अभी इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा रहा है यदि strata conditions अनुकूल पाई गईं तो नलकूप लगाये जा सकते हैं। किन्तु उनकी संख्या तथा स्थान अभी नहीं बतलाया जा सकता।

*९—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी आदेश संख्या ४३९ (१) जी० आई० (बी)/६०-२३-२५-एम-६०, दिनांक ६ दिसम्बर, १९६० के उपबन्धों के अनुसार वे उपर्युक्त तहसील के किन-किन स्थानों पर छोटी-छोटी जल कुन्डियां बनाने का प्रबन्ध कर रहे हैं और कब तक ?

श्री राममूर्ति—गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में राप्ती और रोहिन नदियों की शाखाओं (Tributaries) पर छोटे जलकुन्ड (Reservoir) बनाने के हेतु स्थान के लिये जांच-पड़ताल हो रही है और मार्च, १९६२ के अन्त तक समाप्त होने की आशा है। उन्हीं योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जायगा जो उपयुक्त तथा लाभप्रद (remunerative) पाई जायेंगी तथा जिनके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध होगी। अतएव इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि किन-किन स्थानों पर रिजर्वायर्स बनाये जायंगे ?

*१०—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या सिंचाई मंत्री कृपया उपर्युक्त तहसील की सिंचाई सम्बन्धी तीसरी पंचवर्षीय योजना की एक रूप-रेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---उन योजनाओं के अतिरिक्त जैसा कि प्रश्न संख्या ८ के उत्तर में बताया गया है और कोई योजना इस समय फरेंदा तहसील की सिंचाई के वास्ते तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उपरोक्त निरीक्षण जो हो रहा है वह किस अधिकारी के द्वारा हो रहा है और यह कब तक हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---सर्वे और प्लानिंग सर्किल है, उसी के जरिये से यह काम कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष---कब तक हो जायगा यह भी पूछ रहे हैं।

श्री राममूर्ति---सन् १९६२ के अन्त तक यह हो जायगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---रोहिनी और राप्ती की सहायक नदियों की किन किन जगहों का सर्वेक्षण हो पाया है ?

श्री राममूर्ति---इसके बारे में मालूम नहीं है। जब पूरा काम खत्म हो जायगा तब पूरी फेहरिस्त और मालूमात हो सकेंगी।

पतनई निवासी श्री विजई राय के संबंध में जांच

*११---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या गत २३ तथा २४ अक्तूबर की शाम को ग्राम पतनई, थाना दीहरीघाट, आजमगढ़ के श्री विजई नामक युवक को पकड़ कर थाने में लाया गया, उसे बुरी तरह मारा गया तब से आज तक उस युवक का पता नहीं लग रहा है ?

श्री चरणसिंह---श्री विजई राय नामक व्यक्ति दिनांक २२-१०-६० को थाने में एक चोरी के अपराध के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के बाद उसको थाने पर नहीं रोका गया और न उस को थाने पर पीटा गया। लौटकर यह घर नहीं गया बल्कि अपने रिश्तेदारों में घूमता रहा। अब कहा जाता है कि वह नौकरी की तलाश में बड़ौदा अहमदाबाद की तरफ चला गया है।

*१२---श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस विषय में उक्त युवक के पिता ने उच्च अधिकारियों को तार देकर न्याय की प्रार्थना की थी ?

श्री चरणसिंह---श्री विजई राय के पिता ने जिलाधीश को एक तार भेजा था जिसमें उन्होंने श्री विजई राय के गायब होने के संबंध में जांच करने की प्रार्थना की थी।

*१३---श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस विषय में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह---इस सम्बन्ध में जांच की गई। परन्तु पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुये।

भगवानपुर बांध में अधिगृहीत भूमि तथा पेड़

*१४---कुंवर श्रीपालसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भगवानपुर बांध का निर्माण करने हेतु सिंचाई विभाग ने जो जंगल वन विभाग से ५३ हजार रुपयों में खरीदा था उसे केवल २६ हजार रुपयों में ही क्यों बेचा गया तथा किसके हाथ और कब बेचा गया ?

श्री राममूर्ति—वन विभाग की वह जमीन जिस पर कि बांध बनाया जाने वाला था मय पेड़ों के ५३,३८० रुपये मुआवजा देने पर सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किया गया तथा उक्त भूमि के केवल पेड़ २६,००० रुपये में श्री उजागरसिंह, ठेकेदार को २ जनवरी, १९६१ को बेंचे गये। उस समय पेड़ों के लिये २६,००० रुपये से ज्यादा देने के लिये कोई तैयार नहीं था।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि पेड़ तो बेच दिये गये २६ हजार में लेकिन जमीन किसके पास है?

श्री राममूर्ति—जमीन जिस काम के लिये ली गयी थी उसी काम में आ रही है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—जब वन विभाग ने इसे ट्रान्सफर किया तो जमीन की कितनी कीमत आंकी गई थी और पेड़ों की कीमत कितनी आंकी गयी थी?

श्री राममूर्ति—उसका अलग ब्योरा तो नहीं है लेकिन टोटल बतलाया कि दोनों कितने रुपयों की चीजें थीं।

कुंवर श्रीपालसिंह—यह नीलाम किया गया तो अखबारों में एडवर्टाइजमेन्ट किया गया या नहीं और नीलाम की सूचना दी गयी थी या नहीं?

श्री राममूर्ति—कुल जमीन ५० एकड़ थी और मिनजुमला २८,२६१ पेड़ थे और १५ दिसम्बर, ६० को एक नीलाम किया गया, ३ टेंडर आये जिसमें हाइयेस्ट बिड २६ हजार रुपये का आया। डिपार्टमेन्ट ने उसे मुनासिब नहीं समझा और इंक्वायरी के लिये फारेस्ट डिवीजन को भेजा और जो आफिसर थे उनकी राय ली गयी। उनकी राय हुई कि २६ हजार रुपये भी आना मुश्किल है। तब यह विड ठीक मान कर इतने रुपये पर उनको नीलाम किया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बांध बनाने के लिये जो जमीन ली गई थी, उस पर काम कब से शुरू हुआ और उसमें कितनी प्रगति हो चुकी है?

श्री राममूर्ति—इसकी मेरे पास इस वक्त मालूमात नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि इस टेन्डर के सम्बन्ध में जो विज्ञापन वगैरह दिये गये थे उस सम्बन्ध में आडिट रिपोर्ट ने यह रिमार्क किया है कि इसमें अनियमितता बरती गयी है और सरकार ने जिस प्रकार से कार्यवाही करनी चाहिये थी उस प्रकार से कार्यवाही नहीं की?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इसकी कोई इत्तला इस वक्त नहीं है।

ग्राम पंचायत दूधवन के चुनाव में श्री अवधशरणसिंह का पीटा जाना

*१५—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की तहसील डलजऊ के थाना सरेनी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में कितनी जगह ऐसे झगड़े हुये जिनमें चोटें आईं?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी एक घटना ग्राम दूधवन, थाना सरेनी में होने की सूचना है।

*१६—श्री गुप्तारसिंह—क्या गृह मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि उपर्युक्त थाने में ग्राम पंचायत दुधवन में प्रमुख कार्यकर्ता श्री सुखदेव सिंह का भतीजा अवधशरण सिंह वोटर की पर्ची बांटते समय कुछ गुण्डों द्वारा इतना मारा गया कि उसकी रिपोर्ट थाने में ३०८ की दर्ज की गयी और घायल को पुलिस ने डाक्टरी मुआयने के लिये लालगंज अस्पताल में भेजा था मगर बाद में बगैर समुचित जांच के फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। यदि हां, तो किस तारीख को?

श्री रामस्वरूप यादव—दिनांक १६-१-१९६१ को ग्राम दूधवन के निवासी श्री अवध शरणसिंह द्वारा थाना सरेनी में इस आशय की लिखित रिपोर्ट दी गई कि वोटरों को पर्ची बांटते समय उन्हें चार व्यक्तियों ने मारा। तदनुसार धारा ३०८ भ० द० वि० के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया और श्री अवधशरणसिंह को डाक्टरी जांच के लिये भेजा गया। डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार श्री अवधशरणसिंह को केवल मामूली चोटें आई थीं। मामले की पूरी जांच करने के बाद पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट न्यायालय भेज दी गई क्योंकि धारा ३०८ का अपराध होना नहीं पाया गया। न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट २७-२-१९६१ को स्वीकृत कर ली।

*१७—**श्री गुप्तारसिंह**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ जनवरी, १९६१ को थाने में इन हमलावरों के विरुद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की लिखायी गई थी कि हमलावारों से शान्ति भंग होने का अन्देशा है? यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। झगड़ा होने के एक दिन पूर्व इस प्रकार की रिपोर्ट श्री सुखदेवसिंह ने थाने पर दोपहर के समय लिखाई। उस समय थानेदार थाने पर नहीं थे। रात में जब वह आये तो उन्होंने रिपोर्ट कर्ता को बुला कर इस विषय में बात चीत की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चुनाव के दिन काफी प्रबन्ध की आवश्यकता होगी। किन्तु दूसरे दिन सबेरे ही श्री सुखदेवसिंह के भतीजे श्री अवधशरणसिंह वोटरों की पर्ची बांटने उसी व्यक्ति के स्थान पर गए जिनसे उन्हें शान्ति भंग की आशंका थी। वहीं पर झगड़ा हो गया। अभियुक्तगण का कहना है कि श्री अवधशरणसिंह झगड़ा करने की नीयत से ही उनकी ओर गए थे।

श्री गुप्तारसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पार्टी की तरफ़ से कोई रिपोर्ट की गई थी?

श्री रामस्वरूप यादव—थाने पर दूसरी पार्टी भी पहुंची थी लेकिन चूंकि ३०८ का मुकदमा दर्ज हो चुका था उनके खिलाफ, इसलिये पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।

श्री गुप्तारसिंह—क्या यह सही है कि रिपोर्ट अवधशरण ने १२ आदमियों के खिलाफ़ की थी लेकिन थानेदार ने जबर्दस्ती चूंकि हमलावर वहां बैठे थे इसलिये उनसे मिल कर सिर्फ चार आदमियों के खिलाफ जानबूझ कर रिपोर्ट लिखी? एक बात . . . .

श्री अध्यक्ष—एक ही बात पूछिये, कई बातें एक साथ याद नहीं रहेंगी। आप फिर से प्रश्न पूछिये।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अवधशरण ने एक रिपोर्ट १२ आदमियों के खिलाफ़ दी थी जो कि कप्तान साहब को जांच के लिये दी गई थी और थानेदार ने जबरदस्ती उस रिपोर्ट को न लिख कर ३०८ की रिपोर्ट जानबूझ कर खारिज करने के लिये लिखी थी जिसके बारे में मैंने एक चिट्ठी २ तारीख को माननीय चरणसिंह जी को पहले ही भेज दी थी?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसकी अगर कोई शिकायत अब की जायगी या २ तारीख को जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि दी गयी है तो उसके आधार पर जांच की जा सकती है कि रिपोर्ट वही लिखी गयी या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर जो कार्यवाही हुई वह मैंने बता दी।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि थाने पर कोई थानेदार नहीं थे जब कि रिपोर्ट लिखायी गयी तो क्या वे इसकी जांच करायेंगे कि कप्तान के यहां इन दोनों थानेदारों ने माफ़ी मांगी कि रवानगी की रिपोर्ट गलत थी और हम लोग मौजूद थे?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी सूचना तो मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह व्यक्ति थाने में रिपोर्ट लिखाने गये तो उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी और जैसाकि कहा गया कि मुकदमा चल रहा था इसलिये नहीं लिखी गयी, तो क्या कोई बयान लिया गया? यदि नहीं लिया गया तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, किस की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी? मैंने तो कहा कि ३०८ की रिपोर्ट दर्ज की गयी।

श्री अध्यक्ष—वे यह कहते हैं कि दूसरी पार्टी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी।

श्री रामस्वरूप यादव—मारपीट के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी जानी चाहिये थी वह लिखी गयी या नहीं इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री देवनारायण भारतीय—एक रिपोर्ट श्री अवधशरणसिंह की ओर से थाने में लिखाई गयी कि नुक्से अमन का अंदेशा है और अगले दिन झगड़ा हो गया, तो पुलिस ने झगड़े को बचाने का क्या प्रयत्न किया?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, २५ तारीख को श्री अवधशरणसिंह के भतीजे ने यह रिपोर्ट लिखाई थी कि वहां झगड़े का अंदेशा है। थानेदार रात को आये तो उन्होंने बुलाकर बात की। चुनाव २८–२९ को होने वाला था और चुनाव के सम्बन्ध में ही झगड़ा होने का अंदेशा था इसलिए उन्होंने सोचा कि २८–२९ के लिये कार्यवाही की जायगी। लेकिन झगड़ा दूसरे दिन ही हो गया। यह भी जरूरी नहीं था कि सब रिपोर्टें ठीक ही आवें। इसलिये जो सूचना है उसके अनुसार जो कार्यवाही सम्भव हो सकती थी वह की गई और झगड़े में मामूली चोटें आईं, ३०८ की चोटें नहीं थीं।

श्री गुप्तारसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस स्थान में १४४ पहले से घोषित कर दी गई थी और यह रिपोर्ट २५ तारीख को की गई थी कि उसके भंग होने का अंदेशा है यदि हां, तो उसके लिये क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

पिसावां में श्री पृथ्वीपालसिंह का कत्ल

*१८—**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम थाना पिसांवा, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर में १ दिसम्बर, १९६० से २० फरवरी, १९६१ तक कितने कत्ल होने की घटनायें घटीं और उनमें आज तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त अवधि में पिसावां ग्राम में कत्ल की केवल एक घटना की रिपोर्ट हुई। इस घटना के संबंध में धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर के अनुसंधान किया गया और चार अभियुक्तों का चालान कर के मुकदमा न्यायालय भेजा गया।

श्री मूलचन्द—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो कत्ल हुआ है उसका क्या नाम था और कितने घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली?

श्री रामस्वरूप यादव—२१ दिसम्बर, १९६० को यह घटना हुई और इस घटना में ग्राम तथा थाना पिसांवां, जिला सीतापुर के पृथ्वीपाल सिंह, पुत्र मुलायम की हत्या अपराधियों ने की थी। २२–१२–६० को सूचना मिलने पर ३०२ का मुकदमा भा० द० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया। ७ मार्च, १९६१ को पुलिस द्वारा चालान किया गया। तीन अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और एक अभी फरार है।

श्री मूलचन्द---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की सूचना मिली है कि वहां थाना इंचार्ज और ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर इसमें शामिल थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सूचना तो सरकार के पास नहीं है लेकिन यह सूचना जरूर है कि जिसकी हत्या की गई है वह ज्यादा अच्छे आदमी नहीं थे और बताया यह जाता है कि अभियुक्त को शराब पिला कर हत्या की गई, तो उनकी शोहरत अच्छी नहीं थी।

श्री देवनारायण भारतीय---जो अभियुक्त फरार है क्या उसके खिलाफ दफा ८७/८८ की कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

जनवामऊ डकैती की रिपोर्ट गलत लिखने के संबंध में प्रश्न

*१९---**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या ग्राम जनवामऊ, थाना संग्रामगढ़ में जनवरी, १९६१ के द्वितीय सप्ताह में भीषण डकैती पड़ी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं। ग्राम जनवामऊ, थाना संग्रामगढ़ में दिनांक १६-१-६१ को केवल एक नकबजनी की घटना हुई थी।

*२०---**श्री गयाप्रसाद**---क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त डकैती के सम्बन्ध में गुमनाम दरख्वास्त स्थानीय पुलिस तथा जिलाधीश के पास भी भेजी गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, ऐसी एक दरख्वास्त जिलाधीश के कार्यालय में २१-२-६१ को आई थी जो पुलिस अधीक्षक के पास उसी दिन जांच के लिए भेज दी गई थी। उसकी जांच हो रही है।

श्री गयाप्रसाद---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस घटना के सम्बन्ध में जब डकैती नहीं लिखी गई तो तुरन्त दरख्वास्त दी गई कि हमारी डकैती नहीं लिखी गई ? यदि हां, तो इसकी किस अफसर द्वारा जांच कराई जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इस समय डी० एस० पी० को आदेश दिये गये हैं कि वह इसमें जांच करें।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बतायेगी कि नकबजनी में मकान के मालिक के चोटें कैसे और किस हथियार से आईं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, अब कैसे इसका उत्तर दूं ? जांच हो रही है। पुलिस ने पहले फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। अब जांच हो रही है। जांच हो जाय तो मालूम हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र जिलाधीश को दिया गया है, उस प्रार्थना-पत्र में क्या-क्या बातें कही गयी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्री जगतपाल सिंह, ग्राम जनवा मऊ का एक प्रार्थना-पत्र पुलिस के कार्यालय में २८-३-६१ को प्राप्त हुआ। उसमें प्रार्थी ने लिखा था कि १५/१६-१-६१ को कुछ दुराचारी लोगों ने उनके मकान में सेंध लगायी और उनकी पिटाई आरम्भ कर दिया। उनके घर की औरतों को कमरे में बन्द कर दिया और अपराधी कुछ सामान चुरा ले गये।

श्री देवनारायण भारतीय—मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने पूछा यह था कि जब नकबजनी हुई तो मालिक मकान को चोटें कैसे आयीं जिसको माननीय मंत्री जी ने पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि औरतों को बन्द कर दिया, मालिकों को पीटा। तो नकबजनी की रिपोर्ट क्यों लिखी गयी, डकैती की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी, जब कि मालिक मकान डकैती की रिपोर्ट लिखाना चाहता था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जो भी वह रिपोर्ट लिखाना चाहते थे, यह तो उन्होंने शिकायत की है। पुलिस ने ऐसा नहीं पाया। उन्होंने यह पाया कि इस तरह का वाकया नहीं है। उन्होंने फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में दे दी और न्यायालय ने उसको स्वीकार कर लिया। पहले सी० आई० को जांच दी गयी थी। अब डी० एस० पी० को आर्डर कर दिया गया है कि वह जांच करें।

ग्राम पूरा रघुनाथपुर की डकैती

*२१—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के अन्तर्गत गांव पूरा रघुनाथपुर में श्री जगमोहन ठेकेदार के यहां डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्तियों को चोटें लगीं तथा कितने व्यक्तियों का सामान लूटा गया ?

श्री चरणसिंह—जी हां। ५ व्यक्तियों को चोटें आई थीं और केवल एक व्यक्ति का सामान लूटा गया।

*२२—**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उपर्युक्त घटना की रिपोर्ट फूलपुर थाने में लिखी गई है ? यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत ?

श्री चरण सिंह—जी हां। रिपोर्ट भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७ के अन्तर्गत लिखी गई।

मेरठ कालेज के कर्मचारी नन्हेलाल का गायब होना

*२३—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि लगभग नौ वर्ष हुये मेरठ कालेज की लैबोरेटरी के गैस बायलर पर काम करने वाला कर्मचारी नन्हेलाल गायब हो गया था और उसका पता आज तक नहीं लगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—नन्हें लाल मेरठ कालेज में गैस बायलर पर काम नहीं करता था बल्कि उक्त कालेज के केमिस्ट्री विभाग में लैब असिस्टेन्ट था। वह अप्रैल, १९५० में अपने घर से चला गया था और लौट कर नहीं आया। पुलिस द्वारा की गई जांच से यह पता चलता है कि वह घर से गायब हो कर साधु बन गया।

*२४—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार को पता है कि अभी हाल ही में उक्त बायलर की मरम्मत व सफाई करते समय एक मिस्त्री को उसमें एक जोड़ी चप्पल, बासकट, पायजामे का कुछ हिस्सा, शरीर का कुछ ढांचा व हड्डियां मिलीं जो कि नन्हेलाल की बतलाई जाती हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—९-१-६१ को उपर्युक्त कालेज के आयल गैस टैंक की सफाई करते समय कुछ हड्डियां, एक जोड़ा टायर के चप्पल तथा खादी कपड़े के तीन टुकड़े पाए गए, ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि उक्त हड्डियां वगैरह नन्हेलाल की हैं।

*२५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस अपनी तहकीकात में नन्हेलाल की मौत के सम्बन्ध में किस नतीजे पर पहुंची और कालेज के अधिकारियों ने उसके गायब हो जाने पर क्या कार्यवाही की थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच के फलस्वरूप पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि नन्हे लाल अपने घर से गायब होकर साधु हो गया था। ४-५-५० को मेरठ कालेज के प्रिंसिपल ने पुलिस को नन्हे लाल के गायब हो जाने की सूचना दी थी। तदुपरान्त अप्रैल, १९५२ में उक्त कालेज के केमिस्ट्री विभाग के अध्यक्ष ने एस० एस० पी०, मेरठ व एस० पी०, मथुरा से भी जांच कराई थी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कालज की तरफ से उस समय कोई ऐसी रिपोर्ट की गयी थी कि उनका कोई अन्य कर्मचारी गायब हो गया है या मर गया है ? अगर नहीं तो वे इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि कपड़े, हड्डी और चप्पल नन्हेलाल के नहीं थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह तो सबूत में है कि नन्हेलाल चमड़े की चप्पल नहीं पहनता था। वह १९५० का किस्सा है और १९६१ में पता लगाना कि क्या उस वक्त की यह हड्डियां हो सकती हैं, इसके लिये केमिकल एग्जामिनर के पास भेजी गयी हैं।

पंचायत चुनाव कर्मचारियों के विरुद्ध घोसी तहसील से प्रार्थना-पत्र

*२६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के निवासियों ने उनके पास तथा पुलिस कप्तान, आजमगढ़ एवं देवरिया के पास क्रमशः १० नवम्बर, १९६०, ५ फरवरी, १९६१, और ४ फरवरी, १९६१ को प्रार्थना-पत्र भेजे हैं जिनमें पंचायत चुनाव के गुप्तचरों एवं तहसील कर्मचारियों पर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र सरकार को भेजे हुए दो महीने से ज्यादा हो रहे हैं, तो अब तक सूचना एकत्र न करने का कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न बड़ा व्यापक है। आजमगढ़ और देवरिया जिलो में दरख्वास्तें दी हैं कुछ अफसरों के खिलाफ जिसमें पंचायत विभाग और अन्य विभाग के कर्मचारी भी हैं। तो समय तो लगेगा ही सूचना एकत्र करने में।

सेंट ऐण्ड्रूज कालेज, गोरखपुर की छात्रा का जबरदस्ती फोटो लिया जाना

*२७—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गत १७ फरवरी, को शाम को ४ बजे कोतवाली गोरखपुर के सामने सड़क पर कुछ साइकिल सवार छात्रों द्वारा सेन्ट ऐन्ड्रूज कालेज से लौटती हुई छात्रा का रिक्शा रोक कर फोटो लेने का प्रयत्न किये जाने की सूचना उक्त कोतवाली में दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, यह आरोप लगाए गये कि छात्रों ने छात्रा के रिक्शे को जबरदस्ती रोक कर उसका फोटो लिया तथा अश्लील एवं व्यंगात्मक शब्दों का प्रयोग किया।

*२८—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त घटना के सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव—दो गिरफ्तारियां हुईं ।

*२९—**श्री मदन पांडेय**—क्या उक्त घटना के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्तियों में से किसी ने बयान दिया है जिसमें इस घटना से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के नाम व पते भी बताये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं, इस प्रकार का बयान गिरफ्तार हुए व्यक्तियों ने नहीं दिया ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह तफतीश किस अधिकारी के द्वारा की जा रही है और कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, तफतीश तो पुलिस के सम्बन्धित अधिकारी करते हैं लेकिन इसमें एक अजीब बात और हो गई है और वह यह है कि उस छात्रा की मां ने अदालत में यह दरख्वास्त दी है कि वह चाहती नहीं है कि मुकदमा चलाया जाय ।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार ने उस दरख्वास्त पर यह निश्चय कर लिया है कि उस मुकदमे को न चलाया जाय या उसको चलाने का इरादा किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तो दरख्वास्त पुलिस अधीक्षक को उसने दी है, न्यायालय में ऐसा निश्चय नहीं हुआ है । मुकदमा चलाने की कार्यवाही अभी हो रही है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भले ही छात्रा की मां की तरफ से ऐसी दरख्वास्त सामाजिक परिस्थितियों के कारण पड़ गई, लेकिन इसके पहले भी कई घटनायें गोरखपुर में ऐसी उद्दंडता की हो चुकी हैं, तो इस बात को देखते हुये क्या उपाय किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस प्रकार की घटनायें तो किसी को अच्छी नहीं मालूम होतीं, लेकिन अब इस मुकदमे में क्या किया जाय यह तो वहां के अधिकारियों के ऊपर है । स्थिति के अनुसार जो उचित होगा वे, करेंगे । सरकार का यह प्रयत्न रहता है कि छात्र छात्राओं के प्रति ऐसी बातें न करें ।

फरेंदा तहसील में श्रीनगर ताल योजना

*३०—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सिंचाई मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या ५–६ दिनांक १४ फरवरी, १९६१ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आय उन्होंने १९५७ से १९६० तक श्रीनगर ताल, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर से दिखलाई है उसमें से कितनी सिंचाई-कर से मिली है और कितनी ताल के ठेके से ?

श्री राममूर्ति—श्रीनगर ताल से गत तीन वर्षों में जो आय हुई है वह केवल मछली, घास तथा फलों के नीलाम से ही हुई है । इस ताल पर अभी तक सिंचाई–कर नहीं लगाया गया है ।

*३१—**श्री अब्दुल रऊफ लारी**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना पर १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० में जो व्यय किया गया है, उसका विवरण क्या है ?

श्री राममूर्ति--इस योजना पर गत तीन वर्षों में जो व्यय किया गया उसका विवरण निम्न प्रकार है--

	पये
१९५७-५८	५१,९२७
१९५८-५९	११,७०१
१९५९-६०	६,५१८

*३२--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त श्रीनगर नहर योजना द्वारा सिंचित क्षेत्र में सिंचाई-कर किस दर से वसूल किया जाता है ?

श्री राममूर्ति--इस योजना पर सिंचाई-कर लागू करने का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब इस योजना पर सिंचाई-कर लागू नहीं है तो वहां पतरौल और जिलेदार किस बात के लिये रखे गये हैं और वे खेतों की नाप क्यों करते हैं ?

श्री राममूर्ति--क्योंकि कोई योजना जो सरकार ले लेती है उसमें एक व्यवस्था कायम करने के लिये और चीजों को ढंग में लाने के लिये पतरौल और जिलेदार सब वहां पर रहते हैं । यह प्रश्न ३२ के उत्तर में बतलाया गया है कि वहां पर आगे चलकर रेट लगाया जायगा । उसका एक प्रस्ताव सरकार के सामने है और जब तक सारे आंकड़े सही तरीके से न आ जायं, किसी नतीजे पर तब तक पहुंचना मुमकिन नहीं है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार कब तक इस योजना के अन्तर्गत खेतों पर सिंचाई-कर लगाने का है ?

श्री राममूर्ति--फरवरी सन् १९६० में मुख्य अभियन्ता की तरफ से एक रिपोर्ट आई है कि इस नहर के ऊपर सिंचाई-कर लगाया जाय और वह अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि इस नहर की योजना से कितनी जमीन के सिंचन की योजना है और कब तक इससे सिंचाई होने लगेगी ?

श्री राममूर्ति--सिंचाई उससे आज भी होती है । इसका कमान्ड एरिया ६,७०० एकड़ है और नहर की लम्बाई १० मील २ फर्लांग है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--हर साल ४, ५ साल से यह नपाई होती है । काश्तकार आतंकित हैं कि उनसे सिंचाई लगान एक दफा ले लिया जायगा इसलिये वे सिंचाई करते नहीं हैं । पानी सारा बेकार जाता है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करें कि जिस वक्त लगान मुकर्रर करेंगे उसके बाद लगान लिया जायगा या पिछले सालों का भी सारा लिया जायगा ?

श्री राममूर्ति--अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं इसलिये नहीं दे सकता कि वह चीज सरकार के विचाराधीन है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पानी बेकार नहीं जाता । सन् १९५३ से १९६१ तक के सिंचाई के आंकड़े मेरे पास हैं और उनसे पता लगता है कि हर साल सिंचाई होती जा रही है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--मान्यवर, आठ साल से ज्यादा से इस नहर से सिंचाई हो रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कब से यह मसला विचाराधीन है कि इस पर कर लिया जाय और कब तक इसका फैसला हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--उनके पूछने का मतलब यह है कि आप ८ साल का पिछला कर लेना शुरू कर देंगे या कब से लेना शुरू करेंगे ?

श्री राममूर्ति--मैंने अर्ज किया कि फरवरी, १९६० में यह रिपोर्ट सरकार के पास आयी है और अभी इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है कि पुरानी आबपाशी जो हो चुकी है उस पर कर लगाया जाय या नहीं ।

टाण्डा पम्प कैनाल की कप्तानगंज डी० वाई० नहर में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*३३--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में टांडा पम्प कैनाल की कप्तानगंज डी० वाई० नहर में ली गई भूमि का मुआविजा उक्त तहसील के हसनपुर व कादीपुर हरकेश ग्राम के किसानों को चार-पांच वर्षों से अभी तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो सरकार किसानों को मुआविजा दिलाने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति--(क) हसनपुर ग्राम--कुल मुआविजा १८० रुपये ५० नये पैसे का था, जिसमें १६० रुपये ८८ नये पैसे का मुआवजा बंट चुका है ।

कादीपुर हरकेश ग्राम--कुल मुआविजा ४४६ रुपये था, जिसमें ३७९ रुपये ५८ नये पैसे का मुआविजा बंट चुका है ।

(ख) शेष मुआविजा वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा की जा रही है ।

*३४--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नहर में ली गई भूमि का लगान किसानों से न लेने की व्यवस्था उन्होंने अब तक नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--व्यवस्था की जा चुकी है और वसूली नहीं की जा रही है ।

*३५--**श्री मुक्तिनाथराय**--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आजमगढ़ जिले में महुला-गड़वाल बांध में ली गई भूमि का लगान किसानों से न लेने की व्यवस्था उन्होंने अभी तक नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--व्यवस्था की जा चुकी है ।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ५,६ वर्ष पूर्व नहर में ली गयी भूमि का मुआवजा अभी तक मुआवजा अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है। तो इस देरी का क्या कारण है और कब तक उनको मुआवजा मिल सकेगा ?

श्री राममूर्ति--मुआवजा तो मैंने बतलाया कि करीब करीब सब बंट चुका है । देरी का कारण यह होता है कि जमीन के बड़े छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इसलिये कागज बनाने में काफी देरी लग जाती है ।

श्री मुक्तिनाथराय--मान्यवर, प्रश्न ३४ और ३५ में जो उत्तर दिया गया है यह गलत उत्तर दिया गया है । क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो नहर और बांध में भूमि ली गयी है उसका लगान किसानों से न लिया जाय यह व्यवस्था किस वर्ष से चालू की गयी है और कब से यह लगान नहीं लिया जा रहा है ?

श्री रामसूर्ति---मैं मोटे तौर से बतला सकता हूं कि करीब ३, ४ साल हुए जब हमारे यहां से इस बात का नोटीफिकेशन कर दिया गया था कि जब कोई जमीन ली जाय नहर अथवा बांध आदि के लिये तो उसका लगान लेना बंद कर दिया जाय। अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन अगर कहीं गलती से लगान ले लिया गया हो तो मेरे नोटिस में लाने पर उसको ठीक कर दिया जाता है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) ---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लगान किसानों से ले लिया गया है वह उनको कब तक वापस कर दिया जायगा ?

श्री रामसूर्ति---यह कायदा है कि जो मुआवजा दिया जाता है उसके साथ जो लगान वसूल कर लिया जाता है उसे भी वापस कर दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि क्या कारण है कि बार बार ऐसे आदेश के बावजूद भी मुआवजा अधिकारी मुआवजे के कागज तैयार नहीं करते और ५, ७ साल तक किसानों को मुआवजा देने में असमर्थ रहते हैं ?

श्री रामसूर्ति---मैंने इस बात को, अध्यक्ष महोदय, बार बार बतलाया कि जब कोई नहर निकाली जाती है तो वह सीधे तरीके पर निकल जाती है, उसमें किसी के खेत का एक बिस्वांसी, किसी का एक बीघा और किसी की एक एकड़ जमीन आ जाती है और उनके कागज इतने डिटेल के होते हैं कि लैंड एक्वीजीशन के कागज तैयार करने में काफी देर लग जाती है। अब बजाय ४ के ३२ अफसर नियुक्त कर दिये गये हैं, लेकिन बावजूद इसके भी काम में देरी होती है। लेकिन अगर कोई अनियमितता कहीं हो गयी हो तो मेरे नोटिस में लायी जाय, मैं उसे ठीक कर दूंगा।

रानीखेड़ा निवासी, श्री गौरीशंकर तम्बोली के घर डकैती

*३६---**श्री गुप्तारसिंह**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली की तहसील डलमऊ में थाना सरेनी के अन्तर्गत ग्राम रानीखेड़ा में गौरीशंकर तम्बोली के यहां १९६० में सशस्त्र डकैती पड़ी थी जिसमें दो आदमी जान से मार डाले गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

*३७---**श्री गुप्तारसिंह**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त डकैती में जो गैंग स्थानीय पुलिस ने पकड़ कर जेल भेजा था वह गलत था और दूसरा असली गैंग पुलिस ने जिला उन्नाव में पकड़ा ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस संबंध में जितने व्यक्ति पकड़े गए हैं उन सभी पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। अतः अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

*३८---**श्री गुप्तारसिंह**---क्या गृह मंत्री जी को यह ज्ञात है कि उपर्युक्त डकैती की जांच में थाना सरेनी के इन्चार्ज ने एक रिवाल्वर भी बरामद किया था ? अगर हां, तो वह कहां है ?

श्री रामस्वरूप यादव---एक बारह बोर एक नाली देशी पिस्तौल बरामद हुआ था। वह उन्नाव के सदर मालखाने में जमा है।

श्री गुप्तार सिंह---क्या सरकार को ज्ञात है कि दोनों गैंग जो रायबरेली और उन्नाव में पकड़े गये थे वे शिनाख्त के बाद छोड़ दिये गये ? जो कुछ व्यक्ति पकड़े गये थे और जिनको लोअर कोर्ट से सजा हो गयी थी वे भी क्या सेशन कोर्ट से छूट गये ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यह हो सकता है कि उत्तर आने के बाद छूट गये हों।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि रानीखेड़ा में जो डकैती पड़ी थी उस संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था किन्तु बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया, तथा उसका रिवाल्वर कहां पर पाया गया था और इस समय कहां पर है ?

श्री रामस्वरूप यादव—माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जमानत पर छूट गया, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है और इसलिये इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है। हां, एक पिस्तौल जरूर बरामद हुई थी जिसमें यू० एस० ए० के बने हुये कुछ हिस्से भी थे। वह उन्नाव के मालखाने में जमा है।

*३९-४१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[२ मई, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

आंझी-शाहाबाद सड़क पर लूटमार की घटना

*४२—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आंझी—शाहाबाद रोड पर १ जनवरी, १९५८ से अब तक कितनी लूट-मार की घटनायें हुई हैं ?

श्री चरण सिंह—आंझी—शाहाबाद रोड पर १ जनवरी, १९५८ से अब तक लूट मार की केवल एक घटना हुई।

*४३—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी घटनाओं को रोकने का सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री चरणसिंह—कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया गया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी।

करहल तहसील में तालों के पास बंजर भूमि

*४४—श्री रामदीन (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करगी कि जिला मैनपुरी की तहसील करहल में ऐसे कितने ताल हैं जिनमें बरसाती पानी भर जाने से उनके पास की अधिकांश भूमि बन्जर पड़ी रहती ह ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्रित की जा रही है।

नैनीताल जिले में कुछ नलकूपों का ठीक न चलना

*४५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला नैनीताल के हल्दूचौड़, तेजपुर नेगी तथा गोरा पड़ाव ग्रामों में निर्मित ट्यूबवेलों में पाइप लाइन नहीं डाली गई है, उनकी मरम्मत नहीं की गई है और सम्बन्धित गांवों को पीने के लिये पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राममूर्ति—हल्दूचौड़ तथा तेजपुर नेगी में पेय जल प्रदान करने के हेतु बनाये गये नलकूपों पर विभाग द्वारा डाली गई पाइप लाईन, जिससे संबंधित ग्रामों को जल पहुंचाया जाता है, सूचारु रूप से कार्य कर रही है।

गोरा पड़ाव का नलकूप भारत सरकार के Exploratory tubewell Organisation द्वारा सिंचाई हेतु बनाया जा रहा है।

*४६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम हरिपुर बच्ची, हल्दूचौड़ जिला नैनीताल तथा हल्द्वानी शहर में निर्माण किये जाने वाले ट्यूबवेलों में पिछले वर्ष से काम बन्द ह ? यदि हां, तो क्यों और वह कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति---ग्राम हरिपुर बच्ची (हल्दूचौड़ के निकट) और गोरा पड़ाव (हल्द्वानी के निकट) के नलकूप भारत सरकार के Exploratory tubewell Organisation द्वारा प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के लिये बनाये जा रहे हैं। इन नलकूपों पर काम बन्द नहीं है—इन पर पम्प तथा बिजली लगाने का कार्य क्रमशः Exploratory tubewell Organisation तथा State Electricity Board द्वारा किया जा रहा है।

हल्द्वानी शहर खास (proper) का भी नलकूप (Exploratory tubewell Organisation) द्वारा ही बनाया जा रहा है, किन्तु सरकार का इससे संबंध नहीं है क्योंकि इसको हल्द्वानी नगरपालिका बनवा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सूचना मानकर कि मैंने स्वयं हल्दूचौड़ ट्यूबवेल का निरीक्षण किया और मैंने देखा कि वहां अब भी पानी नहीं जा रहा है, क्या वे इस बात की जांच करायेंगे ?

श्री राममूर्ति---मैंने सवाल के उत्तर में बताया है कि जो पाइप लाइन सरकार की तरफ से डाली गयी हैं वे ठीक तरह से काम कर रही हैं, किन्तु कुछ एक्सटेन्शन प्लानिंग विभाग के जरिये हुआ है और इसका रखरखाव भी उसी विभाग द्वारा होता है, इसलिये ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य ने जिस नाली का निरीक्षण किया है वह वही है जिसे प्लानिंग विभाग ने बनवाया है। जिनको इरीगेशन विभाग ने बनाया है वे ठीक काम दे रही हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी ऐसी आज्ञा कोई देंगे कि प्लानिंग विभाग ने जो वहां कार्य किया है उसको इरीगेशन विभाग टेक ओवर कर ले ?

श्री राममूर्ति---इस सुझाव पर यकायक तो मैं कोई जबाव नहीं दे सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हल्द्वानी शहर में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल आर्गनाइजेशन द्वारा जो ट्यूबवेल बनाये जाते हैं उनका काम क्यों रुका हुआ है ?

श्री राममूर्ति---वह तो केन्द्रीय सरकार का आर्गेनाइजेशन है, उसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

*४७-४८---श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---[२ मई, १९६१ के लिए स्थगित किये गये।]

खीरी उपनिवेशन योजनान्तर्गत पुराने गांवों के नाम

*४९---श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी उपनिवेशन योजना के क्षेत्र में जो पुराने गांवों के नाम थे वह खसरा खतौनी से काट दिये गये हैं या नहीं ? यदि काटे गये हैं, तो किसके आदेश से और क्या सरकार उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह---जहां तक सरकार को ज्ञात हुआ है खीरी उपनिवेशन योजना क्षेत्र के अन्तर्गत पुराने गांवों के नाम खसरा खतौनी से नहीं काटे गये हैं।

मीरा थाना क्षेत्र में चोरियां तथा कत्ल सहित डकैतियां

*५०---श्री छेदीलाल (जिला खीरी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, थाना मीरा के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६१ से अब तक कितनी डकैतियां तथा चोरियां हुईं और कहां-कहां ?

नोट---तारांकित प्रश्न ४६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरणसिंह—उक्त अवधि में थाना भीरा के अन्तर्गत २ डकैतियां तथा ७ चोरियां हुईं डकैती ग्राम मंझो व ग्राम सोनारीपुर में एक एक हुई। चोरियां ग्राम (१) चकपसियापुर मजरा भीरा, (२) रतनापुर, (३) भानपुर, (४) पडरिया, (५) ढकिया मजरा शाहपुर, प्रत्येक में एक-एक तथा (६) भीरा खास में दो चोरियां हुई।

*५१—**श्री छेदीलाल**—क्या सकार कृपया बतायेगी कि भीरा थाने में भीरा खास में एक ही रात में पांच मकानों में डाका डाला गया और माल लूटा गया और लोगों के चोटें आयीं और वे डकैतियां चोरी में लिखी गईं जिस पर वहां की जनता तथा लुटने वाले लोगों ने कुछ-प्रार्थना-पत्र एस० पी० तथा जिलाधीश को दिये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह—१३-१४ दिसम्बर, १९६० की रात को एक मकान में डकैती पड़ी तथा चार दुकानों में ताले तोड़ कर चोरी की गई। जिस मकान में डकैत घुसे थे वहां के लोगों को डकैतों ने लाठियों से घायल भी किया था। पहले सभी घटना धारा ४५७ भा० दं० वि० में दर्ज की गई थी किन्तु बाद में जिस व्यक्ति के घर में डकैत घुसे थे उसके प्रार्थना-पत्र तथा जांच के फलस्वरूप वह घटना धारा ३९५ में बदल दी गई और शेष घटनाएं ४५७ में बनी रहीं। इस विषय में संबंधित थानेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

*५२—**श्री छेदीलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी, थाना भीरा, मौजा मझौरा में १९६१ में कोई डकैती हुई और एक अध्यापक की मत्यु हो गई? यदि हां, तो उस डकैती में क्या कार्यवाही की गई और कितने मुलजिम गिरफ्तार किये गये?

श्री चरणसिंह—जी हां। इस मामले में अभी जांच हो रही है। एक अभियुक्त पकड़ा जा चुका है।

मछरिया रेलवे स्टेशन के पास बाढ़ से बचाव के लिये इमारत

*५३—**श्री बुद्धीसिंह** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मछरिया रेलवे स्टेशन, तहसील मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद के पास जो इमारत बाढ़ से बचाव के लिये बनी है वह कब तैयार हुई और कितनी लागत से तैयार की गयी?

श्री राममूर्ति—यह बाढ़ पीड़ितों की शिविर, खड़गपुर बाजे नामक स्थान पर जून, १९५७ में, ११,५१४ रुपये की लागत से तैयार की गई।

*५४—**श्री बुद्धीसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त इमारत किस कार्य के लिये प्रयोग की जाती है?

श्री राममूर्ति—यह इमारत बाढ़ के समय बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिये तथा अन्य समय में स्कूलों के बच्चों के बैठने के काम आती थी। अब वह अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी है और किसी प्रयोग योग्य नहीं है।

*५५-५७—**श्री लोकनाथसिंह** (जिला वाराणसी)—[हटा दिये गये।]

नौगढ़ तहसील में सिंचाई साधनों की कमी

*५८—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार को पता है कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के उन गांवों में जो कूड़ा नदी के पूरब व घोघी नदी के दक्षिण में पड़ते हैं सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है?

श्री राममूर्ति—जी हां, कोई सुविधा नहीं है।

*५९—**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**—क्या सरकार वहां के किसानों की सुविधा के लिये कूड़ा नदी से पम्प नहर निकाल कर उन गांवों के लिये सिंचाई की व्यवस्था करने की कृपा करेगी?

श्री रामसूर्ति---निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है ।

[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ग्राम समाज कुरसण्डा के अन्तर्गत फलदार वृक्षों के काटने की घटना

*१---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि थाना कमलापुर, जिला सीतापुर में दिनांक २६ नवम्बर, १९५९ को ग्राम समाज कुरसन्डा के अन्तर्गत फलदार वृक्षों के बाग काटे जाने से संबंधित कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र थाना कमलापुर में प्राप्त नहीं हुआ ।

*२---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---यदि हां, तो क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि उक्त प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने पर फलदार वृक्षों को काटे जाने से रोकने की कोई कार्यवाही थाने द्वारा नहीं की गई ?

*३---क्या गृह मंत्री फलदार वृक्षों को काटे जाने से रोकने की कार्यवाही थाना कमलापुर द्वारा न किये जाने का कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठते ।

*४---१---श्री ऊदल---[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

मधुबन तथा कोपागंज थानों के विरुद्ध शिकायत

*६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें परशुरामपुर, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के निवासियों द्वारा भेजा हुआ कोई प्रार्थना पत्र प्रश्न-कर्त्ता के ३० अगस्त, १९६० के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है, जिसमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट न लिखने की शिकायत है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई है ?

श्री चरणसिंह---जी हां । सदस्य महोदय के उक्त पत्र के साथ श्री मुहम्मद, निवासी, ग्राम परशुरामपुर, थाना मधुबन के दो प्रार्थना-पत्र दिनांक २१ अगस्त, एवं २६ अगस्त, १९६० को प्राप्त हुए थे । उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित स्थानीय पुलिस के विरुद्ध लगाए आरोपों के विषय में सर्किल आफिसर द्वारा जांच की गई थी ।

*७---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें कोपागंज, जिला आजमगढ़ के निवासियों द्वारा २२ अगस्त, १९६० को भेजा हुआ कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के ३० अगस्त, १९६० के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है जिसमें पुलिस स्टेशन, कोपागंज के विरुद्ध रिपोर्ट न लिखने की शिकायत की गई है ?

श्री चरणसिंह---प्रश्नकर्त्ता महोदय के दिनांक ३० अगस्त, १९६० के पत्र के साथ कोपागंज निवासी श्री हरिश्चन्द्र गुप्त का इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था कि उन्हें संदेह है कि उनके यहां हुई चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की गई क्योंकि रिपोर्ट की प्रति बार-बार मांगने पर भी उन्हें नहीं मिली ।

तिब्बती शरणार्थियों का खीरी जिले में प्रवेश

*८---श्री शिवप्रसाद नागर---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, १९६० व जनवरी, १९६१ में जिला खीरी के नेपाल बार्डर में कुछ तिब्बती लोग आ गये हैं ? यदि हां, तो उस सीमा में वे किन स्थानों पर और किस प्रकार आये हैं ?

श्री चरणसिंह—जी हां। तिब्बती शरणार्थियों के तीन जत्थे, जिनमें कुल २२७ व्यक्ति थे, पिछले दिसम्बर तथा जनवरी में नैपाल होते हुये जिला खीरी के कोयराला घाट नामक स्थान पर आये।

*९—**श्री शिवप्रसाद नागर**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त तिब्बतियों को वहां से कहीं हटाने का विचार है या उसी स्थान पर बसाने का विचार है?

श्री चरणसिंह—कोयरालाघाट से उपरोक्त शरणार्थियों को पलिया नामक स्थान लाया गया। वहां से कुछ दिनों के बाद उन्हें उसी जिले के मामरी नामक स्थान पर ले जाया गया, जहां वे एक कैम्प में अब तक हैं। मामरी से भी उन्हें अन्यत्र हटाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

सितारगंज तहसील में बिगुलडैम योजना

*१०—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला नैनीताल में तहसील सितारगंज में "बिगुलडैम" को बनाने की योजना है? यदि हां, तो क्या उसकी रूप रेखा को वे सदन के सामने रखने की कपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—जी हां। इस योजना की रूप रेखा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३७ पर)

*११—**श्री प्रतापसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि तहसील खटीमा व सितारगंज (नैनीताल) में सिंचाई का क्या प्रबन्ध है?

श्री राममूर्ति—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३७ पर)

*१२—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[२० अप्रैल, १९६१ को प्रश्न ७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

सुभाष के कत्ल के मुकदमे में सेशन जज, बरेली द्वारा कड़ी आलोचना

*१३—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या गृह मंत्री को पता है कि बरेली के सेशन जज ने १० फरवरी, १९६१ को सुभाष के कत्ल के मामले में तीन मुलजिमों को बरी करते हुये निम्नलिखित स्ट्रिक्चर पास किया है:—

"Every link of the prosecution case was replete with disturbing features. There were strong indications of fabrication of evidence and the prosecution case modelled on certain pre-conceived lines. The investigation could not be characterised as above board.?"

श्री चरणसिंह—जी हां।

*१४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—यदि हां, तो सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री चरणसिंह—स्ट्रिक्चर्स के बारे में पुलिस रेगुलेशन के पैरा ५०० के अन्तर्गत जांच किये जाने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। जांच से यदि "स्ट्रिक्चर्स" कार्यवाही करने लायक पाये गये तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही होगी।

*१५—**श्री रामसुन्दर पांडेय** तथा **श्री गौरीशंकर राय**—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६—श्री अब्दुलरऊफ़ लारी—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१७—श्री ऊदल—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१८—१९—श्री झारखंडे राय—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

मेरठ, आगरा तथा बरेली क्षेत्रों में पुलिस कर्मचारियों के यहां चोरियां तथा डकैतियां

*२०—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५९ और १९६० में मेरठ, आगरा तथा बरेली रेंज के किस-किस थाने में पुलिस वालों के सरकारी क्वार्टरों में चोरियां या डकैतियां या मारपीट की घटनायें हुई हैं ?

श्री चरणसिंह—प्रश्नोत्तर बनाने में जो समय व श्रम लगेगा वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुये लाभप्रद न होगा ।

*२१—२२—श्री विश्रामराय—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

जहानाबाद परगने में सिंचाई प्रबन्ध

*२३—श्री प्रतापसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परगना जहानाबाद, जिला पीलीभीत में सिंचाई का इस समय क्या प्रबन्ध है ?

श्री राममूर्ति—परगना जहानाबाद, जिला पीलीभीत में लगभग ६२ मील लम्बी बड़ी तथा लगभग ६४ मील लम्बी छोटी सरकारी नहरें हैं । उक्त नहरों से औसत आबपाशी २४,९६० एकड़ भूमि की प्रति वर्ष होती है ।

मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को सुविधायें

*२४—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को कौन-कौन सी सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री चरणसिंह—मत्स्य जीवी सहकारी समितियों को जो सुविधायें दी जाती हैं, उनका विवरण संलग्न तालिका में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३३८ पर)

*२५—श्री उग्रसेन—[हटा दिया गया ।]

उदय प्रताप कालेज, वाराणसी में छात्र की हत्या

*२६—श्री मदन पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत १० मार्च को वाराणसी स्थित उदय प्रताप कालेज में किसी छात्र की हत्या दिन दहाड़े हुई है ?

श्री चरणसिंह—१० मार्च को नहीं बल्कि ९ मार्च, १९६१ को यह हत्या की घटना हुई थी ।

मेरठ, देहरादून तथा बुलन्दशहर जिलों में पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की बर्खास्तगी

*२७—स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९६१ में मेरठ, देहरादून और बुलन्दशहर जिलों में से कितने सब-इन्सपेक्टर्स सिविल पुलिस सर्विस से अलहदा किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—फरवरी, सन् १९६१ में मेरठ से एक, देहरादून से दो तथा बुलन्दशहर से एक सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस से अलहदा किये गये ।

*२८—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—इन सब-इंस्पेक्टर्स की सर्विस कितने-कितने वर्ष की थी तथा इनके खिलाफ क्या-क्या अभियोग थे और इनको सर्विस से अलहदा करने से कितने दिन पहिले नोटिस दी गई थी ?

श्री चरणसिंह—इन सब-इंस्पेक्टरों का क्रमशः सेवाकाल लगभग ७ वर्ष, ३ वर्ष, ५ वर्ष व १९ वर्ष था। इनमें से प्रथम तीन के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं थे तथा इन्हें सर्विस से अलहदा किये जाने के पूर्व नोटिस की जगह एक मास का वेतन दिया गया था। चौथे के विरुद्ध अयोग्यता तथा कर्तव्य-पालन में असावधानी व चूक के अभियोग थे। इन्हें विभागीय कार्यवाही के सिलसिले में शो काज़ (show cause) नोटिस दिये जाने के लगभग चार मास बाद पदच्युत कर दिया गया।

*२९—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या गृह मंत्री कपया बतायेंगे कि Temporary Sub-Inspectors, Civil Police के Terms of Service क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—अस्थायी सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नति, त्यागपत्र आदि के संबंध में पुलिस रेगूलेशन्स में दिये गये निदेश लागू होते हैं तथा इनको १ मास नोटिस देकर अथवा नोटिस के स्थान पर १ मास का वेतन देकर नौकरी से अलहदा किया जा सकता है।

*३०-३१—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*३२-३४—श्री लक्ष्मणराव कदम—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५—श्री रामसुन्दर पांडेय—[३ मई, १९६१ के लिये प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३६-३७—श्री मथुराप्रसाद पांडेय—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*३८-३९—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

माताटीला बांध में पायों का तोड़ा जाना

*४०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में बनें माता टीला बांध के पाये (जिनमें गेट लगना है) जो पत्थर के बने हैं (जिनमें एक-एक पत्थर ६४-६४ रुपये का लगा है) वह तोड़े जा रहें हैं ? यदि हां, तो उनके तोड़े जाने का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—बांध के पायों की फाल्स मेसनरी तथा बृज के ऊपर का भाग १०१२ से १,०२० फीट लेवल तक तोड़ा जा रहा है। इसमें फेस के पत्थरों का मूल्य १६ रुपये से ४८ रुपये तक प्रति पत्थर है। यह तोड़ाई पायों को १,०४० लेवल तक उठाने और गेट के एम्बेडमेन्ट पार्ट लगाने के लिये की जा रही है।

*४१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि बांध के ऊपर दक्षिण की ओर की सड़क कब से खुदी पड़ी है और आवागमन बन्द है ? उसके अब तक न बन सकने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—बांध के ऊपर दक्षिण ओर की सड़क २५ अक्तूबर, १९६० से खोदी गई। आवागमन २५ दिसम्बर, १९६० से १३ फरवरी, १९६१ तक बन्द रहा। बांध और रेम्प के बीच की सड़क पर काम छोटे-छोटे भागों में किया जा रहा है जिससे आवागमन बन्द न हो। इसी कारण सड़क अब तक न बन सकी।

*४२-४३--श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)---[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४--श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*४५--श्री राजेन्द्रसिंह---[हटा दिया गया।]

मत्स्य विभाग, गोंडा के अन्तर्गत जलाशय तथा कर्मचारी

*४६--श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में मत्स्य (मछली) विभाग के अन्तर्गत कितने तालाब, नदी तथा नाले हैं और उनकी देख भाल के लिये कितने कर्मचारी हैं ?

श्री चरणसिंह---गोंडा जिले में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत जलाशयों तथा वहां स्थित कर्मचारियों का विवरण क्रमशः संलग्न तालिका (क) तथा (ख) में दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३३९-३४० पर)

*४७--श्री गोविन्दसिंह विष्ट---[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*४८-४९--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

राजकीय कृषि फार्मों का आय-व्यय

*५०--श्री बंशीधर शुक्ल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितने राजकीय कृषि फार्म हैं उनमें कितने-कितने एकड़ भूमि है और पिछले दस वित्तीय वर्षों में यानी १९५०-५१ से १९६०-६१ तक प्रति फार्म में क्या क्या आमदनी और क्या-क्या खर्चा हुआ है ?

श्री चरणसिंह---पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है १९५८-५९ तक की सूचना मिली है उससे ज्ञात होता है कि १५४ फार्म थे। उनके आय और व्यय का विवरण जहां तक मिल सका है संलग्न †तालिका 'क' 'ख' और 'ग' में दिया है। कुछ फार्मों की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है वह बाद को दे दी जायेगी।

१९५९-६० की बैलेन्स शीट अभी इन फार्मों की तैयार नहीं है और १९६०-६१ का वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है वह ३१ मई को समाप्त होगा। इस कारण इन वर्षों की सूचना नहीं दी जा रही है।

२५ एकड़ के १३९ नये फार्म १९५९-६० और १९६०-६१ में खोलने का प्रयत्न किया गया है। इनके लिये भूमि प्राप्त (acquire) करने की कानूनी कार्यवाही ज्यादातर फार्मों की अभी समाप्त नहीं हुई है इसलिये वे अभी चालू नहीं हुये हैं। बहुत थोड़े से फार्म चालू हो सके हैं जिसकी निश्चित सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

*५१--श्री बंशीधर शुक्ल---[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२-५४--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५--श्री मथुराप्रसाद पांडेय---[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

---

†तालिकाएं छापी नहीं गई।

कृषि निदेशक के कार्यालय में अस्थायी कर्मचारी

*५६—श्री बसन्तलाल (जिला लखनऊ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि निदेशक के कार्यालय में तीन साल से अधिक काम करने वाले कितने अस्थायी कर्मचारी हैं ?

श्री चरणसिंह—११९ ।

*५७—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे तीन साल से अधिक काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये सरकार ने पिछले साल कोई आदेश निकाला था ? यदि हां, तो उस आदेशानुसार कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*५८—श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

हरदोई जिले में गोशाला के निकट राहजनी

*५९—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कपा करेगी कि मार्च, १९६१ के प्रथम सप्ताह में गोशाला के पास थाना कोतवाली, जिला हरदोई में एक भीषण राहजनी की वारदात हुई ?

श्री चरणसिंह—दिनांक ४–३–६० की शाम को एक व्यक्ति अपनी पत्नी, बच्चों व दो अन्य स्त्रियों के साथ होली मिलन के बाद ग्राम लहराई से लौट रहा था । रास्ते में १३–१४ डाकुओं ने उसे मारना पीटना तथा स्त्रियों के जेवर लूटना शुरु कर दिया । उनके शोर करने पर पास ही के गांव से कुछ लोग घटनास्थल पर आ गये और डाकुओं पर आक्रमण करके एक डाकू को पकड़ लिया । शेष डाकू भाग गये ।

*६०—श्री मन्नालाल—यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त वारदात के संबंध में पकड़े गये एक व्यक्ति को कोतवाली में इतना मारा गया कि उसकी कोतवाली ही में मारते मारते मृत्यु हो गई ?

श्री चरणसिंह—यह सही नहीं है कि उपर्युक्त घटना के संबंध में पकड़े गये अभियुक्त की मृत्यु थाना कोतवाली में पुलिस द्वारा पीटे जाने के कारण हुई ।

*६१–६३—श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६४—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६५–६७—श्री लोकनाथसिंह—[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

पचपेड़वा बाजार के बकरकसों की पुलिस के विरुद्ध कथित शिकायत

*६८—श्री धर्म पालसिंह (जिला गोंडा)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोंडा जिले के पचपेड़वा बाजार के बकरकसों ने लगभग दो सप्ताह से बकरा काटना बन्द कर दिया है तथा पुलिस के विरुद्ध जिलाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । पचपेड़वा बाजार के बकर कसों के साथ पुलिस ने न तो कोई ज्यादती की है और न उन्होंने बकरे काटना ही बन्द किया है । इन लोगों ने पुलिस के खिलाफ जिला अधिकारियों को कोई प्रार्थना-पत्र भी नहीं भेजे हैं ।

*६९-७१--श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)--[२ मई, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

पूर्वी जमुना नहर चालू रहने की अवधि

*७२--श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी जमुना नहर १ दिसम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक कितने दिन चालू रही ?

श्री राममूर्ति--९२ दिन।

मजोरा तथा बेलहर तप्पों में सिंचाई साधनों का प्रभाव

*७३--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तप्पा बेलहर तथा तप्पा मजोरा, तहसील बांसी, जिला बस्ती में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सिंचाई की क्या व्यवस्था की गई ? अगर कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो उसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इन तप्पों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि इन दोनों तप्पों का अधिकांश भाग कटा, फटा, नीचा तथा झीलों व तालाबों से भरा पड़ा है। जिले के अन्य भागों में सिंचाई की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक थी अतएव उन गांवों को प्राथमिकता दी गई। बिजली की लाइन दूर थी अतएव नलकूपों का लगाना भी व्यवहार्य नहीं था। अब तप्पा मजोरा में तीन नलकूप बनाने का निश्चय किया गया है क्योंकि तप्पा मजोरा के पास बिजली की लाईन आ गई है।

कृषि तथा पुलिस विभाग में परिगणित व बैकवर्ड क्लास के कर्मचारी

*७४--श्री रामदीन--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में प्रदेश भर में ३१ दिसम्बर, १९६० को कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी काम कर रहे थे और उनमें कितने परिगणित जाति के तथा कितने बैकवर्ड क्लास के थे ?

श्री चरणसिंह--आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७५--श्री रामदीन--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ३१ दिसम्बर, १९६० को पुलिस विभाग के अन्तर्गत कितने अधिकारी तथा कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्य कर रहे थे और उनमें कितने परिगणित जाति के तथा कितने बैकवर्ड जाति के थे ?

श्री चरणसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है।

लार थाने में रिपोर्ट न दर्ज करने की शिकायत

*७६--श्री उग्रसेन--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना लार, जिला देवरिया में दिनांक ७ मार्च, १९६० को डकैती तथा राहजनी में कितनी रपट दर्ज हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह--थाना लार, जिला देवरिया में दिनांक ७ मार्च १९६० को डकैती तथा राहजनी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।

*७७--श्री उग्रसेन--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसके पास जुलाई, १९६० के तीसरे सप्ताह में देवरिया के एक विधायक द्वारा भेजी हुई शिकायत आई थी कि उक्त तिथि को उपर्युक्त विषय की कुछ रपटें लार थाने में दर्ज नहीं की गईं ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, सरकार को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उसमानपुर ग्रामवासियों की माइनर नहर के लिये मांग तथा हरदोई जिले में नलकूप

*७८—**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गतवर्ष हरदोई जिले के ग्राम उसमानपुर व उसके समीप के ग्रामवासियों ने सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेज कर मांग की थी कि उनकी खेती के लिये सिंचाई का कोई साधन नहीं है अतः सिंचाई विभाग द्वारा एक माइनर का प्रबन्ध किया जाय? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—जी हां। इस गांव का रकबा सआदतनगर राजबहा और जाजूपार माईनर के कमांड में है और भलीभांति सींचा जा सकता है इसलिये नई माइनर बनाने की आवश्यकता नहीं पाई गई।

*७९—**श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में १९५६ से अब तक कितने ट्यूबवेल लग चुके हैं तथा आगामी पंचवर्षीय योजना में कितने ट्यूबवेल लगाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति—सन् १९५६ से अब तक हरदोई जिले में ४५ ट्यूबवेल बनाये जा चुके हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस जिले में कोई भी ट्यूबवेल बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

*८०—**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि**—क्या सरकार आगामी पंचवर्षीय योजना में लगाये जाने वाले ट्यूबवेलों की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

मनकापुर, छपिया तथा सादुल्लानगर थानों में कत्ल व डकैतियां

*८१—**श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह** (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोंडा जिले के निम्नलिखित थानों में १ जनवरी, १९५९ से १५ फरवरी, १९६१ तक कितनी डकैती और कत्ल हुये:—

(१) थाना मनकापुर, (२) छपिया तथा (३) सादुल्लानगर ?

श्री चरणसिंह—उक्त अवधि में मनकापुर थाने के अन्तर्गत डकैती की ३ और कत्ल की ८ घटनाओं की रिपोर्ट हुई। छपिया थाने में डकैती की कोई रिपोर्ट नहीं हुई और कत्ल की ५ घटनाओं की रिपोर्ट हुई। सादुल्लानगर थाने में डकैती और कत्ल की ३-३ घटनाओं की रिपोर्ट हुई।

फर्रुखाबाद जिले में नलकूप

*८२—**श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में कितने नलकूप बनने थे और कितने बन चुके हैं ?

श्री राममूर्ति—फर्रुखाबाद जिले में १९६०-६१ में आठ नलकूप बन चुके हैं तथा पांच और एलाट (allot) किये गये थे किन्तु उनके बनने के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

*८३—**श्री राजेन्द्रसिंह यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह नलकूप किस तहसील में किन-किन ग्रामों में बनेंगे और कब तक बन जावेंगे ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग के अस्थायी कर्मचारी

*८४—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में कितने कृषि निरीक्षक, सहायक कृषि निरीक्षक तथा कानूनगो हैं जिनको सेवा करते हुये पांच वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका है पर अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या ९४१ है।

बस्ती जिले में मुखलिसपुर पम्प कैनाल से सिंचाई

*८५—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती की मुखलिसपुर पम्प कैनाल द्वारा मई और जून, १९६० में कितने एकड़ जमीन की सिंचाई धान की फसल के लिये की गई थी ?

श्री रामसूर्ति—५७ एकड़।

*८६—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त क्षेत्र में नाथ नगर ब्लाक द्वारा इस वर्ष मार्च तथा अप्रैल में कितने क्षेत्र में धान की बोआई कराने की योजना बनाई गई है?

श्री रामसूर्ति—२१० एकड़ ।

मेंडिहुरा तालाब से नाला निकालने की आवश्यकता

*८७—श्री शीतला प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले की तहसील तरबगंज, ग्राम सभा जफरापुर के मेंडिहुरा तालाब से पानी निकालने के लिये एक नाला बनाने की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में थी परन्तु अब तक नाले की खुदाई नहीं हुई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामसूर्ति—ऐसी कोई योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं थी।

जिला कांग्रेस कमेटी, हरदोई का पुलिस के विरुद्ध प्रस्ताव

*८८—श्री मन्नालाल—क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायें कि क्या जिला कांग्रेस कमेटी, हरदोई ने सर्वसम्मति से पुलिस की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के संबंध में एक प्रस्ताव पास करके इसी वर्ष प्रधान, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गृह मंत्री को दिया है ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्राप्त हुई थी। इस प्रस्ताव में हरदोई जिले की पुलिस की अकर्मण्यता और बढ़ते हुये अपराधों का जिक्र था और सरकार से निवेदन किया गया था कि अपराधों की रोकथाम की व्यवस्था करे। प्रस्ताव की प्रतिलिपि डी०आई०जी० रेंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई ।

जटौआ तथा सागरपुर की डकैतियां

*८९—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम जटौआ, थाना भोजीपुरा, जिला बरेली में फरवरी, १९६० में जो डकैती पड़ी उसमें कितने धन की हानि हुई, कितने व्यक्ति डाकुओं की गोली से मारे गये और क्या उनके वारिसों को कोई सहायता दी गई ?

श्री चरणसिंह—यह डकैती दिनांक २६/२७ फरवरी, १९६० की रात को श्रीमती मौना तेली के मकान पर हुई। इसमें केवल ३० रुपये के माल (एक हंसुली) की हानि हुई। डाकुओं की गोली से एक व्यक्ति मारा गया। उसके वारिसों को कोई सहायता नहीं दी गई।

*९०—**श्री टीकाराम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, १९६० में थाना भोजीपुरा, जिला बरेली के ग्राम सागरपुर में पड़ी डकैती में कितना धन लूटा गया और क्या कोई मारा भी गया? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि यह गांव जो थाने से १॥ मील पर ही था वहां पुलिस मदद को गई या नहीं?

श्री चरणसिंह—जी हां, यह डकैती सागरपुर निवासी श्री तोताराम के मकान पर हुई। इसमें कुल ९०४ रु० ५० न० पै० का माल लूटा गया तथा डाकुओं द्वारा एक व्यक्ति मारा गया। जिस समय डकैती पड़ रही थी उसकी सूचना पुलिस को नहीं थी। प्रातः ३ बजे ग्राम चौकीदार से सूचना प्राप्त होते ही पुलिस घटनास्थल पर गई और उसने आगे उचित कार्यवाही की।

जलालाबाद तहसील में सिंचाई के कुयें

*९१—**श्री रूम सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में सिंचाई के लिये सरकारी कुयें कितने बने हैं और उनसे १९५९–६० तथा १९६०–६१ में कितनी भूमि की सिंचाई हुई और कितना रुपया सरकार को सिंचाई-कर का प्राप्त हुआ?

श्री राममूर्ति—१७ कुयें। इन कुओं से सन् १९५९–६० तथा १९६०–६१ में उक्त तहसील में ६,७५८ एकड़ भूमि की सिंचाई की गई तथा ५२,०५१.२५ रुपये सिंचाई-कर का प्राप्त हुआ।

*९२—**श्री रूमसिंह**—क्या सरकार यह बतायेगी कि तहसील जलालाबाद में जो कुयें बने हैं उनकी गूलें हर कुये पर कितनी-कितनी लम्बाई में पक्की बना दी गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—यह सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३४१ पर)

कानपुर-लखनऊ सड़क पर बिचपुरी के निकट ट्रक दुर्घटना

*९३—**श्री होरीलाल यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च के प्रथम सप्ताह में जिला उन्नाव में हसनपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम बिचपुरी के पास कानपुर से लखनऊ जाने वाली सड़क पर मोटर ठेला दुर्घटना हुई थी? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह—दिनांक १ मार्च, १९६१ को उक्त सड़क पर ग्राम बिचपुरी के पास कुछ बैलगाड़ियों के एक ट्रक से टकरा जाने के फलस्वरूप दुर्घटना हुई थी।

उक्त घटना के संबंध में १–३–६१ को धारा २७९/३३७/४२९ भा०दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके पुलिस ने जांच की। जांच से दुर्घटना आकस्मिक (accidental) पाई गई, इसलिये जांच समाप्त करके अंतिम रिपोर्ट लगाई गई।

मैनपुरी कैनाल डिवीजन से ठेकेदारों के प्रार्थना-पत्र

*९४---श्री रामदीन---क्या यह सत्य है कि जिला मैनपुरी के कैनाल डिवीजन, मैनपुरी के कुछ ठेकेदारों ने सरकार के पास इस आशय के प्रार्थना-पत्र कि उनके किये हुये काम का पैसा दिलाया जाय, १९५८-५९, १९५९--६० और १९६०-६१ में सरकार के पास भेजे हैं? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति---सन् १९५८-५९ व १९५९-६० में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सन् १९६०-६१ में दो प्रार्थना-पत्र अवश्य प्राप्त हुये हैं जिनमें से एक पर विभाग द्वारा निर्णय किया जा चुका है तथा एक अभी विचाराधीन है।

सादीपुर ग्राम से ड्रेन निकालने की स्वीकृति

*९५---श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सादीपुर, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से पानी निकालने के लिये जिस ड्रेन की मंजूरी हुई थी उसके बनने में क्या रुकावट है और उस पर कार्य कब तक शुरू किया जायेगा?

श्री राममूर्ति---इस ड्रेन की लम्बाई केवल एक मील है। हाल ही में इस संबंध में सरकार ने यह निश्चय किया है कि पांच मील से कम लम्बी नालियों की खुदाई (earth work) संबंधित ग्राम सभायें श्रमदान द्वारा करेंगी जिसके पश्चात् पक्का काम (masonry work) सरकार द्वारा किया जायगा। इसलिये प्रस्तावित ड्रेन की खुदाई का काम अब संबंधित ग्राम सभा की जिम्मेदारी है।

फर्रुखाबाद जिले में नलकूप नं० ९ का बन्द हो जाना

*९६---श्री रामशरण यादव---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के ट्यूबवेल नं० ९ से पिछले लगभग १० दिनों से--२५ फरवरी, १९६१ से ६ मार्च, १९६१ तक काश्तकारों को पानी न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति---६ मार्च, १९६१ को छोड़ कर, जब कि नलकूप बिजली की खराबी के कारण बन्द रहा, अन्य दिनों में जब भी पानी मांगा गया नलकूप से पानी दिया गया।

*९७---श्री रामशरण यादव---क्या यह सही है कि कुछ व्यक्तियों ने उसका इंजन जला दिया है?

श्री राममूर्ति---जी नहीं।

हथगांव नहर से पानी मिलना

*९८---श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा सिंचाई योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद ब्रांच नहर में हथगांव नहर से कब तक पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध हो सकेगा?

श्री राममूर्ति---इस वर्ष के अन्त तक आशा की जाती है।

तारांकित प्रश्न

चित्तौरगढ़ बांध योजना

१---श्री दशरथप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की तहसील बलरामपुर के अंतर्गत चित्तौरगढ़ बांध योजना में कितनी एकड़ जमीन काश्तकारों से ली जायेगी, उनको अन्य जमीन बदले में देने के लिये सरकार क्या प्रबंध करेगी और उपर्युक्त बांध से कितने एकड़ जमीन की सिंचाई किन-किन गांवों में होगी?

श्री राममूर्ति—इस योजना में ६२० एकड़ कृषि-योग्य भूमि ली जायगी। बदले में जलाशय के ऊपरी किनारे पर हर साल निकलने वाली खेती योग्य भूमि दिये जाने की सम्भावना पर विचार हो रहा है।

इस बांध से २०,९०९ एकड़ भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है।

गांवों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३४२ पर)

२—**श्री दशरथप्रसाद**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चित्तौरगढ़ बांध कितनी लागत और कितने समय में तैयार होगा ?

श्री राममूर्ति—लगभग १०२ लाख रुपये। और १९६४–६५ तक पूर्ण होने की आशा है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में ही मैं आपका ध्यान नियम ३९ (२) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज जो प्रश्नों की सूची है उसमें चार किस्म के प्रश्न हैं जिसमें एक नत्थी 'क', दूसरी 'ख', तीसरी 'ग' और एक 'घ'। मैं आप का ध्यान सूची (ग) की तरफ़ आकर्षित करना चाहता हूं। नत्थी 'ग' में जो प्रश्न आये हैं उसमें नीचे लिखा है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न"।

मैं आपकी आज्ञा से ३९ (२) नियम को पढ़ना चाहता हूं—

"किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिए वह सूची बद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुये उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगे।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ यह जानकारी कराना चाहता हूं कि इस नियम में प्राथमिकता का शब्द कहीं नहीं आया है। जो प्रश्न स्थगित कर दिये गये वह ५९ प्रश्न हैं और जो प्राथमिकता में आने चाहिए थे. . . .

श्री अध्यक्ष—आप मेरे दफ्तर में आ जायं, वहां उसके बारे में बातचीत होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां क्यों सदन का समय लिया जाय ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—प्रश्नोत्तर सम्बन्धी मेरा निवेदन यह है कि आप के दफ्तर से जानकारी हुई है कि हाउस में पौने ११ बजे आने पर प्रश्नों के उत्तर दिये गये। आपके दफ्तर में ८ बजे के बाद प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। हम लोगों के सामने बड़ी दिक्क़त है कि ११ बजे हम हाउस में आवें उस वक्त उत्तर दिया जाय तो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स कैसे तैयार हो सकेंगे और आपका सचिवालय वितरण का कैसे प्रबन्ध कर सकेगा ? आपने बारबार सरकार को चेतावनी दी है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हुआ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो हमारे प्रश्न होते हैं वह कब आवेंगे ? नया सदन तो बैठता नहीं है। जब कभी हमारे प्रश्न आते हैं वह ८०–९० नम्बर पर रख दिये जाते हैं, हमें कभी अवसर ही नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष—आप के सवाल और जवाब छप जायंगे।

श्री बंशीधर शुक्ल—जब तक जवाब सदन में न आवे उस वक्त तक क्या फायदा ? आप जितने सवाल ले सकते हों, उतने ही रखे जायं, वरना यहां रखने से क्या नतीजा निकलता है ? यह तो आपकी प्रसन्नता के ऊपर है।

श्री शिवप्रसाद नागर—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें।

वित्त विभाग की विज्ञप्तियां†

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—मैं वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्यायें एस० टी०—१३६३/१०—१०४५ (१९)—६०, एस० टी०—१३६४/१०—१०४५ (१९)—६०, तथा एस० टी० १३६५/१०—१०४५ (१९)—६०, दिनांक ५ अप्रैल, १९६१ के अधीन प्रख्यापित विज्ञप्तियों को उत्तर प्रदेश विक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३—ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

कानपुर की जाजमऊ स्थित टैनरियों में मजदूरों की हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्रम उप-मंत्री (श्री वसी नकवी)—अध्यक्ष महोदय, चमड़ा मिल मजदूर यूनियन, कानपुर ने ९ फरवरी, १९६१ को स्टार टेनरीज के सेवायोजकों को हड़ताल की नोटिस दी जो कि बाद में प्रादेशिक संराधन अधिकारी, कानपुर द्वारा दिनांक २१ फरवरी, १९६१ को समझौता हो जाने के कारण वापस ले ली गयी। इसके पश्चात् एक भूख हड़ताल की नोटिस दिनांक १२ अप्रैल, १९६१ को फिर से सेवायोजकों को श्री महावीर प्रसाद पांडेय, मंत्री, यू० पी० चमड़ा मिल कर्मचारी सभा, जो कि एक अप्रमाणित यूनियन है और चमड़ा मिल मजदूर यूनियन की फूटी संस्था है, ने दिया। हड़ताल की नोटिस दिये जाने के ठीक दो दिन बाद दिनांक १४ अप्रैल, १९६१ को उन्होंने भूख हड़ताल आरम्भ कर दी। श्री पांडेय के भूख हड़ताल की नोटिस में निम्नलिखित मांगे थीं :

(१) वेतन में बुनियादी वेतन व मंहगाई भत्ता दोनों अलग-अलग करके दिये जायं।

(२) उन सभी श्रमिकों को जिनका नौकरी का दाखिला एक साल से ऊपर हो चुका है परमानेन्ट किया जाय।

(३) परमानेन्ट श्रमिकों की कोई बैठकी न की जाय। यदि उन्हें बैठाया जाता है तो कम्पनी उन्हें पूरा वेतन दे।

(४) सन् १९६१ के माह जनवरी, फरवरी व मार्च में चूना विभाग, रंग गोदाम और बैठलाई डिपार्टमेन्ट के श्रमिकों के तालाबंदी के कारण जितने दिन बेकार रहे हैं उतने दिनों का पूरा वेतन दिया जाय।

२—मांग संख्या २ के प्रश्न पर विचार दिनांक २१ फरवरी, १९६१ के समझौते के अनुसार हो रहा था जिसके अनुसार कुछ सूचना सेवायोजकों को श्रम विभाग को देनी थी तथा जिसके अनुसार प्रत्येक विभाग की स्थायी संख्या को निश्चित करना था। तीसरी मांग जो कि प्ले आफ के सम्बन्ध में है, सेवायोजकों ने उस समझौते में एक आश्वासन दिया था कि वे पूर्णरूप से प्ले आफ संबंधित कानून के उपबन्धों का पालन करेंगे। भूख-हड़ताल की नोटिस में कोई ऐसा दृष्टांत नहीं दिया गया जिसमें प्ले आफ के मुआवजे से सम्बन्धित कानूनी प्रतिबन्धों का पालन न किया गया हो। जहां तक चौथी मांग का संबंध है उन विभागों के कुछ मजदूर कुछ काल के लिये अवश्य बेरोजगार रहे। फिर भी दोनों पक्षों में प्रादेशिक संराधन अधिकारी, कानपुर के समक्ष यह तय हो गया कि चमड़ा मिल मजदूर यूनियन बेरोजगारी के काल की मजदूरी के भुगतान से संबंधित विवाद को संराधन समिति को भेजेगी। तब भी श्री पांडे ने एक फूट संस्था को बनाया और भूख-हड़ताल आरम्भ कर दी।

---

†छापी नहीं गईं।

३—१७ अप्रैल, १९६१ को स्टार टैनरीज के सभी मजदूरों ने, सिवाय क्लेरिकल तथा वाच ऐण्ड वार्ड कर्मचारियों के, अचानक हड़ताल की। चमड़ा मिल मजदूर पंचायत के एक पदाधिकारी, श्री जी० एन० मिश्रा, ने भी हड़ताल में अपना योग दिया। २० अप्रैल को जाजमऊ के विभिन्न टैनरीज के फाटकों पर पिकेटिंग की। पिकेटिंग करने वाले प्रत्येक कारखानों में घूम-घूम कर उनको बन्द कराते गये। जे० के० रेयन फैक्टरी, कानपुर के कुछ हड़ताली मजदूरों ने भी उनकी मदद की। इस प्रकार २० तारीख को यू० पी० टैनरीज को छोड़ कर, जहां हड़ताल आंशिक थी, जाजमऊ की तमाम टैनरीज में करीब-करीब पूर्ण हड़ताल कर दी गयी। २१ अप्रैल को उपस्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, परन्तु २२ तारीख को उपस्थिति फिर गिर गयी। २४ अप्रैल को बड़ी टैनरीज चल रही थीं और उनमें उपस्थिति २५ प्रतिशत थी, लेकिन छोटी टैनरीज में उपस्थिति बहुत कम थी।

४—स्टार टैनरीज के कर्मचारियों को छोड़ कर हड़तालियों ने कोई औपचारिक नोटिस अपनी मांगों के सम्बन्ध में नहीं दी है। वैसे तारीख २० अप्रैल को उन्होंने एक आम सभा की जिसमें १३ मांगें पेश कीं। स्थिति को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में जो कठिनाई है वह यह है कि यूनियनें कई एक हैं जिनमें से हर एक टैनरीज में रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करती हैं। इन्होंने औपचारिक नोटिस अपनी मांगों तथा हड़ताल पर जाने के सम्बन्ध में नहीं दिया है। अतः हड़ताल पूर्ण रूप से अवैधानिक है। मांगें केवल स्टार टैनरीज, कानपुर के सेवा योजकों को ही दी गयी हैं। इस टेनरी के मालिक इस समय उपलब्ध नहीं हैं। रिप्रेजेंटेटिव यूनियन्स के न होने की दिक्कत के अलावा सेवायोजक इस अवस्था में नहीं हैं कि वे बात चीत कर सकें, क्योंकि उनको कोई औपचारिक मांगें नहीं दी गयीं। श्रम विभाग के अधिकारीगण फिर भी दोनों पक्षों से सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं ताकि झगड़े का निपटारा हो सके।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीया मंत्राणी जी इस बात को देखते हुये कि कंसीलियेशन आपस में नहीं हो सका तो क्या उन मांगों को एडजूडीकेटर के सुपुर्द करने पर वह विचार कर रही हैं, या स्वयं त्रिदलीय सम्मेलन बुला कर, श्रमिकों और मालिकों को अपने सामने बुला कर, इसे तय कराने पर विचार कर रही हैं ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)— अभी हमारे लोकल आफिसर्स का काम जारी है। जब वे रिपोर्ट करेंगे कि कंसीलियेशन नहीं हो सकता तो आगे सोचा जायगा।

श्री मदन पांडेय—माननीया मंत्राणी जी के उत्तर से स्पष्ट है कि कंसीलियेशन नहीं हो सका, तो मैं पुनः यह पूछना चाहूंगा कि कंसीलियेशन के लिये क्या सरकार त्रिदलीय सम्मेलन बुला कर निकट भविष्य में विचार करेगी ताकि हड़ताल खत्म हो जायं और ५,००० मजदूर काम पर लगें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—आपने जो कंक्लूजन निकाला कि कंसीलियेशन नहीं हो सका, इससे हम सहमत नहीं हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—इस टेनरी की हड़ताल के फलस्वरूप कितने आदमी हड़ताल में शरीक हुये और कितने दिन के श्रम की हानि हो चुकी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—क़रीब २,५०० आदमी शामिल हैं।

श्री एस० जी० दत्त० (जिला कानपुर)—क्या कुछ हड़ताली कारखानों में जाने लगे हैं और कुछ बाहर हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वह तो रिपोर्ट में भी बतलाया गया है कि बड़े कारखानों में २५ फीसदी प्रेजेंट हैं और छोटों में भी कुछ हैं।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)---हड़ताल में कितने मजदूर शामिल हुये और कितने काम पर जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---दोनों बातें उन्होंने बता दी हैं ।

श्री उमाशंकर शुक्ल---क्या सरकार को जानकारी है कि वहां पुलिस पोस्ट कर दी गई है और जिन मजदूरों की संख्या बताई है कि वे काम पर जा रहे हैं उनको पुलिस जबरदस्ती खींच कर काम पर ले जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---दफा १४४ लगी हुई है । मगर यह मुझे मालूम नहीं है कि पुलिस किसी को जबरदस्ती खींच कर काम पर ले जा रही है। आई० एन० टी० यू० सी० के यूनियन वाले काम करने के लिये बहुत खुशी से जा रहे हैं, यह मेरी इत्तिला है ।

श्री मदन पांडेय---यू० पी० टैनरी, न्यू इंडिया टैनरी, और भी टैनरीज में मजदूरों को काम पर जाने के लिये विवश करने के लिये मजदूरों का पानी और बिजली काट दिया गया है और उनके घरों की औरतों को काम पर आने के लिये मजबूर किया जा रहा है सरकार के पास ऐसी इत्तला है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---अपने पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---मजदूरों के प्रतिनिधियों ने जो यह कहा है कि यदि उनकी १३ मांगों में से ३, ४ मुख्य मांगें स्वीकार कर ली जाती हैं तो वे हड़ताल वापिस ले लेंगे, तो क्या इसके लिये सरकार कुछ कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---हमारे लेबर कमिश्नर बातचीत कर रहे हैं। उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट आने पर कुछ बताया जा सकेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है कि इस टैनरी के मालिक उपलब्ध हो सकें और उनसे कन्टैक्ट हो कर बातचीत हो सके ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---एक ही टैनरी के मालिक मौजूद नहीं हैं, स्टार टैनरी के। उनके मैनेजर से बातचीत हो रही है ।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार मेरे इस प्रश्न को सूचना मानकर कि वहां स्त्रियों को काम करने के लिये जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है उनकी बिजली और पानी काटकर, मंत्राणी जी स्वयं वहां जा कर २, ३ दिन में, इस स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---मैं इसकी जांच करा लूंगी कि यह कहां तक सही है कि उनको इस तरह मजबूर किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष---अब यह प्रश्न समाप्त किया जाता है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मैंने कई दफा कानपुर की जे० के० रेयन मिल के बारे में दफा ५२ का नोटिस दिया है, साथ ही यह टैनरीज का भी सवाल है। दफा ५२ का हमारा प्रयत्न विफल हो रहा है....

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय खैराबाद की मूर्तियों के बारे अगले हफ्ते में जवाब देने को कहा था, तो कौन से दिन दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---मैंने उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया है। दो-एक रोज में उसका जवाब दे दिया जायगा ।

१९६१–६२ के लिए लोक लेखा समिति में कार्य करने के लिये पांच सदस्यों के निर्वाचनार्थ विधान परिषद् से संस्तुति के लिये प्रस्ताव

श्री नारायणदत्त तिवारी—(जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के पांच सदस्यों को विधान सभा की लोक लेखा समिति में १९६१–६२ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे पांच सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के पांच सदस्यों को विधान सभा की लोक लेखा समिति में १९६१–६२ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे पांच सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

स्थायी समितियों प्राक्कलन एवं लोक लेखा समितियों के नाम-निर्देशन-पत्रों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं स्थायी समितियों, प्राक्कलन और लोक लेखा समितियों के बारे में इतनी सूचना देना चाहता हूं कि उनकी सूक्ष्म परीक्षा हो जाने के बाद जो नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त हुए उनकी संख्या यह है। मैं नाम तो नहीं पढ़ता हूं, केवल संख्या बताये देता हूं।

समितियों के नाम	स्थानों की संख्या	नाम-निर्देशन-पत्रों की संख्या
लोक लेखा समिति	२१	६८
प्राक्कलन समिति	२५	६८
हरिजन स्थायी समिति	१६	२०
शरणार्थी स्थायी समिति	१६	१७
सामान्य प्रशासन स्थायी समिति	१६	२३
सार्वजनिक निर्माण स्थायी समिति	१६	३४
सिंचाई स्थायी समिति	१६	३२
विद्युत् स्थायी समिति	१६	२२
शिक्षा स्थायी समिति	१६	३१

अब ये जितनी समितियां हैं सब में स्थान १६, १६ हैं और मैं नाम-निर्देशन-पत्रों की संख्या सुनाये देता हूं।

श्रम २३, वन २३, माल २५, न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति २१, कृषि तथा पशुपालन २१, आबकारी २५, जेल २०, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति २५, स्थानीय-स्वशासन संबंधी संस्थायें २४, सूचना २०, रसद १९, पुलिस ३३, यतायात २७, उद्योग ३०, विकास तथा नियोजन स्थायी समिति ३०, सहकारी स्थायी समिति में २५ सदस्य, समाज कल्याण स्थायी समिति में २० सदस्य और राष्ट्रीय एमप्लायमेंट स्थायी समिति में २० सदस्य।

इनमें जिन सदस्यों को अपने नाम वापस लेने हों वे २८ अप्रैल तक वापस ले सकते हैं और अगर चुनाव की आवश्यकता होगी तो वह ४ मई को होगा।

१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—अभियंत्रण संस्थायें

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ६५,८४,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ६५,८४,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की योजनायें

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १६,९५,३८,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३—राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १६,९५,३८,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१२१,

विपक्ष में—११।)

अनुदान संख्या ९—अन्य कर और शुल्क

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—श्रीमन्, इस अनुदान संख्या ९ के संबंध में यह तय हुआ था कि इस पर भी गिलोटीन होगा। लेकिन मालूम पड़ता है कि प्रेस या दफ्तर की भूल से वह रह गया है। उसको भी गिलोटीन करने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, आप पेश कीजिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ७,६२,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ७,६२,७०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६—विद्युत् योजनायें अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजी गतलागत

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—विद्युत् योजनायें अधिष्ठान के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १,८८,३२,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

म राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ६,४५,८९,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि १ अप्रैल, १९५९ को इस सरकार ने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनाया था और उस समय यह निश्चित कर दिया था कि रिहन्द डैम को छोड़कर तमाम जितनी भी विद्युत् योजनायें सरकार के पास हैं वे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दी जायगी और उस समय सरकार, जो घाटा १,३७,४२,७०० रुपये का होगा, ग्रान्ट के तौर पर देगी और ५ सालों में २० प्रतिशत घटाते-घटाते उसको खत्म कर देगी। उसी हिसाब से इस वर्ष ८४,४५,६०० रुपया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सरकार देगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को यह भी कहा गया है कि वह ऐसा इन्तजाम करे कि यह घाटा पूरा हो जाय और वह विभाग को अच्छी तरह से चला सके।

मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि हम द्वितीय प्लान में जितनी बिजली पैदा करना चाहते थे, वह हम पैदा नहीं कर पाये, क्योंकि उस समय हमारे सामने जो स्कीम्स थीं उनमें से जमुना हायडल स्कीम, माताटीला बांध की स्कीम और हरदुआगंज थरमल प्लान्ट लगाने की स्कीम्स थी, ये हमारी स्कीम्स पूरी न हो सकीं। जमुना हायडल स्कीम हमारी जब चल रही थी तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमसे यह कहा गया कि वे उसके नीचे एक कोंच नामक बांध बांधने जा रहे हैं जो बहुत बड़ी स्कीम थी और सम्भावना थी कि इस बांध के बन जाने से जमुना स्कीम का बहुत ज्यादा हिस्सा डूब जायगा। तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से हमको यह कहा गया कि इसको आप स्थगित कर दीजिये जब तक कि यह तय न हो जाय कि यह कोंच बांध यहां बनेगा या नहीं। ऐसा ही माताटीला के साथ भी हुआ। माताटीला स्कीम तैयार हो गयी और बांध भी बन गया। लेकिन उसके लिये हमें फारेन एक्सचेंज नहीं मिला। हरदुआगंज के साथ भी यही दिक्कत हुई। नतीजा यह हुआ कि पहले प्लान के आखिर में हमारे पास २३६ मेगावाट बिजली थी और सेकेंड प्लान के आखिर में २९६ मेगावाट बिजली रही। बिजली की इतनी ज्यादा कमी होगी, यह आशा हम नहीं करते थे। हमने अब जो स्कीम बनायी है वह तीसरे प्लान में पूरी हो जायगी। अभी हमारे यहां बिजली बहुत कम है। इस प्लान में हमने करीब-करीब १६०.५९ करोड़ रुपया बिजली के लिये रखा है और उसके हिसाब से करीब-करीब ७७५ मेगावाट बिजली बनाने की हमारी स्कीम है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो रिहंड डैम की स्कीम थी वह करीब-करीब तैयार है और बहुत जल्द बिजली देने लगेगी। जमुना स्कीम भी इसी प्लान में पूरी हो जायगी, क्योंकि उसके लिये पंजाब वालों ने लिखा है और हमारा काम वहां प्रारम्भ हो गया है। माताटीला के लिये भी फारेन एक्सचेंज मिल गया है और हरदुआगंज का जो स्टेज नं० १ है उसकी तो ऐसी हालत है कि चूंकि उसके लिये हमें कुछ फारेन एक्सचेंज भी मिल गया है, और हम आशा करते हैं कि सन् १९६२ के जून तक नं० १ स्टेज डेफिनिटली पूरा हो जायगा और उससे हमारे प्रान्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

को बिजली मिलने लगेगी। इसके साथ ही साथ हमें बिजली की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। इसके लिये रिहंद डैम के साथ ही ओबरा डैम पर थर्मल पावर स्टेशन और एक हाइडल पावर स्टेशन बनाने की भी योजना है जिससे ढ़ाई लाख किलोवाट बिजली तैयार होगी। इस के एक्सपर्ट की सहायता से ही थर्मल पावर स्टेशन बनाया जायगा।

(इस समय १२ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुये।)

श्रीमन् आपके द्वारा मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि ओबरा के पास ही एक जगह है। सिंगरौलीजहां पर कोयले की बड़ी भारी खान है, वहीं से कोयला लाने की स्कीम है। यह स्कीम है कि रिहन्द डैम से जो पानी छूट कर आता है उससे ओबरा के पास एक छोटा सा बांध बना कर हाइडल से बिजली तैयार की जाय और इससे हमें २० हजार किलोवाट बिजली और मिल जायगी। हमारी स्कीम यह है कि रिहन्द डैम से ओबरा थर्मल पावर स्टेशन और हाइडल पावर स्टेशन होते हुये एक ट्रांसमिशन लाइन इलाहाबाद से होते हुए कानपुर तक ले आवें। यह ऐसी स्कीम है जो हरदुआगंज तक जायगी जिससे हमारे पूरे यू० पी० में बिजली की स्कीम पूरी हो जायगी। हम ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, ओबरा हाइडल पावर स्टेशन तथा हरदुआगंज से २६० हजार किलोवाट बिजली तथा पूरे पेसा से १५ हजार किलोवाट बिजली की आशा दूसरे प्लान में करते थे। जैसा मैंने कहा हमारी यह स्कीम है कि थर्ड प्लान में हम ७ लाख ७५ हजार किलोवाट बिजली तैयार कर लें तो जो कमी सेकेंड प्लान में रह गयी थी वह कमी हम बहुत कुछ इसमें दूर कर सकेंगे। हमारी यह भी स्कीम है कि थर्ड प्लान के अन्दर हम १,५०० गांवों को बिजली दें। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने तय किया है कि अपने यहां की बिजली की स्थिति को देखते हुए यहां लाइसेंस के कुछ तरीके निकाले जाय। आज लाइसेंसी तीन किस्म के होते हैं। एक लाइसेंसी तो ऐसे हैं जो बिजली बनाते हैं, अपना उनका स्टेशन है, एक लाइसेंसी ऐसे हैं जो बिजली बनाते हैं और थोड़ी हम से लेकर बांटते हैं और तीसरी किस्म के लाइसेंसी वह हैं जो केवल हम से लेकर ही बिजली बांटते हैं। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सलाह दी है कि यह तीसरी किस्म के जो लाइसेंसी हैं, अगर बिजली बोर्ड के पास रुपया हो तो, उनके टर्म के खत्म होने पर उन का लाइसेंस बिजली बोर्ड लेले और अपने आप उस काम को चलावे। पहाड़ में भी हमने बहुत सी स्कीमें बनाई हैं। बहुत से नाम हैं, डिटेल कहेंगे तो मैं बता दूंगा। आप सुनकर प्रसन्न होंगे कि उत्तराखंड हाइडल स्कीम, चमोली हाइडल स्कीम, धारचूला हाइडल स्कीम, भटवारी हाइडल स्कीम, जोशीमठ हाइडल स्कीम, गुप्तकाशी हाइडल स्कीम, पिथौरागढ़ हाइडल स्कीम, नन्दकरणी हाइडल स्कीम, बिलंगना हाइडल स्कीम, न्यूगुन्टी हाइडल स्कीम, चम्पावत हाइडल स्कीम, रुद्रप्रयाग हाइडल स्कीम आदि ऐसी बहुत सी छोटी छोटी स्कीमें हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में काम करेंगी। इन में बहुत सी स्कीमें सरकार को कुछ पे तो नहीं करेंगी, लेकिन उन से वहां के लोगों को लाभ अवश्य होगा। विष्ट जी और तिवारी जी बारबार कहते हैं इसलिये उन की बात को ध्यान में रख कर हम पहाड़ में कुछ अनप्रोडक्टिव स्कीम्स भी चलाने जा रहे हैं। यकीन है, यदि माननीय सदस्यों का सहयोग रहा तो, बिजली बनाने का जो काम हो रहा है और जो हमारी स्कीम्स हैं उनके अनुसार आशा है कि इस प्लान के आखिर में थोड़े ही दिन में हमारे यहां बिजली की बहुत ज्यादा कमी न रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस विषय में अपने सुझाव देंगे और विचार कर के इन दोनों अनुदानों को स्वीकार करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अगर मुख्य मंत्री जी कृपा कर यह सूचना दे दें सुनते हैं कि अब बिरला साहब रिहेन्ड की बिजली नहीं लेने वाले हैं, उन का वह कान्ट्रेक्ट कान्सिल हो रहा है और नयी जो कोयले की खान है वह कब तक वर्क करेगी, इस का कोई प्रयोग किया गया हो तो बता दें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, बिरला जी को जो ५०,००० किलोवाट बिजली दी गई है उस को वह वापस देंगे या नहीं इसका अभी कतई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन उनकी यह बात केन्द्रीय सरकार से चल रही है कि वह अपने लाइसेंस को, जिसके अन्तर्गत उन्हें अपने प्लान्ट से २० हजार टन एलमूनियम तैयार करना है, वह चाहते हैं कि वह प्लान्ट अब ५०,००० टन का हो जाय और उसका लाइसेंस उन्हें मिल जाय। यदि उन को ऐसी इजाजत मिल गई तो उनको अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार से यह कहा है कि यदि उन्हें ५०,००० टन का लाइसेंस मिल गया तो जो बिजली उन्होंने सरकार से ली है उसे वह वापस कर देंगे और वह अपने प्लान्ट को चलाने के लिये १२५ हजार किलोवाट बिजली स्वतः तैयार करेंगे। अभी यह चीज बातचीत में है और इस का निर्णय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उन को ५०,००० टन एलमूनियम बनाने के प्लान्ट लाइसेंस प्राप्त न हो जाय।

गोपनीय रिपोर्टों को सदन में रखने के संबंध में व्यवस्था

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, इस के पहले कि मैं अपना कटौती का प्रस्ताव आप की आज्ञा से पेश करूं, मैं एक वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। और अगर आप को उस के निर्णय में कठिनाई हो तो रूलिंग आप बाद के लिये स्थगित कर सकते हैं। मैंने इस बात का अथक प्रयास किया कि मुझे इन अनुदानों के सम्बन्ध में कुछ जरूरी रिपोर्ट्स मिल सकें, बिरला और सरकार के दरम्यान में जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी भी एक कापी मिल सके। कल पूरी लायब्रेरी छानने के बाद मैंने के० किशोर, ज्वाइंट सेक्रेट्री, पावर को टेलीफोन किया। उनकी भी कठिनाइयां थीं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उनका यह कहना था कि जब तक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नहीं आते या सेक्रेट्री साहब ....

श्री अधिष्ठाता—यह वैधानिक आपत्ति तो नहीं है।

श्री अवधेशप्रतापसिंह—पहले सुन लीजिये तब आपको मालूम होगा। श्री विपिन बिहारी लाल, आई० सी० एस०, जो आयुक्त तथा सेक्रेटरी हैं सिंचाई एवं विद्युत विभाग के, उनका कहना है कि जहां तक इकरारनामे का संबंध है, वह शांतिप्रपन्न जी के पास है, वहां जाकर देख सकते हैं और श्रीमन्, १२ बजे उनका यह पत्र मुझे मिला है। इसके अलावा मैंने दो-तीन रिपोर्ट्स मांगी थीं। एक सिवेश्वरकर कमेटी की रिपोर्ट जो कि रिहंद की मशीनों के ठेके के संबंध में है और दूसरी भार्गव साहब की रिपोर्ट तथा तीसरी सतीशचन्द्र साहब की रिपोर्ट जो कि माथुर साहब के संबंध में थी। पिछली दफा वाद-विवाद के समय माननीय गिरधारीलाल जी, जो उस समय मंत्री थे, उनसे राजनारायण जी ने पूछा था कि सिवेश्वरकर कमेटी की रिपोर्ट क्या है? तो उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आएगी और उसको हर एक माननीय सदस्य देख सकेगा। माननीय नारायणदत्त तिवारी ने भी भार्गव साहब की रिपोर्ट के सिलसिले में कहा था कि मैं मांग करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में जो रिपोर्ट है भार्गव साहब की वह, सदन के सामने रख दें।

तो एक तरफ मंत्री महोदय कहते हैं कि सिवेश्वरकर कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आने वाली है, मेम्बरों को हक होगा कि देख सकें और दूसरी तरफ बी० बी० लाल जी का कहना है कि ये दोनों रिपोर्ट्स गोपनीय हैं, विभागीय हैं, अतः उन्हें खेद है कि वह नहीं दिखलाई जा सकती हैं। यह उनका खत मेरे पास मौजूद है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वह डाक्यूमेंट्स यह कह कर छिपाए जा सकते हैं कि कांफीडेंशियल और विभागीय हैं जब कि मंत्री महोदय का एक आश्वासन मौजूद है? आज ग्रान्ट पर डिस्कशन है और इस संबंध में कोई पुस्तिका भी नहीं है, जैसी कि छोटी छोटी पुस्तिका पिजियन होल में रख दी जाती थीं, केवल मंत्री महोदय का भाषण है। ऐसी परिस्थिति में मेरे प्वाइंट आफ आर्डर पर आप रूलिंग दें कि

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

ऐसी स्थिति में जबकि मंत्री महोदय का एक आश्वासन मौजूद हो तो वह चीजें छिपाई जा सकती हैं ?

इकरारनामा देखने के लिये माननीय अध्यक्ष के कमरे में आकर देखने की बात तो हो सकती है। लेकिन मंत्री महोदय यह कहें कि उनके कमरे में या घर पर जाकर उसे देखा जाय, और जिसके संबंध में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है, मैं नहीं समझता कि यह उचित है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---अधिष्ठाता महोदय, मुझे अभी बताया गया, जहां तक आपने तीन रिपोर्ट्स मांगी, एक रिपोर्ट आपके पास भेज दी गई। जहां तक एग्रीमेंट की बात है, पिछली दफा भी इसी सदन में कहा था कि वह मुख्यमंत्री जी के कमरे में है, सदस्य लोग आकर उसको देख लें। मैं दिल्ली किसी काम से गया हुआ था। मुझे दुःख है कि कल नहीं मिल सका। वह मेरे कमरे में है। पहले भी हमने कहा था कि आप देख लें। ऐसी चीजें ऐसी नहीं होती हैं कि उन्हें और कहीं रख दें। अगर आप देखेंगे तो पहले जो जवाब था उसमें भी यही था कि आप मेरे कमरे में आकर देख लें।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---सिवेश्वरकर और भार्गव रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---मेरा खयाल है कि वह दोनों अभी तक कांफीडेंशियल रिपोर्ट्स हैं। अगर दूसरे तरह की होंगी तो देख लेंगे। लेकिन मेरा खयाल है कि वह अभी तक कांफीडेंशियल ही हैं, और जो कुछ पहले कहा गया था वह ठीक ही होगा। उसे देख लिया जायगा।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---अधिष्ठाता महोदय, यह जो खत है उसे और पिछली मर्तबा की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसे---इन दोनों को मैं आपकी खिदमत में भेजे देता हूं। मैं समझता हूं कि ये रिपोर्ट्स कोई कांफीडेंशियल नहीं है। मंत्री महोदय का आश्वासन हो चुका है और ३, ४ महीने या साल भर बाद यह कहना कि कांफीडेंशियल है, कोई माने नहीं रखता है।

श्री अधिष्ठाता---सरकार जिस चीज को चाहे कांफीडेंशियल रख सकती है। आप जिस चीज से सहमत नहीं हैं और क्रीटीसाइज करना चाहते हैं तो उसको कहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मंत्री जी ने हाउस में आश्वासन दिया था कि सिवेश्वरकर कमेटी की रिपोर्ट कांफीडेंशियल ट्रीट नहीं की जायेगी और वह सदन के सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी। पहले यह कहा गया और अब उसको कांफीडेंशियल बताया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को उस निर्णय की सूचना ठीक प्रकार से नहीं मिल सकी है, वर्तमान सरकार को उस निर्णय का ठीक से पता नहीं चल सका और विभागीय सचिव के सामने भी यह शायद प्रश्न नहीं आया। मैं यह नहीं कहता कि यह डेलीबरेट भूल है। इसलिये मंत्री जी को इसको स्वीकार करना चाहिये और पुनः इस मामले को देखना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---(श्री अवधेशप्रतापसिंह से) आप वह पत्र और कार्यवाही मेरे पास भेज दें। मैं इसको देख लूंगा। अब आप अपना कट मोशन मूव कीजिये।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---मैं कह चुका हूं कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, मैं इसको देख लूंगा।

श्री अधिष्ठाता---माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी, अब आप अपना कट मोशन मूव करें।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--

अनुदान संख्या २६--विद्युत योजनायें अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५०--विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत (क्रमागत)

*श्री अवधेशप्रतापसिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुदान संख्या २६--विद्युत योजनायें अधिष्ठान और अनुदान संख्या ५०--विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत में कटौती के प्रस्ताव आपकी आज्ञा से पेश करता हूं। मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है--

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना।

मान्यवर, हम तृतीय योजना में पदार्पण कर रहे हैं और जबकि यह निर्विवाद हो कि उत्तर प्रदेश में आज ८० फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं तो इस बोझ और भार को कम करने के लिये औद्योगीकरण ही हमारे लिये कल्याण का मार्ग है। औद्योगीकरण के लिये बिजली परमावश्यक है और बिजली के संबंध में मुझे यह कहना है कि प्रदेश में बिजली की वैसे ही कमी है। रिहन्ड योजना से पूर्वी जिलों के लोगों में बड़ी आशा थी कि उनको बिजली मिलेगी। लेकिन ५५ हजार किलोवाट बिजली उसकी बिड़ला साहब को अल्मूनियम फैक्टरी चलाने के लिये दी गई। सदन के सामने आज से नहीं, बारम्बार सरकार के मंत्री महोदय यह दलील दिया करते हैं कि जिस भाव पर हम बिजली दे रहे हैं वह भाव सस्ता नहीं है क्योंकि उनको हम गेट पर बिजली दे रहे हैं अतः ट्रांसमिशन का खर्चा उसमें नहीं पड़ेगा।

दूसरी दलील सरकार की तरफ से आती है कि अगर हम बिड़ला जी को ५५ हजार किलोवाट बिजली देते हैं तो उसमें बिजली की कमी नहीं होगी और फारेन एक्सचेंज जो हमें अल्मूनियम में खर्च करना पड़ता है, अगर ३० लाख टन का प्लान्ट हमारे यहां चलने लगा तो अपना फारेन एक्सचेन्ज भी हम बचाते हैं। मिक्स्ड इकोनामी का सिद्धान्त हमारे यहां लागू है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और न मुझे बिड़ला फोबिया है। लेकिन साथ साथ मैं बताना चाहता हूं आज यह देखा जाय कि आपके सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरह से बिजली का रेट कैलकुलेट कराया है, मेरे पास वह इकरार नामा तो नहीं है, लेकिन जो रेट मुकर्रर कराया है वह जेनरेशन कास्ट के ४० फीसदी से भी कम है। मेरे पास साहित्य न रहने पर भी कह सकता हूं कि बिड़ला जी को सस्ते पर ही नहीं बल्कि घाटे पर बिजली दी गई है। बिजली की बड़ी कमी वैसे ही हमारे प्रदेश में है, जिसको मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है और इसके संबंध में तीसरी योजना में बिजली किस तरह से इस प्रदेश में पैदा करने में सरकार असफल रही है उसको भी पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। श्रीमन्, कुछ फीगर्स दिये गये हैं। हिन्दी में मेरे पास नहीं है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, बाद में अनुवाद कर दूंगा।

"From this table it would appear that the per capita installed capacity in Uttar Pradesh, at the end of the second plan will be amongst the lowest in the country, being even less than half of the all India average. The consumption of electricity, per head of population, comes to 11.68 units per annum in Uttar Pradesh against the per capita consumption of 80.8 units per annum in some other States. The low per capita consumption of electricity in Uttar Pradesh is an index of the industrial backwardness of the State."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशप्रतापसिंह]

बिजली यहां लगाई गयी । हिन्दुस्तान का एवरेज जो है उसके आधे से कम यहां है जब कि पर कैपिटा कंजम्पशन दूसरी स्टेटों में ८०.८ यूनिट है सालाना, उस हालत में उत्तर प्रदेश में ११.६८ यूनिट है सालाना । अब इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बिजली हमने बेहद कम पैदा की और बेहद कम खर्च की और जब तक बिजली पैदा नहीं करते हैं तब तक हमारे उद्धार का कोई मार्ग नहीं है ।

अब मैं उस दलील के संबंध में जानना चाहूंगा कि बिरला साहब को सस्ती बिजली नहीं दी गई । वे कौन से फैक्ट्स एंड फीगर्स हैं, उनको सामने रखा जाय । पिछले साल सभा सचिव तथा मंत्री महोदय के यह कह देने से कि बिजली जो दी गई है वह सस्ते रेट पर नहीं दी गई है इससे किसी तरह का संतोष नहीं हो सकता । अभी पिछले साल यह बात कही गई एक रिपोर्ट के सिलसिले में, पब्लिक डाक्यूमेंटस को दिखाने की बात कही गई, आज उसे गोपनीय बताया जा रहा है । मेरा चार्ज है कि कास्ट आफ जनरेशन जो बिजली की है उससे ४० प्रतिशत कम पर बिजली दी गई और यह फैक्ट्स एंड फीगर्स की बात है । हमसे यह कह देने से कि ट्रान्समिशन का खर्चा बिजली की दर में न हीं लिया जाता है, यह निरर्थक बात है । मिक्स्ड इकोनामी के यह माने नहीं हैं कि बिरला साहब को उत्तर प्रदेश का खजाना दे दिया जाय और दुनिया भर के जितने काम हैं वे करें । पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के यह माने नहीं हैं कि सरकार को क्षति पहुंचे । अगर ऐसा नहीं है तो सदन में बार बार सवाल करने पर भी सरकार की तरफ से टालमटोल की नीति क्यों अपनाई जाती है और स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बतलाया जाता कि एग्रीमेंट क्या है ? बिरला जी छोड़ना चाहें, न छोड़ना चाहें, वे क्या करते हैं, केन्द्रीय सरकार क्या निर्णय लेती है और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री क्या निर्णय लेते हैं इससे हमारा संबंध नहीं है । वह एग्रीमेन्ट चाहे गुड है या बेलिड है या जायज है सरकार अपनी जगह पर विवश है बिरला को एग्रीमेंट की शर्तों पर बिजली देने के लिये ।

इस सिलसिले में पिछली मर्तबा माननीय मुख्य मंत्री और उस पर तरफ के लोगों का यह कहना था कि ईस्टर्न पावर प्रोजेक्ट के नाम पर सुहावल, मऊ, गोरखपुर को इन्टरलिंक करके एक ग्रिड में डाल देंगे जिससे प्रदेश को ३० या ३५ हजार किलोवाट सरप्लस बिजली मिल सकेगी और यह भी कहा था कि सिंगरोली को थर्मल स्टेशन कर देंगे । सरकार के सामने तब यह सवाल पैदा होगा कि बिजली इतनी पैदा होगी तो कैसे बांटी जायगी ? इस तरह से एक दफा तो सरकार की समझ में यह नहीं आया कि कितनी बिजली वह पैदा कर लेगी और उसके बाद बांटने के लिये भी उसके सामने एक मसला खड़ा होता है । लेकिन आज मुख्य मंत्री जी यह कहते हैं कि बिजली दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में जितनी उनको पैदा करनी चाहिये थी उतनी नहीं कर पाये । वह सिंगरोली, मातातीला के संबंध में जो ३० हजार किलोवाट की बात कहते हैं या हरदुआगंज, जमुना हाइडिल स्कीमों की बात कहते हैं, तो यह कोई नई चीज नहीं है । हमने बार बार इस सदन में सुना है । और यह जो इन्टरलिंक करके ग्रिड में डालना चाहते हैं तो मंत्री महोदय ने कभी वहां जाकर देखने की भी कृपा की है कि सोहावल में क्या हाल है ? वहां लोहा और सीमेंट डम्प किया जाता है और ६-६ हजार सीमेंट की बोरियां जब जम जाती हैं तो उसके लिये खरीदार ढूंढे जाते हैं । आम बाजार में सोहावल पावर हाउस का लोहा ब्लैक मार्केट में बिकता रहा । हर जगह यह चीज देखी जाय । आखिर यह शिकायतें क्यों होती हैं कि एक इंजीनियर जब हटाया जाता है तो उसके साथ एक पूरा कारवां चलता है ठेकेदारों का जो उसके साथ काम करता है । पिछली मर्तबा जब माननीय प्रतापसिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने निहायत समझदारी से उसे रखा था और यह कहा था कि आज से १०-१५ साल बाद खटीमा पावर हाउस विद्यमान नहीं रहेगा, धरातल को पहुंच जायगा । मैं उनकी बात को छोड़ कर जो सिद्दीक हसन साहब की रिपोर्ट है, उस तरफ सरकार का ध्यान दिलाता हूं । वह एक दुखद कहानी है । उसमें लिखा है कि खटीमा पर कोई मौजूद नहीं था । जिनको कंट्रैक्ट दिया गया उन्होंने कोई परवाह नहीं की । उसमें यह भी सुझाव दिया गया था कि जो रिहन्द का ठेका

दिया जाय उसमें एक पेनाल्टी क्लाज हो और एक सबकमेटी बनाई जाय कि अगर कोई डिस्प्यूट कंट्रैक्टर और गवर्नमेंट में हो तो फौरी तरीके से वह कमेटी उसका निपटारा कर सके। सिद्दीक हसन साहब की रिपोर्ट बहुत ठीक है। लेकिन उससे फायदा सरकार ने कितना उठाया है। क्या रिहन्द में कोई इस तरह की सब-कमेटी है जिससे कि अगर कोई डिस्प्यूट हो तो वह तय किया जा सके? या जो कंट्रैक्ट रिहन्द में दिया गया है उसमें कोई पेनाल्टी क्लाज है? जब इंगलिश एलेक्ट्रिक कम्पनी से सरकार को यह कटु अनुभव हो चुका था तो फिर उसी कम्पनी को रिहन्द भी दिया जाय यह बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई।

श्रीमन्, आज यही नहीं बल्कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट भी देखी जाय। उनकी भी शिकायत है कि इस विभाग के आंकड़े कभी साफ नहीं आते हैं, बल्कि वह ऐसे भ्रामक होते हैं कि उनसे कुछ पता नहीं चलता और उन्हीं के द्वारा इस विभाग पर एक परदा डाला जाता है ताकि लोग समझ न सकें। यह ठीक है कि मुख्य मंत्री भी नहीं जान सकते हैं। यह एक बड़ी टेक्निकल चीज है। किसी को भी इस पर अधिकारपूर्ण बोलने के लिये एक साहित्य की आवश्यकता होती है। हम यह नहीं चाहते हैं कि दूसरी तरफ से अपोजीशन के ऊपर यह दोषारोपण हो कि जो कुछ कहा जाता है वह हवा में कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

सेन्ट्रल वाटर एंड पावर कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि जितनी नदियां हैं वे इन्वेस्टीगेट की जांय और जहां जहां पानी से बिजली मिल सके वहां वहां वह पैदा की जाय और उसे छोटे-मोटे उद्योगों के चलाने में लगाया जाय। बिजली के रेस्ट्रिक्शन के बारे में भी पिछली मर्तबा सवाल उठाया गया था। उनका यह कहना था कि यूनाइटेड किंगडम से हम स्वीच बोर्ड नहीं मंगा पाते हैं, लेकिन साल भर के बाद उस परिस्थिति में कोई तब्दीली हुई या नहीं? मार्टिन कम्पनी के ऊपर जो २२ मुकदमे चलाये गये थे उसमें आजतक क्या हुआ? मैनपुरी में जो बिजली कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया गया था उस सिलसिले में जो रिट दायर हुआ था उसका फैसला हुआ या नहीं? गवर्नमेंट ने इस मुकदमे को कंटेस्ट किया या नहीं? इसके संबंध में हमारे पास न तो कोई पुस्तिका ही है और न कोई लिटरेचर ही है, जिससे हम समझ सकें कि इस मामले में क्या हुआ है या क्या हो रहा है। मंत्री जी कहेंगे कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसका भी जवाब हो सकेगा तो मैं देने के लिये तैयार रहूंगा। कहा यह जाता है कि यह उस सरकार का काम है। लेकिन मैं उस सरकार में और इस सरकार में कोई अन्तर नहीं मानता हूं क्योंकि दोनों ही कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं और वर्तमान मुख्य मंत्री जी की जिम्मेदारी है। वह जवाब दें कि अगर सस्ती बिजली की कमी नहीं है तो बिजली मिलती क्यों नहीं है? १५ मई, १९५९ के पहले पश्चिमी जिलों में १० हार्स पावर तक बिजली कृषि और उद्योगों के लिये डिकंट्रोल थी। अगर बिजली काफी है तो जो सुविधा पश्चिमी जिलों में है उसे पूर्वी जिलों में भी दे दी जाय। अगर बिजली नहीं है तो तस्लीम कीजिये कि नहीं है। खाली यह कह देना कि हमारे पास बिजली है, यह सर्वथा गलत है, श्रीमन्।

आज उद्योगों के लिये, कोआपरेटिव के तथा प्राइवेट टयूबवेल्स के लिये बिजली नहीं मिल रही है। पश्चिमी जिलों में तथा सेन्ट्रल यू० पी० में हाहाकार मचा हुआ है और पूर्वी जिलों की भी हालत अच्छी नहीं है। जब ८० प्रतिशत लोग यहां खेती करते हैं तो टयूबवेलों की यह हालत है। १५, २० रुपये प्रति एकड़ किसानों को सिंचाई के देने पड़ते हैं जब कि बहुत सस्ते में वह कुंये से सिंचाई कर सकता है। कितने किसान हैं जो इस भाव पर अपने खेतों को सींच सकेंगे? टयूबवेल की जो हालत है वह मैं बाद को बताऊंगा।

खेती को प्राथमिकता पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में दी जाती है और देनी चाहिये क्योंकि कृषि से ही हमारा कल्याण है और यह देश की बैकबोन है, रीढ़ है और उसको पानी इतने महंगे दाम पर दे रहे हैं और इसके लिये इरीगेशन विभाग कहता है कि खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाता

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

है, इसलिये मजबूरी है । इन दोनों विभागों को एक में करने से भी कुछ नतीजा नहीं निकला क्योंकि इनमें कोआर्डीनेशन नहीं है । अगर कहीं ट्यूबवेल में बिजली नहीं आ रही है तो आपरेटर इर्रीगेशन विभाग को रिपोर्ट करता है और वह वहां पड़ी रहती है और उसके बाद हाइडिल में भेजी जाती है या जहां से बिजली आती है वहां से लिखा पढ़ी होती है और लाल फीता दौड़ता है कि उसका नतीजा यह होता है कि किसान की तमाम फसल सूख जाती है और तब तक बिजली नहीं आ पाती है । मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि खजुहा में पिछले सात १५ दिन तक सुहावल पावर हाउस से बिजली नहीं मिली । मैं भी एक किसान हूं और गन्ना बोता हूं और मेरा काफी नुकसान हुआ और वहां कोई पुरसांहाल नहीं था । इर्रीगेशन वालों से कहा जाता था तो कहते थे कि पावर हाउस से मिलती है और पावर हाउस इतमीनान से बैठा सो रहा था ।

अब यह कहा जाता है कि छोटे और मझोले उद्योगों के लिये सरकार अग्रसर है कि इनमें वृद्धि हो । लेकिन ५५,००० किलोवाट बिड़ला को दे दिया जाय और ५०,००० डालमियां और टाटा को दे दी जाय तो रिहन्द पावर हाउस की सारी बिजली इन दो पूंजीपतियों के हाथ में चली जायगी और वह पूरा फायदा उठायेगा । लेकिन करघों के लिये तथा हैन्डलूम के लिये बिजली चाहिये उनके लिये कोई पुरसांहाल नहीं है । आज बिजली मिलने में जो दिक्कतें होती हैं, जिस तरह की घूसखोरी है, छोटे स्तर पर, मैं नहीं समझ पाता कि सरकार उसको कैसे रोक पायेगी । किसी को तब तक बिजली नहीं मिल सकती जब तक क्लर्कों को रिश्वत न दे । पूर्णतया भ्रष्टाचार है । घूस दो, तभी बिजली मिल पाती है ।

उत्तर प्रदेश में खेती पर जो बिजली दे रहे हैं वह है २४ फीसदी, बड़े उद्योगों पर १० फीसदी, छोटे उद्योगों पर ३० फीसदी और बकीया अन्य कामों में ३६ फीसदी । मैं इस सिलसिले में जानना चाहूंगा कि इस सरकार की जो यह घोषणा थी कि गांवों में भी बिजली लगाना चाहती है । उसमें क्या हुआ ? हम यह चाहते हैं कि शहर में ही नहीं बल्कि देहात में भी चमत्कार हो । ३६ टाउन एरियाज उन्होंने जरूर एलेक्ट्रीफाई किये । लेकिन मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि कितने गांव एलेक्ट्रिफाई किये गये ? एक सूबा मदरास है जिसमें वहां की सरकार गांवों को बिजली देने में कितनी अग्रसर रही है । जिन गांवों में वहां बिजली पहुंच गई है, उन गांवों में उद्योग है, तरक्की है, लोग फलते फूलते हैं । उत्तर प्रदेश में इनकी घोषणा थी कि पांच हजार की आबादी के ऊपर जो गांव होगा उसको हम बिजली देंगे । लेकिन आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है ।

मैं इसी सिलसिले में यह बताऊं कि फैजाबाद जिले में बीकापुर में उन्होंने बिजली दी, जहां पर कोई आबादी नहीं थी । लेकिन उससे अच्छी जगह पर बिजली नहीं दी गई । मैंने खुद मांग की थी कि अगर आप बिजली देते हैं तो आपको काफी फायदा होगा । लेकिन खजुहा में आज तक बिजली नहीं पहुंची, जब कि विभाग को लाभ हो सकता था ।

इस विभाग में उच्चाधिकारियों की यह कहानी है कि इंजीनियर्स जाते हैं मिनिस्टरों के साथ और मंत्रियों के वापस आने पर वह विभाग में फिर वापस आते हैं । फ्रांस की ऐसी सर्विसेज हैं जिनसे गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं मगर यहां इंडिविजुअल मिनिस्टर से ताल्लुक रहता है । आज मुख्य मंत्री जी उस केस के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें कि क्यों कोई भागता है, अगर मंत्रिमंडल में कोई थोड़ा सा परिवर्तन हो तो वह अफसर साहब फिर वापस आना चाहते हैं । जवाब दिया जाता है कि किसी को रोका नहीं जाता है । मैं कहता हूं कि यह एडमिनिस्ट्रेशन का 'क' 'ख' है कि अगर मंत्री नहीं चाहता है तो कोई सरकारी कर्मचारी वापस नहीं आयेगा । वह बुलाया जाता है ।

मैं इस विभाग के उन गरीब लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूं जो कि थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में हैं । छोटे-छोटे मेकैनिक्स और आपरेटर्स १५-१५-१६, १६ वर्ष नौकरी करने के बाद तुरन्त उनको निकाल दिया जाता है । उनसे डेली वेजेज पर काम लिया जाता है ।

उनकी कोई सुनवायी नहीं है। अगर इन छोटे कर्मचारियों का ऐक्सीडेंट हो जाय तो कम्पेन्सेशन के लिये कोई सुनवाई नहीं है। कम से कम इस बात पर ध्यान दिया जाय कि ऐक्सीडेंड अगर हो जाय तो उनको कम्पेन्सेशन मिल सके। इनके सर्विस रूल्स के बारे में, प्रोमोशन के बारे में, हर एक चीज के सिलसिले में एक ऐसी यूनिफार्मिटी होनी चाहिये जो मुनासिब हो। बिजली का किसी शहर में कोई रेट और किसी शहर में दूसरा रेट। इसकी भी यूनिफार्मिटी होनी चाहिये। हम हर साल सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि लाइसेन्स लेंगे लेकिन कोई लाइसेन्स लेता नहीं है।

उत्तराखंड के विषय में भी बड़ी गम्भीरता के साथ सोचने की आज जरूरत है क्योंकि अगर उत्तराखंड के विषय में विचार नहीं किया गया तो बावजूद उन पंचमांगियों के जो हमारे देश में हैं, वह चीन उस क्षेत्र को देख रहा है और १२ हजार वर्ग मील का हमारा एरिया उसने हड़प लिया है। अगर उत्तराखंड में उद्योगधन्धों का जाल न बिछाया गया तो इसका मतलब साफ यह होगा कि हम चीनियों के लिये रास्ता साफ कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटमोशन पेश करता हूं।

श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला कानपुर)—मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। यह निर्विवाद है कि विद्युत् की मात्रा प्रदेश में कितनी कम है इस पर अभी कटमोशन पेश करते हुये जिन सज्जन ने प्रकाश डाला है, मैं उनसे इस बात से सहमत हूं कि विद्युत् का महत्व उत्तर प्रदेश में बहुत है और निश्चय ही इस प्रदेश में बिजली बहुत कम उत्पन्न हुई है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भविष्य में पैदा होने वाली विद्युत् का नक्शा अभी प्रस्तुत किया है वह उत्साहवर्द्धक है हालांकि खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि पहली और दूसरी पंच वर्षीय योजना में बिजली को पैदा करने का जितना लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो सका। उसके कारण भी उन्होंने बतलाये फिर भी यह निश्चय है कि अगर विद्युत् इस प्रदेश में काफी मात्रा में उत्पादित नहीं की गई के तो यह प्रदेश पिछड़ा रहेगा यह भी निश्चय है कि अगर इस प्रदेश में विद्युत् की कमी नहीं होती तो केन्द्रीय सरकार को लगातार इस प्रदेश में बड़े उद्योग धन्धों को को लगाने में आनाकानी और हिचकिचाती रही, उसका मुख्य कारण यही बतलाया गया है कि इस प्रदेश में विद्युत् की कमी है। इसलिये बड़े कारखाने नहीं लगाये जा सकते। जब कारखाने नहीं लगाये जा सकते तो जाहिर है कि हमारा प्रदेश बैकवर्ड रहेगा और खेती पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। हम न तो छोटे उद्योग लगा सकते हैं और न बड़े उद्योग लगा सकते हैं। खेती के बोझ को घटा नहीं सकते यदि हम विद्युत् अच्छी मात्रा में अपने यहां प्रोड्यूस नहीं करते है।

हमारे प्रदेश में पर कैपिटा इनकम कम होने की बात कही जाती है। यह बात सत्य है। वह राष्ट्रीय आय के मुकाबिले में कम है। उसका मुख्य कारण यही है कि हम अपने प्रदेश में उद्योगों को पनपा नहीं पाये और उद्योगों को बढ़ा नहीं सके। इसी वजह से हमारे प्रदेश में पर कैपिटा इनकम कम रही है। वह बढ़ी नहीं है। उद्योगों से ही हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही बिड़ला साहब को दी गई बिजली का जिक्र किया गया और उस कांट्रैक्ट का जिक्र भी आया। कई बार इस हाउस में यह सवाल उठ चुका है। देखने की बात यह है कि भारतवर्ष में जो अलम्युनियम प्लान्ट और जगह लगे हुये हैं उनको कन्ज्यूम करने के लिये बिजली का जो रेट मुकर्रर है वह कितना है। अलम्युनियम फैक्टरी के लिये जो बिजली दी जाती है वह उसके लिये रामैटीरियल मानी जाती है। उस प्लान्ट में बिजली का प्रयोग केवल मशीन चलाने के लिये नहीं होता है। वहां पर तो बिजली और बाक्साइट मिलाकर अलम्युनियम बनता है। यह बिजली रा मैटीरियल उसके लिये होती है। देखने की यह बात है कि बिड़ला साहब को जो बिजली दी गई वह और प्रदेश में जो अलम्युनियम के प्लान्ट लगे हुये हैं उनसे कम रेट पर है या ज्यादा पर। जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी बात नहीं है कि अन्य प्रदेशों की दर से हमारे प्रदेश में जो बिजली दी गई है उसका रेट कम हो। ऐसी हालत में मुझे यह कहना है कि उद्योग की जब हम

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

बात करते हैं तो हमको यह देखना चाहिये कि वह अलम्युनियम प्लान्ट, जो कि हमारे प्रदेश में लगा है, अगर वह अन्य प्रदेश में लगा दिया जाय तो क्या इस प्रदेश में उस प्लान्ट के लगने पर, लोगों को काम मिलेगा यह कम महत्व की बात है, इस बात को नजर रख कर हमें इस बात को देखना चाहिये। इसके अलावा दो एक बातें और हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ वेस्टेज का जिक्र यहां आया है। मैं इस बात से सहमत हूं और कभी-कभी मेरा दिमाग कंफ्यूज करता है कि आया जब हम इलेक्ट्रिसिटी के और अन्य उद्योगों के नेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की तुलना भी करनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट कंपनी किसी उद्योग में ज्यादा मुनाफा उठा लेती है बनिस्बत पब्लिक सेक्टर के। पब्लिक सेक्टर में ओवरहेड चार्जेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर कम खर्च में अपना काम निकाल लेते हैं। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि विभाग की ओर से जो पुस्तिका बांटी गयी है उसमें वेतन क्रम का भी जिक्र है और वह कह रहे थे कि राष्ट्रपति तो ढाई हजार रुपये मासिक वेतन लेते हैं जब कि इलेक्ट्रिसिटी में काम करने वाले ऐसे सज्जन भी हैं कि जिनका मासिक वेतन २७०० रुपये से आरम्भ होता है। वह कह रहे थे कि राष्ट्रपति से ज्यादा वेतन इस विभाग में काम करने वालों को दिया जा रहा है। उनकी बात सुन कर मैंने पुस्तिका में स्टाफ और उसके वेतनक्रम की ओर भी ध्यान दिया। मुझे ऐसा लगा कि स्टाफ बहुत है। आफिसर है, उनके पी० ए० हैं, फिर उनके असिस्टेंट पी० ए० है और व सैकड़ों में तनख्वाह पाते हैं। पी० ए० टेक्निकल और पी० ए० नान-टेक्निकल है। यह सब खर्च और लम्बी-लम्बी तनख्वाह है कंज्यूमर पर पड़ती है अल्टीमेटली। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस बात पर गौर करें कि आया जो स्टाफ है और उसका जो वेतन है वह कहां तक ठीक है। इसमें छानबीन की जरूरत है। सरकार को इसमें गंभीरता से गौर करना चाहिये और अगर ऐसा नहीं होता तो पब्लिक सेक्टर में कभी भी फायदा नहीं हो सकता।

कुछ अन्य बातों की ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वेस्टेज के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक सेक्टर में इस ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कानपुर में मैंने एक मशीन के बारे में जानकारी हासिल की है। वह ऐसी मशीन है जो बहुत सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर सकती है और करती रही है। वह किसी ऐसे अधिकारी के चार्ज में दे दी गयी कि जो नान टेक्निकल है और वह मशीन जो ३००० किलोवाट बिजली डेली प्रोड्यूज करती थी वह आज बेकार पड़ी है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिये क्योंकि यह नेशनल वेस्टेज हो रहा है और इसके लिये जो दोषी पाया जाय उसे दंड दिया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त कानपुर में एक ऐसी मशीन मंगायी गयी है जो बिल बनाती है। इसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि उस पर ३० क्लर्क रखे गये हैं जो बिलिंग का काम करते हैं और उनकी तनख्वाह १७५ रुपया मासिक है। इसके अलावा इसके एक एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं जो उसकी देखरेख करने के लिये हैं। उनके अलावा चपरासी तथा अन्य स्टाफ भी है। उसके लिये कार्ड भी मंहगे आते हैं। पहले सस्ते कार्ड पर बिलिंग होती थी, जब से मशीन आयी है उसका खर्चा चार गुने से ज्यादा बढ़ गया है। इस बेकारी के जमाने में ऐसी मशीनें बेकार हैं क्योंकि यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि हिन्दुस्तान में आदमी सस्ते हैं और मशीनें मंहगी हैं। तो क्या जरूरत है कि ऐसी मशीनें मंगायी जायें? आज भी इतनी मंहगी मशीनें मंगायी जाती हैं जिन पर ४-४, ५-५ हजार रुपया रेन्ट में खर्च किया जाता है। इस तरह से सैकड़ों रुपया बरबाद किया जाता है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन कामों को रोकें।

इसके अलावा छोटे आदमियों की तरफ भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। जब यह कम्पनी सरकार ने ली थी तो एक शर्तनामा लिखा गया था कि जो भी सहूलियतें अभी

तक कर्मचारियों को दी जाती रही हैं वे सभी दी जायेंगी, किन्तु आज उनमें काफी कमी कर दी गयी है ।

मैं एक ही बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि सरकार के जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनको ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये क्योंकि वही उत्पादन की रीढ़ हैं । इन शब्दों के साथ में इस अनुदान का जिसे माननीय मंत्री जी ने पेश किया है समर्थन करता हूं ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी––अधिष्ठाता महोदय, पहले इसके कि मैं विषय पर आऊं, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । यद्यपि यह वैधानिक प्रश्न नहीं है किन्तु आज जो अनुदान पेश है उससे ही संबंधित है । आज दो विषयों पर हम विचार कर रहे हैं । एक तो वह बजट है जिसे माननीय मंत्री जी ने पेश किया है और दूसरी हमारे सामने विचारार्थ वह रिपोर्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से सन् १९६१–६२ वार्षिक वित्तीय लेखे के रूप में है । इस संबंध में मैं पहले जो इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट है उसकी धारा ६१ (३) को पढ़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार है––

"61 (3) The State Government shall as soon as may be after the reciept of the said statement cause it to be laid on the table of the House or as the case may be, Houses of the State Legislature; and the said statement shall be open to discussion therein but shall not be subject to vote.

(4) The Board shall take into consideration any comments made on the said statement in the State Legislature."

इसकी जो उपधारा (१) और (२) हैं उसमें यह बताया गया है कि स्टेटमेंट किस ढंग का होगा । तो मैं यह देखता हूं कि जो बजट स्टेटमेंट है और जो फाइनेन्शियल स्टेटमेंट इस धारा के अनुसार पेश किया गया है उसमें फर्क है । मिसाल के लिये जो बजट का मेमोरेन्डम है उसके पृष्ठ १०४ (हिन्दी) पर ग्रान्ट नं० २६ में लिखा है कि "अब यह निश्चय किया गया है कि १ अप्रैल, १९६१ से उक्त परिषद् इस प्रकार के वेतनों इत्यादि के भुगतान के लिये प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रबन्ध करेगा और तत्फलस्वरूप इस अनुदान के अन्तर्गत तत्संबंधी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।" बजट में तो यह लिखा है, किन्तु जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का सन् १९६१–६२ का वार्षिक वित्तीय लेखा प्रस्तुत किया गया है उसमें वातल साहब ने लिखा है––"प्रारम्भ में यह निश्चय किया गया था कि स्थापना के भाग १ के कर्मचारी अपना वेतन राजकोष से लेंगे और भाग २ के कर्मचारियों को परिषद् द्वारा वेतन दिया जायगा । परन्तु कुछ कारणोंवश परिषद् की स्थापना के भाग २ के कर्मचारियों को सीधा वेतन नहीं दिया जा सका । अब विचार यह है कि परिषद् के सारे कर्मचारी, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रतिशत तथा परिसंविद कर्मचारियों को छोड़कर, राजकोष से अपना वेतन प्राप्त करें जो परिषद् के द्वारा प्रतिशोधित होगा" । तो इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि सरकार पे करेगी और उसमें दूसरी बात लिखी हुई है । इस स्टेटमेंट में जिस पर वोट नहीं हो सकता और जिस पर हम विचार कर रहे हैं यह लिखा हुआ है और जो बजट लिटरेचर है उसमें यह है कि हमने वोट का प्रावीजन इसलिए नहीं किया है क्योंकि वह डायरेक्ट प्रस्तुत किया गया । अब इसमें हम किसको सही मानें ? कोई सप्लीमेंटरी स्टेटमेंट भी नहीं हुआ है, कोई करेक्शन भी नहीं हुआ है । फरवरी में जो स्टेटमेंट दिया गया, उसी महीने में बजट भी पेश हुआ, बल्कि मार्च १७ को हुआ । तो अब यह स्टेटमेंट में जो विरोधाभास है, इसी प्रकार दूसरा विरोधाभास यह है कि इस बजट को देखने से मालूम होता है कि कुल मिलाकर ६,९२ लाख ऋण की व्यवस्था की गयी है, लेकिन इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

स्टेटमेंट के आधार पर जो ऋण है वह १०, ११ लाख था। दोनों ही वैलिड हैं और दोनों पर विचार करना है। यह बजट भी और स्टेटमेंट भी मंत्री जी ने हमारे सामने रखा है। अब ये जो अलग-अलग बातें कही गयी हैं, इसमें क्या किया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--जो १० करोड़ का है यह तो राज्य विद्युत् परिषद् को ऋण देना था और जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बाद में पेश करेंगे उससे आपके सामने वह चीज आ जायगी और यह जो हमने आपसे मांग की है तो हम इसको दिखला लेंगे प्रोसीडिंग्स जारी रहें तो ज्यादा अच्छा हो। १० करोड़ के उसमें जो लोन्स दिये हुए हैं वह परसों जो मांग पेश होगी उसमें है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--चूंकि आज ही इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के सम्बन्ध में विचार होगा मैंने सोचा कि यह रेलेवेंट है। पहला तो आपके पास लिखा हुआ होगा ही--यह जो तीसरा पैराग्राफ है, बजट मेमोरेंडम का, पेज ९८ पर।

मैं आपकी आज्ञा से जो अवधेशप्रतापसिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने से मेरा यह लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है कि विद्युत् विभाग के बजट में किसी प्रकार की कोई कटौती होनी चाहिए। यह पार्लियामेंटरी पद्धति और प्रक्रिया के अनुसार हमारे लिए अनिवार्य होता है कि हम बढ़ोत्तरी के प्रस्तावों को भी कटौती के प्रस्तावों के माध्यम से प्रस्तुत करें।

मैं तो यह समझता हूं और इस सम्बन्ध में किसी की दो राय नहीं हो सकतीं कि अगर हमारे राज्य का भविष्य उज्ज्वल रहना है और हमारी योजनाओं को वास्तव में कार्यान्वित होना है और देश का औद्योगीकरण होना है तो हमें बिजली के बजट को कृषि के साथ ही साथ सबसे बड़ी प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इस दृष्टिकोण से मैं तो यह कहूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी जो हमने विद्युत के लिए अलाटमेंट किया है वह हमारी इच्छाओं के होते हुए भी कम है, और मैं तो यही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी सारी शक्ति इस बात पर लगायें कि हमारे नियोजन के लचीलेपन का इस आधार पर प्रयोग करें कि हमारी पावर प्लान, विद्युत् संबंधी योजनाएं, अधिकाधिक बढ़ें और उनके लिए अधिक रुपया प्राप्त हो। श्रीमन्, हमारे विद्युतीकरण के संबंध में राज्य सरकार का काम नहीं है। यह काम आटोनामस स्वतंत्र शासकीय विद्युत् बोर्ड का हो गया है और ऐसा हुए लगभग २ वर्ष हो गये हैं। विद्युत् बोर्ड बन भी गया है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि विद्युत् बोर्ड में जो इस समय उसका परसोनेल है, मेम्बर और सदस्य हैं, वह राज्य के बहुत ही परखे हुए और अनुभवी प्रशासक हैं और उनसे हम आशा कर सकते हैं कि निकट भविष्य में जो विद्युत् संबंधी हमारी आवश्यकतायें हैं उन्हें हम योजना के अनुसार पूरा कर सकेंगे। लेकिन जो विद्युत् बोर्ड के कर्मचारी और सदस्य हैं उनकी योग्यता एक तरफ और हमारी नीतियां एक तरफ हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट के आधार पर जो बोर्ड को कार्य करना चाहिए, मैं नहीं जानता कि कौन सी कठिनाईयां हैं, मंत्री जी ने भी नहीं बतलाया कि उस ऐक्ट के अनुसार कार्य क्यों नहीं हो रहा है। पहली बात तो यह है कि रिहंद बांध की योजना को इस बोर्ड की कार्यसीमा से अलग कर दिया गया है। क्यों ? जबकि सारी योजनायें, जितनी पंचवर्षीय योजनाओं की चलती हुई स्कीमें हैं और तृतीय पंचवर्षीय योजना की स्कीम भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलायेगा तो रिहंद बांध का काम, डिपार्टमेंटली अलग से चलेगा, इसका क्या कारण है ? क्या वह बोर्ड जो ओपेरा योजना को, जमुना हाईडेल स्कीम को और रामगंगा स्कीम को चला सकता है, रिहंद बांध की योजना को नहीं चला सकता ? तब मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि रिहंद बांध को इससे अलग क्यों किया जाय। मैंने देखा कि इसमें एक स्कीम है कि कानपुर से रिहंद प्रोजेक्ट को लिंक किया जाय और इसके लिए लगभग ४७ लाख रुपये की मांग की गयी है। यह भी

एक नयी योजना है। तो फिर इस रिहंद बांध की स्कीम को अलग से क्यों कर रहे हैं? इसको एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मातहत क्यों नहीं दिया जायगा, इसका एक स्पष्टीकरण होना चाहिये। मैं तो कहूंगा कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पूरी योग्यता है क्योंकि अब तो बोर्ड जिम्मेदार हो जाता है और वह राज्य के सारे विद्युत् नियोजन के लिये जिम्मेदार है। इस एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐक्ट में जो बोर्ड की ड्यूटीज दी हुई हैं उसकी १८ वीं धारा में लिखा हुआ है कि वह न केवल सारी परियोजनाओं के लिये जो बोर्ड के अधीन हैं बल्कि उन परियोजनाओं के लिये जो राज्य के प्राइवेट कम्पनीज के अधीन संचालित होती हैं उनके कोआर्डिनेशन आदि के लिये इन दि मोस्ट एफीशियेंट ऐंड एकनामिकल मैनर (in the most efficient and economical manner) जिम्मेदार है, यानी जो सामान्य कर्त्तव्य हैं उनके लिये जिम्मेदार हैं। इसलिये मेरी मांग है कि कानपुर योजना और जितनी छोटी-मोटी योजनायें हैं उनका संचालन इस बोर्ड के आधार पर होना चाहिये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि इस समय कोआर्डिनेशन शायद ज्यादा अच्छा हो सके और वह सुझाव मेरा यह है कि जो बोर्ड के चेयरमैन हैं वही सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट के भी हैं। मैं समझता हूं कि बोर्ड की अटानामी के लिये यह आवश्यक है कि कोई भी चेयरमैन आप बनायें, वर्तमान चेयरमैन योग्य हैं, आप उनको केवल चेयरमैन रखें ताकि वह पूरा समय विद्युत् विभाग के संचालन में लगा सकें। और सेक्रेटरी, पावर डिपार्टमेंट, चूंकि एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है उस को अलग रखें। हो सकता है कि कोआर्डिनेशन के लिये शुरूआत में दो एक वर्षों के लिये आपने ऐसा रखा हो लेकिन भविष्य में मेरी मांग होगी कि निकट भविष्य में, आगामी दो-तीन वर्षों में, चेयरमैन को डिपार्टमेंट के काम से बिलकुल मुक्त रखें। मैं यह नहीं कहता और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चाहे चेयरमैन कोई आई० सी० एस० या आई० ए० एस० या चीफ इंजीनियर या और कोई भी हो लेकिन एक फुलटाइम चेयरमैन उस कार्य को करे।

एलेक्ट्रिसिटी कौंसिल बन चुकी है लेकिन उसकी एक मीटिंग ही अभी तक हुई है जब कि एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट में इस बात का प्राविजन है कि कम से तीन महीने में १ बार मीटिंग होनी चाहिये। लेकिन इसको स्थापित हुये ६ महीने हो गये हैं और केवल एक मीटिंग हुई है। एलेक्ट्रिसिटी कौंसिल की जो रिपोर्ट हो उसके द्वारा कम से कम काफी जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत होनी चाहिये। मेरे सामने एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मद्रास की सन् १९५७–५८ की रिपोर्ट है। इसमें एनेक्शर्स, सूचनायें, चार्टस्, ग्राफ्स सब मौजूद हैं लेकिन जो हमारे यहां एलेक्ट्रिकेसिटी बोर्ड की रिपोर्ट है, मुझे खेद होता है कि हमारे योग्य कर्मचारी जो बोर्ड के हैं यह रिपोर्ट उनकी योग्यता की परिचायिका नहीं है। मुश्किल से २८ पेज की रिपोर्ट है और उससे कोई जानकारी भी नहीं होती है। इसके इटैलिक्स में हरदुआगंज आदि के बारे में दिया गया है। लेकिन यदि न्यू आइटम्स का इसमें ब्योरा होता और पूरे डिटेल्स होते तो ज्यादा जानकारी हमको हो सकती थी लेकिन इटैलिक्स में सारी बातें लिखकर छोड़ दी गयी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिये। धारा ६१ के आधार पर, जो नियम बनने वाले थे, जिसके आधार पर यह था कि पूरी रूपरेखा एनुअल एकाउंट्स की बन सकती थी, २ साल हो गये खेद है कि अभी तक वह नियम नहीं बनें। और जब तक विद्युत विभाग की रिपोर्ट न छपती तब तक यह अवश्य होना चाहिये था कि जितनी बातें हमें विद्युत् विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में बतायी जाती थीं, उतनी सूचना तो सदन को अवश्य दी जाती। उतनी सूचना इस एन्युअल स्टेटमेंट में होती क्योंकि बजट भी तो एन्युअल स्टेटमेंट ही होता है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में जब विद्युत् विभाग अपना ऐन्युअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेगा तो इस प्रकार की सूचना उसके द्वारा सदन को देगा। अगर अब ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में अवश्य किया जायगा।

दूसरी बात यह है कि धारा १७ एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में लोकल एडवाइजरी कमेटीज बनाने का प्राविजन है किन्तु एक भी ऐसी कमेटी इस धारा १७ के अधीन नहीं बनीं। मैं कानपुर के मसले को ही लेता हूं। कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन में मैं कोई कारण नहीं देखता

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जहां इस प्रकार की कोई कमेटी न बन सकती हो। यह बनना चाहिये। ओवर ड्यू है। कम से कम ग्रिड को लेकर तो कमेटी बननी ही चाहिये थी।

इसी प्रकार से एक कमेटी धारा ४६ के अनुसार ग्रिड टैरिफ को फिक्स किये जाने के संबंध में बननी थी। पता नहीं इसके संबंध में क्या कार्यवाही हुई। हमारे बोर्ड को बने हुए इतना समय हो गया है, कुछ कार्यवाही अवश्य हुई होगी। लेकिन हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। शारदा ग्रिड, रिहंद ग्रिड बनी होगी। इसकी जानकारी हमें करायी जानी चाहिये थी। न तो ग्रिड टैरिफ के संबंध में इसमें हमें कुछ बताया गया है और न माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में ही इस पर कोई प्रकाश डाला।

श्रीमन्, सामान्य सुरक्षा कोष में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ३०० रु० रखा है। श्रीमन्, हमारे लिये यह कोई लाजिमी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सामान्य सुरक्षा कोष में कुछ रुपया रखे, लेकिन अगर कोई रुपया रखा ही गया था तो उसमें अच्छी धनराशि रखी जानी चाहिये थी जो १० लाख, ५० लाख या करोड़ रुपयों में होती, क्योंकि यह कोई टोकेन ग्रान्ट तो है नहीं कि इस समय उसमें १०० रुपया रख दिया गया और बाद में उसको बढ़ा लिया गया।

जहां तक घाटे का सवाल है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सामने सबसे पहला प्रश्न यह है कि वह अपनी परियोजनाओं की उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये, किस प्रकार से उनको चलाये कि हमारा यह घाटा पूरा हो सके। मैं नहीं समझता कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस ओर क्या कदम उठाये हैं, क्योंकि स्टेट ट्यूबवेल्स में २ करोड़ ६० लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है। विधान परिषद् में मंत्री जी ने कुल मिला कर साढ़े छः करोड़ का घाटा बताया है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। अगर मैं गलती पर हूं तो मंत्री जी मुझको ठीक कर दें। स्टेट ट्यूबवैल्स की जो आपकी फिगर्स हैं उनसे तो घाटा स्पष्ट ही है। इस सदन को माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहिये कि उनके ट्यूबवेल्स क्यों उत्पादक नहीं हो रहे हैं और कम से कम क्यों 'नो प्राफिट नो लास' बेसिस पर नहीं चल रहे हैं। अगर इस बारे में कोई कमेटी बनी हुई है तो उस कमेटी ने अब तक क्या किया, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गयी है। यह प्रश्न बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि उस संबंध में बोर्ड को कार्यवाही करने की आवश्यकता है कि जितनी भी उनकी भविष्य की परियोजनायें हों उनका प्राक्कलन ठीक बने। श्रीमन्, इस संबंध में आडिट रिपोर्ट के पेज ४१ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिससे मालूम होता है कि आज भी ८ करोड़ १७ लाख रुपये के निर्माण-कार्य हो रहे हैं जिनके एस्टीमेट नहीं बने हैं। काम चालू है, पैसे आपने बजट में सदन से ले लिये हैं लेकिन एस्टीमेट के ऐप्रूवल का कोई सवाल ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बात है कि बार-बार सदन और सदन की बनी हुई पी० ए० सी० जैसी कमेटी के रिपोर्ट करने पर और उसे आश्वासन देने पर भी ८ करोड़ १७ लाख का एस्टीमेट नहीं बन सका। इसी तरह से एक्सेस आफ एस्टीमेट ८९ लाख रुपये का है। तो भविष्य के लिये मैं चाहूंगा कि जिस तरह से माताटीला बांध के संबंध में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के योग्य चेयरमैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो बी०बी० लाल कमेटी कही जाती है, उसकी रिपोर्ट भी सदन के सामने आनी चाहिये और कम से कम इतना होना चाहिये कि भविष्य में ओबरा पावर हाउस की स्कीम हो या और किसी दूसरे पावर हाउस की स्कीम हो, उसका डिटेल्ड एस्टीमेट ठीक से बन जाय तभी कोई काम शुरू किया जाय, भले ही उसको तैयार करने में ६, ८ या १० महीने की देर हो जाय। लेकिन ऐसी कार्यवाही न की जाय जिससे आगे चल कर उस स्कीम का एस्टीमेट तिगुने-चौगुने तक बढ़ जाय। मैं समझता हूं कि इस संबंध में सरकार को तथा एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी कार्यवाही करनी चाहिये।

जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है, उस संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी तक मामला स्पष्ट नहीं है कि कौन-सी स्थिति सही है। वे राज्य सरकार के कर्मचारी माने

जायेंगे या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी माने जायेंगे, कम से कम उस संबंध में सही स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी उत्तर देते हुए इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

अन्त में मैं यह भी मांग करता हूं कि बोर्ड बजाय इसके कि सरकार से कर्जा ले, उसको अपनी बौरोइंग पावर का प्रयोग करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि चाहे हम कर्जदार हैं लेकिन बोर्ड की साख आज इतनी हो गयी है कि अगर आज वह मारकेट से कर्ज लेने चाहे तो उसे पर्याप्त कर्जा मिल सकता है। इन सुझावों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर आज बोलने का सुअवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा जो अनुदान इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज संसार में बिजली का इतना अधिक प्रयोग बढ़ गया है कि बिना बिजली के किसी भी देश का औद्योगीकरण नहीं हो सकता और किसी भी देश या प्रदेश का कोई भी काम बिजली पर निर्भर रहे बिना नहीं चल सकता। आज कृषि में, खनिज पदार्थों के खदान में और ऐसे अन्य गृह उद्योग धंधों में बिजली का इतना अधिक संचार हो गया है कि बिना उसके अब काम चलता नहीं दिखलायी देता।

मान्यवर, यों तो हमारे प्रदेश में राज्य विद्युत् बोर्ड की स्थापना हो गयी है और उसके द्वारा कार्य भी बहुत बड़े-बड़े लिये जा रहे हैं। जहां तक रिहंद डैम का संबंध है, उससे बिजली उत्पन्न करके बहुत बड़ी मात्रा में प्रदेश को बिजली देने की बात थी और यह आशा की गयी थी कि उसके द्वारा, प्रदेश के देहात-देहात का औद्योगीकरण हो जायगा लेकिन कई ऐसी बातें हो गयीं जिससे रिहंद डैम की बिजली आज तक प्रदेश में बंट तो नहीं सकी। मैं तो कुछ अपने क्षेत्र और अपने जिले का इस विषय में आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से जिक्र करना चाहता हूं कि मैं जिस जिले से आता हूं वह जिला कानपुर और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। आप जानते हैं कि कानपुर में बिजली का प्रयोग बड़ी-बड़ी मिलों और कल-कारखानों में होता है और वैसे ही इलाहाबाद में भी काफी बिजली का प्रयोग होता है लेकिन कानपुर और इलाहाबाद के बीच में हमारा छोटा-सा जिला फतेहपुर पड़ता है। वहां पर अभी पिछले दो-एक साल में ही शहर में बिजली पहुंची है और एक कस्बा बिन्दकी है वहां बिजली पहुंच सकी है और वहां के दूसरे बड़े-बड़े कस्बों, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरियाज का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ग्रामों के विषय में तो क्या कहा जाय कि वहां कब बिजली पहुंचेगी और कब वहां उससे उद्योगों का काम लिया जा सकेगा। जहां तक मेरे क्षेत्र का संबंध है वैसे तो जिला फतेहपुर के तहसील हेडक्वार्टर्स पर बिजली पहुंच गई है लेकिन मेरा जो खागा का निर्वाचन क्षेत्र है और जो हमारे प्रधान मंत्री जी का भी निर्वाचन क्षेत्र पड़ता है जहां कि पिछले वर्ष माननीय प्रधान मंत्री जी गये भी थे और इस विषय में वहां के जनप्रतिनिधियों ने और जनता ने एक स्मृति-पत्र भी रखा था और उस वक्त प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि इस विषय में आप अपने मुख्य मंत्री जी से कहें। इस पर हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से पिछले साल भी कहा और इस वर्ष भी कहा है लेकिन अब देखना है कि भविष्य में क्या होता है। मेरा निवेदन है कि इन योजनाओं के लिये कुछ बिजली गांवों के लिये केन्द्र से स्वीकृत होती है, अनुदान होता है कि इस से गांवों का विद्युतीकरण किया जाय। पिछले साल भी जब बातचीत हुई तो यही हुआ कि माननीय हाफिज जी जो उस समय इसके मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि केंद्र से बातचीत करें तो विद्युतीकरण हो जायगा और जब हाफिज जी केन्द्र में चले गये और उन्हें कुछ कर सकने का मौका मिला तो उन्होंने प्रदेश की बात कही। अब हम क्या

[श्री वासुदेव दीक्षित]

कर सकते हैं ? हम तो सरकार से ही उम्मीद कर सकते हैं। खागा ऐसे स्थान पर पड़ता है कि वहां से जी०टी० रोड कस्बे से पास होती है और रिहंद से जो कानपुर को बिजली की लाइन बन रही है उससे आसानी से वहां बिजली दी जा सकती है। पिछले साल जब फतेहपुर बिजली पहुंची तो उस समय वहां का सर्वेक्षण किया गया था, कुछ बिजली सरप्लस हो गई थी जो खागा को दी जा सकती थी, कुल २१-२२ मील का फर्क था लेकिन लिखा-पढ़ी में ही सारा विस्मृत हो कर खत्म हो गया। हमारे कृषि प्रधान देश में औद्योगीकरण बिना विद्युतीकरण के संभव नहीं है, हमारे गांवों में बिजली से छोटे-छोटे धंधे किसानों के खाली वक्त के लिये लगाये जा सकते हैं। स्विट्जरलैन्ड में यह घड़ियां कहीं एक साथ बड़े-बड़े कारखानों में नहीं बनतीं बल्कि वहां के किसान छोटे-छोटे पुर्जे अपने खाली वक्त में अपने घरों में बनाया करते हैं और बिजली से अलग अलग कल-पुर्जे जब तैयार हो जाते हैं तो वह एकत्र कर के बड़ी घड़ी के रूप में लाये जाते हैं और इस तरह से वहां के लोग विदेशों से अपने लिये धन कमाते हैं। इसी तरह से जब तक हम अपने गांवों का विद्युतीकरण नहीं करेंगे तब तक हमारे यहां औद्योगिक उन्नति नहीं हो सकती। इसी तरह से हम अपने छोटे-छोटे खेतों में हल बैल से काम चला सकते हैं लेकिन जहां बड़े-बड़े कृषि फार्म हैं वहां पर बगैर बिजली के न तो हम जुताई कर सकते हैं और न खेतों में पानी ही लगा सकते हैं। जब तक गांवों में बिजली नहीं पहुंचेगी तब तक हमारे यहां रिहंद आदि योजनाओं से कोई लाभ न होगा। बड़े-बड़े शहरों में तो बिजली करीब-करीब पहुंच ही गई है अब हमें गांवों की तरफ ध्यान देना चाहिये। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे, तभी हमारा देश समृद्ध हो सकेगा और धन-धान्य से पूरित हो सकेगा। इन चन्द शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में सबसे जरूरी है विद्युत का कार्य बढ़ाना, लेकिन मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है हम इसमें इतनी तरक्की नहीं कर सके जिस भावना से कि इस कार्य को उठाया गया था। देश में उद्योग और खेती मुख्यतः जीवन के लिये सहारे हैं। उन्हीं से रोटी रोजी चल सकती है और शिक्षा वगैरह सारी चीजें मुहैया हो सकती हैं। बिजली काफी तादाद में न होने के कारण देश की हालत गिरती गई है, उद्योग भी छिपते गये। लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि बाहर से मशीनें मंगवा सकें। अगर मशीनें मंगवाई भी तो वह बरबाद ही जायेंगी।

खेती का हाल यह है कि बहुत-सी जमीन बगैर सिंचाई के रह जाती है। अगर विद्युत का कार्य काफी तादाद में देहातों में हो जाता तो आज अन्न की समस्या जो देश में है वह हल हो जाती। खेती के लिये पानी बहुत महत्व की चीज है। खाद और बीज भी आवश्यक है, लेकिन पानी न होने के कारण फसल को बहुत नुकसान होता है और पैदावार घटती है। पानी से ही पाला और सूखा से बचत होती है। परन्तु बिजली की कमी के कारण देहातों की हालत गिरती गई और अन्न समस्या घटती गई।

शहरों में कुछ बिजली को बढ़ावा दिया गया है। बड़े-बड़े सेठ, साहूकार, टाटा, बिड़ला आदि लोगों को बिजली दी गई है जिससे बड़े-बड़े उद्योग-धंधे चल सकें। गांवों के जो छोटे-छोटे उद्योग-धंधे थे वह छिन गये क्योंकि बिजली न मिलने के कारण उनकी चीजों की लागत ज्यादा बैठती है और उनका पड़ता नहीं बैठता है। यही एक मुख्य कारण है कि देश में बेकारी, गरीबी और भुखमरी बढ़ती गई और इसीलिये देश में अपराध भी बढ़े, क्योंकि जरूरत के कारण चोरियां, डकैतियां और कत्ल होते हैं। जितने भी अपराध आज बढ़ रहे हैं उनके लिये सरकार और विद्युत् विभाग दोषी हैं। अगर विद्युत की तरक्की की गई होती तो खेती की समस्या हल होती और छोटे-छोटे उद्योग धंधे भी चले होते। आज गांव के जुलाहे, कोरी और लोहे के छोटे-छोटे काम करने वाले आदि सब बेकार हैं और पैसा न होने के कारण मशीनें भी नहीं खरीद सकते हैं।

सुहावल से जो बिजली दी गई है मसौली, बाराबंकी में तो उससे कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुई बल्कि सिंचाई में लोगों को २०–३० रुपया फी एकड़ के हिसाब से देना पड़ता है। अभी बाराबंकी में पटंगा में एक ट्यूबवेल लगा है और रुदौली में रामसनेही घाट में लगे हैं, और बहुत से लगे हैं, लेकिन बिजली काफी प्राप्त न होने के कारण कोई काम नहीं हो पाता।

यह बताया गया कि जहां ५ हजार से ज्यादा की आबादी है वहां पर बिजली देंगे। आप देखें बाराबंकी शहर में वहां के एक चेयरमैन साहब ने बिजली की कम्पनी खोल रखी है और वह इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं कि अगर मसौली से बाराबंकी को बिजली दी जाय तो शहर वालों को सस्ती पड़ सकती है।

मंत्री जी ने कहा कि ५ हजार से ज्यादा की आबादी वाले गांवों को बिजली देंगे। तो इतनी आबादी से ज्यादा के या तो कस्बे होते हैं या शहर, गांव तो होते नहीं। कस्बों के आदमी गांव वालों की अपेक्षा वैसे ही खुशहाल होते हैं। तो माने यह है कि सरकार बड़े-बड़े आदमियों और कस्बों तथा शहरों की ही तरक्की चाहती है, गांवों में गरीबों को नहीं उठाना चाहती।

आप देखें कि कस्बे वाले या शहर वाले ज्यादा खेती कर सकते हैं या गांव वाले? आप गांव वालों के साथ सौतेले भाई ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर अन्न समस्या और बेकारी आपको दूर करनी है तो गांवों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वहां ८३ फीसदी जनता रहती है। कस्बों और शहरों में तो पहले से ही कारखाने लगे हुये हैं; लेकिन उनको तो आप सस्ती बिजली देंगे और जो गांवों के छोटे-छोटे उद्योग-धंधे हैं उनको पनपाने के लिये आप बिजली नहीं देंगे।

हैदरगढ़ और रामसनेही घाट का ऐसा इलाका है जहां नदी का किनारा है और ऊसर बंजर जमीन ज्यादातर है। अगर वहां बिजली का प्रबन्ध किया गया होता तो ऊसर जमीन उपजाऊ बनायी जा सकती है और नदी के तराई इलाके में सिंचाई की सुविधा होने के कारण अन्न की समस्या भी हल होती, लोगों की बेकारी दूर होती।

कोयले के संबंध में मुझे यह कहना है कि आज तक सरकार उसके संबंध में क्षति पूर्ति नहीं कर सकी है। तमाम मिलें कानपुर में बन्द हो रही हैं, हड़तालें हो रही हैं। बाराबंकी का यह हाल है कि भट्टे वगैरह जो किसान लगाना चाहते थे वह नहीं लगा रहे हैं। जब कि चीन में देखिये वहां हजार डेढ़ हजार मील दूर से कोयला ला करके सरकार देती है। यदि हमारी सरकार भारत में कोयले की खोज करे तो १००–२०० मील के अन्दर कोयला प्राप्त हो सकता है।

अगर छोटे-छोटे उद्योग-धंधे और खेती की समस्या को हल करना है तो इनके साथ में सरकार मुनाफाखोरी न करे, व्यापार न करे। लागत दाम पर किसानों को और छोटे उद्योग-धंधे चलाने वालों को बिजली दे। अगर मुनाफाखोरी करती है तो उत्पादन शक्ति इन लोगों की घटेगी। नतीजा यह होगा कि अरबों का अनाज आपको विदेशों से लाकर लोगों को खिलाना पड़ेगा, जो सरकार कर भी रही है। अगर गांव वालों को बिजली की सुविधा दी जाय तो आपको बाहर से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा और साथ ही छोटे-छोटे उद्योग-धंधे पनपेंगे जिससे देश खुशहाल होगा।

हर छोटे से छोटा रोजगारी चाहता है कि हम उत्पादन करें। लेकिन सरकार बिजली के संबंध में भारी कर लगाती है। ट्यूबवेल पर भारी मुनाफा लेने के कारण आज उनमें शक्ति नहीं है कि अपनी खेती में उसका पानी दे सकें जिसके कारण उत्पादन कम होता है। अगर सरकार रस्तोगी और यहूदी की तरह से उत्पादन करने वाले छोटे-छोटे किसानों से मुनाफा लेती है और कर लगाती है तो देश के साथ अहित करती है। अगर सरकार बड़े उद्योगों को दबा

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

कर छोटों को उठाना चाहती है तो बिड़ला जिनको बिजली दी गयी उनके कारखानों पर भारी टैक्स लगाये ताकि उनके पास जो ज्यादा मुनाफा होता है उसमें से एक बड़ा हिस्सा सरकार को मिले और साथ ही छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन मिले।

गोपनीय रिपोर्टों को सदन में रखने के संबंध में व्यवस्था—(क्रमागत)

श्री अवधेश प्रतापसिंह—मुझे निवेदन यह करना है कि रूलिंग हमको मिल जाय तो रिप्लाई में आसानी हो जायगी।

श्री अधिष्ठाता—इसमें माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि रिपोर्ट बहुत जल्दी सामने आयेगी और उसको हर एक माननीय सदस्य देख सकेंगे। इसके अन्दर यह नहीं है कि वह टेबिल पर रखी जायगी और तकसीम होगी। देखने के लिये माननीय सदस्य को अब भी यह सुविधा पूरी इस बात की है कि वे उनके पास जा कर देख लें।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, ५९ में पालीवाल जी ने एक सवाल किया था और उसके जवाब में उत्तर यह दिया गया था कि कमेटी की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है और गोपनीय है। मैं जानता हूं कि जनरल डिबेट के अवसर पर पहले जो सिंचाई मंत्री थे उन्होंने यह कह दिया था कि इस पर जो रिपोर्ट आयेगी तो माननीय सदस्य उसे देख सकेंगे। हमने उस पर फिर विचार किया और जब रिपोर्ट सामने आई तो विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वह रिपोर्ट गोपनीय रहनी चाहिये और उसे हम अब भी गोपनीय मानते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मुझे यह निवेदन करना है कि इस वक्त आप रूलिंग न दें। स्पीकर साहब को आने दें। तब तक के लिये उसे मुल्तवी कर दिया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के मांगों पर मतदान—

अनुदान संख्या २६—विद्युत् योजनायें, अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पूंजीगत लागत (क्रमागत)

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें संदेह नहीं कि किसी भी प्रदेश की उन्नति में सिंचाई, बिजली और सड़कें ये तीन चीजें आवश्यक हैं। आज इस अनुदान के प्रस्तुत करने के अवसर पर हमारे माननीय मंत्री जी ने जो यह निश्चय किया है कि अपने प्रदेश के लगभग ९,५०० गांवों में बिजली देंगे उसके लिये मैं उनको अवश्य बधाई दूंगा। मान्यवर, जिस समय रिहन्द बांध का बनना शुरू हुआ था उस समय आश्वासन पूर्व के कुछ जिलों को दिया गया था कि बिजली कम से कम गोंडा, बहराइच तक पहुंचाई जायगी। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से जिनको मंत्री जी स्वयं जानते हैं उनका वह खयाल नहीं रहा और उसके बाद पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि सुहावल से बिजली गोंडा और बहराइच को दी जायगी।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जबकि आपने एक बोर्ड का निर्माण किया और बोर्ड के द्वारा बिजली के प्रसार का एक तरीका निकाला तो इस समय यह भी आवश्यक है कि बिजली के प्रसार की योजना बनाते हुये यह हम देखें कि कहां-कहां पर बिजली का फैलाना आवश्यक है। यह देखा गया है और जो किताबें मिली हैं इस सम्बन्ध में उनसे यह मालूम हुआ कि बिजली की योजना काफी घाटे में चल रही है और घाटे में चलने का कारण हमारी गलत प्लानिंग है। हमने यह भी देखा है कि उन मुकामों पर जहां बिजली की कोई मांग नहीं है वहां केवल दो-चार आदमियों को खुश करने के लिये बिजली दे दी गयी है लेकिन जहां पर हमारी इंडस्ट्रियल पोटेंशियलिटीज हैं उनको हम एक्सप्लायट करके फायदा उठा सकते हैं

वहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुंचायी गयी। इस सिलसिले में मैं मंत्री जी का ध्यान बहराइच जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां नैपाल की सरहद से मिला हुआ एक मुकाम भिनगा है। वहां की इंडस्ट्रियल पोटेंशियलिटीज बहुत ज्यादा हैं लेकिन वह अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि वहां पर अभी तक बिजली का संचार नहीं हो पाया है। वहां की मांग है कि वहां बिजली पहुंचायी जाय और मैं यह भी मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि वहां बिजली पहुंचाने में जो खर्चा होगा वह वहां जो कारखाने खुलेंगे उनसे पूरा हो जायगा।

मैं माननीय तिवारी जी से पूर्णतया सहमत हूं कि बिजली एक ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हम अपने प्रदेश की उन्नति जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। जो प्राविधान इस अनुदान के अन्तर्गत किया गया है वह इतने बड़े काम को देखते हुये .....

श्री भजनलाल (जिला इटावा)––व्यवस्था का प्रश्न। कोरम पूरा नहीं है। यही हालत कल भी रही थी और यही हालत आज भी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि उस तरफ की जिम्मेवारी है कि कोरम पूरा करें और अगर कोरम पूरा करने की शक्ति नहीं है तो इसको स्थगित कर दिया जाय।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव––मैं यह कह रहा था कि यदि जो प्राविधान इस अनुदान के अन्तर्गत किया गया है इससे भी अधिक किया जाता तो अवश्य ही हम अपने मंत्री महोदय को और भी बधाई देते।

इसके अतिरिक्त हमारे भाई माननीय तिवारी जी ने एक सुझाव यह दिया कि जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं वे केवल एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ही रहें और सेक्रेटरी न रहें लेकिन जिस स्टेज में हम चल रहे हैं और कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जिनकी वजह से राज्य सरकार और बोर्ड का सम्बन्ध बना रहना आवश्यक है ऐसी अवस्था में मैं यह समझता हूं कि यह उचित ही होगा कि फिलहाल जब तक वे कारण दूर न हों तब तक समन्वय बना रहे, और वह सेक्रेटरी और चेयरमैन दोनों पदों को ग्रहण करते रहें।

(इस समय २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

हां, यह अवश्य है कि जब बिजली की तमाम योजनायें हमारे बोर्ड के अन्तर्गत कर दी गयी हैं तो क्या कारण है कि रिहन्द बांध की भी योजना बोर्ड के अन्तर्गत नहीं की गयी। उसको भी चेयरमैन एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्तर्गत होना चाहिये था। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी इस पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे और रिहन्द डैम की योजना को एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्तर्गत लाने की कृपा करेंगे। मैं यह कह देना चाहता हूं कि कम से कम यह खयाल रहना चाहिये कि जो ट्यूबवेल बिजली द्वारा चलाये जाते हैं उन पर केवल रोशनी के लिये बिजली बेकार सर्फ होती है उसको रोकने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये और इस तरफ से जो पावर हाउस सरकार के बने हुये हैं जिन पर सरप्लस बिजली मौजूद है लेकिन फिर भी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, उसका भी उपयोग होना चाहिये, इन चन्द सुझावों को देकर मैं आप की आज्ञा से इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)––उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव श्री अवधेशप्रतापसिंह जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की ८.४ फीसदी आबादी केवल उद्योग के ऊपर निर्भर है। इसलिये अपने प्रदेश की आबादी को कृषि से हटाकर उद्योग की ओर ले जाना चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि इस प्रदेश का अधिक से अधिक औद्योगीकरण किया जाय और इसके लिये सब से ज्यादा आवश्यकता बिजली की होती है। इस मामले में हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

सन् १९५६ में हमारे यहां ३ लाख ७० हजार किलोवाट बिजली का प्रोडक्शन था वह ६०-६१ में ४ लाख ३८ हजार का हुआ। लेकिन लक्ष्य था ६ लाख १९ हजार किलोवाट बिजली पैदा करेंगे। इस प्रकार से ५ वर्ष में केवल हमारे यहां ६८ हजार किलोवाट बिजली बढ़ी और जो हमने टारगेट निश्चित किया था उसको हम पूरा नहीं कर सकें। १,८१,००० किलोवाट बिजली का शार्टफाल हुआ। इससे साफ जाहिर है कि लगभग ३० फीसदी बिजली का शार्टफाल हुआ और प्रोडक्शन सरकार नहीं बढ़ा सकी है और अब यह कहा जा रहा है कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में ११ लाख ८१ हजार किलोवाट बिजली पैदा कर देंगे जिसका तात्पर्य है कि आजकल से ढाई गुनी बिजली ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन जो पिछला तजुर्बा रहा है उससे जाहिर है कि इस तरह से प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है। अभी मंत्री जी ने अपने भाषण में जो विचार व्यक्त किये वह यह कि केवल उन्होंने संकेत किया कि हमारी योजनायें बनी रखी हैं उनके द्वारा हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि किस प्रकार की योजनायें बनी हुई हैं और जैसे कार्यान्वित की जा रही हैं उसके आधार पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में टारगेट पूरा कर लेंगे इसमें संदेह है और यदि पूरा कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की बहुत बड़ी भलाई होगी। मान्यवर, यह नहीं बताया गया है कि शार्टफाल का क्या कारण है और किन कठिनाइयों की वजह से यह हुआ। मंत्री जी ने केवल दिक्कतें बताई हैं और यह कहा कि हमारे मार्ग में दिक्कतें आईं। यह भी अच्छा होता कि वह यह स्पष्ट करने की कृपा करते कि किन कठिनाइयों के कारण यह शार्टफाल हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रदेश में बिजली बढ़ाना चाहते हैं, अगर इस प्रदेश को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं तो तीसरी योजना में अपनी योजनाओं को सही ढंग से चालू करें। हमारे प्रदेश में जो सरकारी तौर पर बिजली पैदा की जाती है उसमें पर किलोवाट लगभग १,५०० रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन अगर वही बिजली प्राइवेट एजेंसी से पैदा की जाती है तो उसमें ६२५ रुपये का ही इन्वेस्टमेंट होता है। एक तरफ सरकार पन्द्रह सौ रुपये हाइड्रो एलेक्ट्रिक में, १,२४० रुपये थर्मल प्लान्ट में फी किलोवाट कैपिटल इन-वेस्टमेंट खर्च करती है। जबकि प्राइवेट एजेंसीज का ६२५ रुपये फी किलोवाट कैपिटल इन-वेस्टमेंट होता है। इतना बड़ा अन्तर है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह सरकार छ-सात सौ रुपया फी किलोवाट बिजली में ज्यादा इनवेस्ट करके जो प्रदेश में उन्नति होने वाली है, उसमें बाधा उत्पन्न कर रही है। अगर इसी तरह इनवेस्टमेंट चलता रहा तो मेरा विश्वास है कि लगभग ३५ करोड़ रुपये की क्षति होगी।

मान्यवर, एक किताब वितरित करके कहा गया है कि हमारा प्रोडक्शन जितना है उससे बिजली का कंजम्शन कम हो रहा है। १९५९-६० में १,१४,१०,८७ हजार यूनिट बिजली कुल उत्पादित हुई, और खर्च हुई ८९,३६,७६ हजार यूनिट। २४,७४,११ हजार यूनिट बिजली नष्ट हो गयी। उसका कारण यह बताया गया है कि यह बिजली दूसरी जगह भेजी जाती है। उसके वितरण करने में और दूसरी तरह से यह बिजली नष्ट हो गयी है, जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता है। अगर इस वेस्टेज का परसेंटेज लगाया जाय तो प्रोडक्शन की लगभग ५ प्रतिशत बिजली नष्ट होती रहती है और इस विभाग की तरफ से इसकी रोक-थाम का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में दिन पर दिन बिजली का शार्ट फाल होता जा रहा है। सरकार की तरफ से स्वयं इसको स्वीकार किया गया कि स्टेट ट्यूबवेल्स इसलिये नहीं चलाये जाते हैं क्योंकि बिजली नहीं है। सभी शहरों में, कानपुर, लखनऊ में बड़े-बड़े और छोटे-छोटे कारखानों को आड पीरियड्स में इस लिये बिजली सप्लाई की जाती है क्योंकि बिजली की बहुत बड़ी कमी है। लेकिन उनको पूरा करने की कोशिश नहीं की जा रही है। अगर मंत्री जी बिजली को सबसे पहले आवश्यकता समझते हैं तो इसको टाप प्रायरिटी देनी चाहिये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि बिजली का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाय। आवश्यकता इस बात की है कि हर जिले में एक थर्मल प्लांट लगायें, नयी योजनायें बनायें, जिस तरह से सरकार ने रिहन्द को बांधा है उसी तरह से राप्ती को बांध कर नया डैम तैयार करें। दो

तीन वर्ष में डैम तैयार हो सकता है और बिजली का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है लेकिन इस ओर सरकार की तरफ से विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । कुछ ऐसी प्रथा भी चल गई है कि हमारे प्रदेश में जो बिजली के प्राइवेट लाइसेंसीज हैं, उनकी वजह से कठिनाई उत्पन्न हो रही है । ऐसी कम्पनीज जो सही-सही बिजली सप्लाई नहीं कर सकती हैं, निरन्तर उनके विरुद्ध शिकायतों के बावजूद, उनके लाइसेंस को रिन्यू किया जाता रहता है । लखनऊ में मार्टिन बर्न कम्पनी सही सही ढंग से बिजली सप्लाई नहीं कर पा रही है, जितनी बिजली सप्लाई करनी चाहिये उतनी नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसका लाइसेंस रिन्यू किया जाता है ।

उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वार्षिक वित्तीय लेखे में कहा गया है कि ऐक्ट की धारा २३ के अधीन परिषद् के लिये लायसेंस दारों को उनकी अंडरटेकिंग्स के प्रयोजनों के लिये ऋण देना आवश्यक होगा । ऋण देना तो आवश्यक है लेकिन स्थिति यह है कि सही ढंग से वे बिजली सप्लाई नहीं कर सकते और जनता की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं। उन बिजली कम्पनियों को अगर ऋण दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि बजाय उनकी इन एफिशिएंसी को तरजीह देंगे । अभी नारायण दत्त जी ने बत या कि विद्युत् परिषद् एफिशिएंसी में उसके परसोनेल बहुत अच्छे हैं । मैं भी इसकी ताईद करता हूं लेकिन साथ ही साथ अगर परसोनेल अच्छा हो और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है । तो हम विवश होंगे यह कहने के लिये कि अच्छे परसोनेल के होते हुये भी रिजल्ट अच्छे नहीं निकल रहे हैं तो आवश्यकता इस बात की है कि इन परसोनेल से अच्छे से अच्छे काम लेकर रिजल्ट अच्छे निकाले जायं ।

मान्यवर, ऐडवाइजरी कमेटी की बात कही गई । एलेक्ट्रिसिटी कानून के मातहत यह आवश्यक है कि ऐडवाइजरी कमेटी बनाई जाय । कानपुर में बिजली के सम्बन्ध में पिछले ४,५ महीनों में छोटी-मोटी काफी गड़बड़ियां हो चुकी हैं । वहां पर बिजली की कमी के सम्बन्ध में नागरिकों की तरफ से एक बात कही गई और सरकारी कर्मचारियों की तरफ से दूसरी बात कही गई । वहां पर यह नितान्त आवश्यक था कि एक ऐडवाइजरी कमेटी बिठाई जाती जो इस बिजली की कमी के कारण को जानती और सुझाव देती कि किस तरह से इस कमी को दूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया ।

मान्यवर, हमारे सामने वित्तीय वर्ष का लेखा प्रस्तुत किया गया है । इससे हमारे प्रदेश की सही शक्ल हमारे सामने आनी चाहिये । वह शक्ल हमारे सामने नहीं आई है । आवश्यकता इस बात की है कि परिषद् का जो वित्तीय लेखा जोखा हो वह बैलेंस शीट के रूप में सामने होना चाहिये जिससे मालूम हो कि हमारी जरूरत के मुताबिक कितना इन्वैस्टमेंट है और कितना खर्चा है । साथ में संलग्न ब्योरा हमारे सामने होना चाहिये जिससे सही रूप में हम जान सकें कि कितना हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और कितना हमारा टोटल एक्सपेंडीचर है और उस टोटल एक्सपेंडीचर पर हम कितना घाटा या मुनाफा उठा रहे हैं । यह बात सभी ने स्वीकार की है कि जो बिजली की योजनायें हमारी चल रही हैं वह घाटे पर चल रही हैं । इस बात को प्रस्तुत नहीं किया गया है कि वे घाटे पर क्यों चल रही हैं । मैंने आपके द्वारा माननीय सदन के सदस्यों की सेवा में यह निवेदन किया कि यहां पर कि० वा० जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वह बहुत ज्यादा है। उसको रेगुलेराइज करते हुये सही तरीके से इस्तेमाल कर उस कमी को दूर करना चाहिये ।

समाचारपत्रों तथा मुख्य मंत्री के वक्तव्य से यह बात जाहिर होती है कि अल्मोनियम फैक्टरी के लिये रिहन्द डाम से जो बिजली लेने की बात थी वह अब अपने फैसले को बदल रहे हैं। इसके सम्बन्ध में इस सदन में कई बार बहस हो चुकी है । यदि कम्पनी वाले अपने फैसले को बदल रहे हैं तो उसमें एक बात यह हो सकती है कि यह बिजली उनको अनइकोनामिक पड़ रही हो या पर किलोवाट कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां पर ज्यादा पड़ता हो और वह उससे कम इन्वेस्ट करके अधिक बिजली उत्पादन करने की स्थिति में आ गये हों । जिसके कारण वह अपनी

[श्री भगवती सिंह विशारद]

तरफ से बिजली पैदा करने में तत्पर हो रहे हों। इसलिये हमारे यहां जो बिजली के सम्बन्ध में योजनायें चल रही हैं उनका संचालन करने के लिये वास्तव में तत्परता की आवश्यकता है। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे तो प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा हो सकेगी और इन बिजली की योजनाओं को जल्द से जल्द सफलता मिल सकेगी। मैं आशा करता हूं, इसके अलावा और भी सक्रिय कदम उठाये जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अवधेशप्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो विद्युत् का अनुदान माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रदेश के लिये बिजली की वैसी ही आवश्यकता है जैसे कि इंसान की जिन्दगी के लिये रगों को खून की आवश्यकता होती है। इस प्रदेश की गरीबी तभी दूर हो सकेगी जब इस प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योग धंधे लगाये जायेंगे। वे उद्योग धंधे तभी लग सकते हैं जब बिजली की मात्रा का उत्पादन हमारे प्रदेश में बढ़े। हमारे जितने भी पावर स्टेशन हैं उनमें काफी दिक्कतें आ जाती हैं। विदेशी मुद्रा के न मिलने की वजह से टरबाइन नहीं मिल पाती हैं और कभी-कभी बाहर से मशीन के आने में भी दिक्कत पड़ जाती है। इसलिये प्रदेश में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये यद्यपि सरकार जो योजना बनाकर रखती है वह उत्पादन पूरा नहीं हो पाता है। जो योजनायें इस प्रदेश में बड़े बांधों द्वारा बिजली पैदा करने के लिये बनाई गईं उनमें भी दिक्कत पड़ जाती है। हम मातातीला से जितनी बिजली की आशा करते थे वह भी इन्हीं कठिनाइयों के कारण आज तक पूरी नहीं हो पाई है। रिहन्द में भी जो बिजली की योजना है उसमें भी इस तरह की दिक्कतें हैं। रिहन्द का तो एक यही मसला नहीं तय हो पा रहा है कि उसकी बिजली उद्योगपतियों को दी जायगी अथवा खेती के काम आने वाले नलकूपों को दी जायगी। बहरहाल, यह एक समस्या है जिसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और अगर बिजली के उत्पादन की तरफ सरकार ने विशेष रूप से ध्यान न दिया तो यह परेशानी दूर होने वाली नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कानपुर के केसा के कारखाने की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री भजन लाल—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजायी गयी।)

श्री टीका राम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, यह स्वतंत्र लोग कहां चले जाते हैं पता नहीं लगता।

श्री उपाध्यक्ष—आप के रहते हुये किसी और की भी जरूरत है?

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि केसा में बिजली भी पैदा होती है और उसका वितरण भी होता है और जहां तक मेरी सूचना है, वहां काफी मात्रा में बिजली है। लेकिन जो वितरण होता है उसमें कहीं न कहीं कोई गलती जरूर है क्योंकि अक्सर यह होता है कि महीनों आदमी दौड़ता रहता है, इंतजार करता रहता है और उसे बिजली नहीं मिल पाती। यहां बिजली वितरण के लिये जो कमेटी बनी हुई है उसमें कोई भी गैरसरकारी आदमी नहीं है। मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जहां इस तरह के बड़े-बड़े कारखाने हों वहां वितरण के लिये यदि कोई समिति हो तो उसमें किसी गैरसरकारी आदमी को जरूर रखा जाय। इसकी व्यवस्था होनी चाहिये और ऐसा होने से मैं उम्मीद करता हूं कि यह शिकायतें कम हो जायेंगी।

विद्युत् ऐसे कारखाने भी प्रदेश में लगने चाहिये कि जो थोड़ी-थोड़ी बिजली पैदा कर सकें। बड़े बड़े कारखाने लगा कर उनसे बिजली दूर तक ले जाने में काफी खर्च पड़ता है और वह बिजली महंगी पड़ती है। कानपुर जिले में ही केसा के बिजली घर से आपने चार जगह बिजली दी है और उन कस्बों के बिजली के रेट में और कानपुर के रेटों में काफी अन्तर है। इतना बड़ा अंतर सचमुच में नहीं होना चाहिये। बिजली तो उद्योग के लिये आवश्यक सामग्री है जो लोगों को सस्ती मिलनी चाहिये, भले ही कारखाने को उस से लाभ न होता हो, लेकिन जब छोटे-छोटे कारखानों को बिजली सस्ती दर पर मिलेगी तो वे चल सकेंगे। कानपुर जिले में बिजली की कमी के कारण ही पुखरायां में जो औद्योगिक क्षेत्र (इस्टेट) बनने वाला था वह मंसूख कर दिया गया है। मेरा खयाल है कि बिजली की कमी के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं मंत्री जी का ध्यान उधर आकर्षित करता हूं और चाहता हूं कि कृपा कर वह इस बात पर विचार करें और पुखरायां को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करें और वहां बिजली की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं जानता हूं कि मुगलसराय से आगे कोयला आने में दिक्कत होती है और इसलिये छोटे-छोटे थर्मल स्टेशंस बनने चाहिये और वे क्रूड आयल से ही चल सकते हैं। सिंगरौली में जो कोयले की खान मिली है, मैं समझता हूं कि वहां कोई कारखाना बनने वाला है। अगर वहां बिजली पैदा की जाय तो उस से इस प्रदेश की एक बड़ी कमी दूर हो सकती है और आज जो पूर्वी जिलों में नलकूप लगे हुये हैं, जहां बिजली की कमी बतलायी जाती है उसकी भी पूर्ति हो सकती है। आज इसकी जरूरत खेती के लिये ही नहीं है बल्कि अन्य उद्योग-धंधों के लिये भी इसकी जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि लोगों को खेती से हटा कर छोटे छोटे उद्योगों की तरफ लाया जाय। हमारे पूर्वी क्षेत्र के लोग अक्सर यही सुनाया करते हैं कि वहां गरीबी बहुत है, उससे लड़ने का यही एक उपाय है कि आदमियों को उद्योगों में लगाया जाय। मेरा निवेदन है कि सुहावल में जो कारखाना बिजली का आपने बना रखा है उसे भी इस योजना में जोड़ना चाहिये। इस तरह से गोरखपुर, सुहावल, रेहन्द डाम और सिंगरौली आदि को, मिलाकर सरकार कोई योजना तैयार करेगी तो उससे बड़ी सहायता आप को मिलेगी।

माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि वे पहाड़ों पर बिजली के सिलसिले में व्यवस्था कर रहे हैं। मैं ४ वर्ष तक बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी का सदस्य रहा हूं और मुझे मालूम है कि वहां बिजली की जो व्यवस्था की गयी है वह पर्याप्त नहीं है। वहां बिजली की एक छोटी सी मशीन लगा दी गयी है जो क्रूड आयल से चलती है। मेरा निवेदन है कि वहां पर जो झरने हैं उनमें अगर पावर स्टेशन बनायें तो श्री केदारनाथ जी, श्री बद्रीनाथ और जोशीमठ आदि सभी जगहों के लिये बिजली उपलब्ध हो सकती है। वे आज अच्छे शहर भी होने वाले हैं क्योंकि अब वहां तक सड़कें बन रही हैं और बसें भी पहुंच सकती हैं। काफी संख्या में अब यात्री वहां जाते हैं। इसलिये इन क्षेत्रों में हाइडिल से बिजली पैदा करने की कोशिश की जानी जाहिये। मैं समझता हूं कि विभागीय इंजीनियर्स इस तरफ ध्यान देंगे और इसके लिये कोई योजना बनाकर इस कमी की पूर्ति करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका विरोध करता हूं।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदन में जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका समर्थन करने के लिये और प्रस्तुत अनुदान का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में बिजली एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु है और जिन देशों ने भी उन्नति की है उसका विशेष कारण वहां पर बिजली के साधन होना ही है। अपने देश के अन्दर बिजली के सम्बन्ध में जितनी योजनायें चल रही हैं अगर वे समय से पूरी हो गयी होतीं तो उससे देशवासियों का बहुत बड़ा लाभ हुआ होता। अपने तराई भाग में चलने वाली योजनाओं में से जिस जमुना विद्युत योजना का आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन् १९४८ में रखी थी वह योजना भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पायी है और माननीय मंत्री जी ने गत वर्ष यह घोषणा की

[श्री शिवराम]

के कि उसको पूरा किया जा रहा है। यदि वह योजना पूरी हो गयी होती तो अपने प्रदेश एक बहुत बड़े भाग में सिंचाई की जा सकती थी और बिजली भी काफी मात्रा में मिल सकती थी। इसी प्रकार से कालागढ़ की योजना भी मुद्दत से खटाई में पड़ी हुई है, वह भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। जो माताटीला बांध की योजना चल रही है, पता नहीं वह कब पूरी होगी। इसी क्षेत्र में पथरी से निकाली गयी एक १०० मील लम्बी लाइन जो मुरादाबाद में पड़ती है, वह सन् ५७ में चालू की गयी थी, मगर वह भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। थोड़ा-थोड़ा कार्य किया जाता है। इस वर्ष भी खम्भे तो गाड़ दिये गये हैं मगर तार नहीं लगाये गये हैं। जितनी भी कम्पनियां होती हैं उनके पास कई-कई जगह के काम होते हैं और वे उसे समय से पूरा नहीं कर पाते। सरकार यह कहती है कि सामान नहीं मिलता है कि स्तु देखा जाय तो मुरादाबाद से लेकर लक्सर तक प्रत्येक स्टेशन पर सामान मौजूद है, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। गंगा नदी पर दो खम्भे बनने हैं, मगर वहां का काम अभी तक नहीं बन पाया है। ये खम्भे, जो भारत देश में विद्युत योजनायें चल रही हैं, उनमें जो खम्भे बने हैं, उनमें सब से ऊंचे होंगे। यद्यपि पिछले वर्ष एक खम्भे को खड़ा किया गया था, लेकिन आंधी आने से वह गिर गया, अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ। यदि वह खम्भा बन कर तैयार हो जाय तो बहुत जल्दी उस सौ मील लम्बी लाइन को चालू किया जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। पता नहीं सरकार उसके चालू करने में क्यों देरी कर रही है? यदि सौ मील लम्बी लाइन को पूरा कर दिया गया और बिजली चालू हो गयी तो इस क्षेत्र में जो मौजूदा बिजली है वह सिंचाई के साधनों में, क्रशर इत्यादि चलाने में, छोटे-मोटे उद्योग धंधे चलाने के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ सहायक सिद्ध हो सकती है।

सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में अफजलगढ़ में बिजली लगाने की घोषणा की, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो गयी, अभी तक नहीं लगायी जा सकी। अब ततीय पंच वर्षीय योजना चालू है। जहां तक अपने इस पिछड़े हुये इलाके का संबंध है, सरकार अभी तक बिजली ही न दे पायी है, और पिछड़े हुए इलाके को तो बिलकुल ही नहीं दे पायी। शहरी क्षेत्र में कहीं-कहीं बिजली कम ही पहुंच पायी है। विशेष तौर पर जो मैदानी इलाका है और बिजली के अभाव में किसानों ने जो अपने ट्यूबवेल लगाये और सरकार द्वारा जो चालू हैं वह बिजली न होने की वजह से बेकार पड़े हैं। बुलन्दशहर आदि में भी बिजली की आवश्यकता है। माताटीला डैम बना लेकिन झांसी में १२ वर्ष के दौरान में बिजली नहीं पहुंच पायी। सरकार कहती है कि महंगा सामान मिलता है, योजनाएं पूरी नहीं हो पातीं और सरकार का बजट हर साल बढ़ता चला जाता है।

इस विद्युत् योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी काम करते हैं उनका बड़े खतरे का काम है, बहुत से व्यक्ति मर भी जाते हैं, उनके बाल-बच्चों के भरण-पोषण का भार सरकार के ऊपर पड़ता है। गरीब कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर की व्यवस्था नहीं है। उनको अन्य सुविधायें ठीक तौर से नहीं मिल पाती हैं। मौजूदा स्थिति में उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए।

जहां तक विद्युत् विभाग का सम्बन्ध है, यदि ये योजनाएं जहां पर चालू हैं वह ठीक तरह से पूर्ण हो जायें तो सभी क्षेत्रों में काफी विकास-कार्य हो सकता है। बिजली की कमी से तो बड़े-बड़े उद्योग और छोटे उद्योग भी ठप्प होते जा रहे हैं। लोगों ने जहां, क्रशर लगाने शुरू किये हैं उनको लाइसेंस ठीक समय पर नहीं मिलता, इससे उनको परेशानी होती है। आधा मौसम चला जाता है और वह गन्ना नहीं पेर पाते। बिजली लेने पर वह अपनी चक्की भी लगाते हैं और धान आदि कूटने और आटा पीसने का काम करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण उद्योग के लिये बिजली की परम आवश्यकता है। यदि लाइसेंस जल्दी मंजूर हो जाते हैं तो जो रुपया उन्होंने लगाया है वह व्यर्थ नहीं जायगा। लाइसेंस के मंजूर होने से जो उस क्षेत्र के काश्तकार हैं वह भी लाभान्वित होते हैं और अपना गन्ना आदि वहां पर पेर सकते हैं। इसलिये जहां के लिये बिजली मंजूर है वहां

लाइसेंस जल्दी ही दे दिये जायं जिससे वह अपने काम को ठीक समय पर चालू कर सकें और पूरा लाभ उठा सकें।

इसी प्रकार जिन्होंने अपने कुएं लगा लिए हैं और उनको लाइसेंस नहीं मिला और मौसम चला जाता है तो वह सिंचाई नहीं कर पाते। सरकार को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़––जैसे बुनने का काम है, कोई पैकार्ड लगाकर २, ४ करघे चलाना चाहता है, सरकार इसके लिये क़र्ज़ा भी देती है, कांच का काम है, खराद का काम है, बढ़ई लोगों को खराद की आवश्यकता होती है, लोहारी का काम है, अगर आसानी से लोगों को बिजली मिल जाय तो ये धंधे बहुत उन्नति कर सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है।

इसी तरह से तराई के इलाके में लोग बिजली चाहते हैं ताकि छोटे-छोटे उद्योग धंधे क़ायम करके वे अपना काम चला सकें। एक सिंचाई के लिये कुआं विकास खण्ड अफजलगढ़ में जो वहां चला था वह भी बन्द हो गया। यह इलाका इसलिये उन्नति नहीं कर पाता है कि इसमें न बिजली है और न सिंचाई का प्रबन्ध है। वहां भगवान के भरोसे ही केवल एक फ़सल होती है। सिंचाई का प्रबन्ध होने से वह इलाका सरसब्ज हो सकता है। रायपुर चुंडैली एक नजीबाबाद के पास गांव है, जहां तक बिजली गई है लेकिन बढ़ापुर में नहीं है। यद्यपि वहां बीच में २, ३ नदियां पड़ती हैं और बिजली पहुंचाने में दिक्क़त पड़ सकती है लेकिन यह कई हजार की आबादी का क़स्बा है और वहां अगर बिजली पहुंचाई जाय तो क्रशर और काटेज इंडस्ट्रीज के कामों में बहुत सहूलियत हो सकती है। पिछड़े हुये क्षेत्रों की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि वहां जल्दी बिजली पहुंचाई जाय।

बड़े नगरों में भी बारबार बिजली की कठिनाई हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि देहरादून में १५ दिन के लिये बिजली बन्द हो गई। वहां के रहने वालों को बड़ी कठिनाई हो गई। जहां हम एक तरफ स्वावलम्बी जीवन की बात करते हैं वहां हमारा जीवन परावलम्बी होता जा रहा है। सारे नगर में पानी की समस्या पैदा हो गई और घरों में अंधेरा हो गया। ऐसी दशा में मोमबत्ती और लालटेनों का सहारा लेना पड़ता है। सारी चक्कियां बन्द हो जाती हैं। इसलिये अगर २/४ मिनट के लिये भी बिजली चली जाती है तो लोगों को परेशानी हो जाती है। पिछले दिनों कानपुर में बिजली की समस्या खड़ी हो गयी थी। इस प्रकार की कठिनाइयों को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिये।

इसलिये मैं प्रस्तुत अनुदान के विरोध में जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

जो कुछ काम माननीय मंत्री जी पीछे नहीं कर सके उनके लिये उन्होंने अफ़सोस जाहिर किया, यह उनकी शराफ़त है कि उन्होंने अपनी कमजोरी मान ली। नहीं तो पालिटिक्स में तो शायद यह होता है कि जितनी आदमी के अन्दर कमी हो उतनी जोर से चिल्लाता है। लेकिन मंत्री जी ने यह मान लिया कि ५ वर्षों में जितना वह करना चाहते थे, उतना नहीं कर सके। आगे के लिये उन्होंने बताया कि पहाड़ के लिये योजना है, जमुना, माताटीला, रिहन्द वगैरह की योजनायें हैं और उनका खयाल है कि अगले ५ साल में वह इतनी ज्यादा बिजली पैदा कर लेंगे कि शायद यहां उसकी खपत न हो सके और दूसरे प्रदेशों को भेजना पड़े। लेकिन मुझे कुछ ऐसा शक होता है कि इस भवन में तो शायद ये सब योजनायें पूरी हो जावें लेकिन भवन के बाहर साल के आखिर में उनको यही कहना पड़े कि हमें अफ़सोस है कि हम यह काम पूरा नहीं कर सके। सन् ५२ से हम सुनते रहे हैं कि मुहम्मदपुर पावर हाउस बन रहा है, पथरी पावर हाउस बन जायगा और बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजासिंह]

फालतू हो जायगा। फिर हरदुआगंज के लिये यही कहा गया। लेकिन हर साल आखिर में यही कहना पड़ा है कि अफ़सोस है कि हमें तार नहीं मिला, मजदूर नहीं मिले, सीमेंट नहीं मिला और हम यह काम पूरा नहीं कर सके। मुझे एक पंजाब में स्कूलों में छोटी-सी एक कहानी पढ़ाया करते थे वह याद आ रही है। वह है "यह शरीर लड़का"। वह बाहर चराने को भेड़ें ले जाया करता था। उसे एक दिन शरारत सूझी कि शोर मचा दिया 'शेर आया, शेर आया'। लोग यह समझ कर दौड़ पड़े कि वाक़ई शेर आ गया है, मगर वहां पहुंच कर उन्हें पता चला कि यह लड़का वैसे ही कह रहा था। थोड़े दिन बाद लड़के ने फिर वैसे ही शोर मचाया और लोग फिर हैरान हुए। तीसरी बार शेर आ ही गया, लड़के के शोर मचाने पर भी लोग नहीं गये कि यह तो वैसे ही शोर मचाया करता है। उसका नुकसान हो गया। सरकार भी यही कहती है कि कभी फ़ारेन एक्सचेंज नहीं मिलता है, कभी और गड़बड़ियां हो जाती हैं। पावर हाउस बनने के बाद अगर लोगों को बताया जाय कि तुमको बिजली मिलेगी, तो अच्छा हो। जैसे बाहर के लोग जब दूसरी दुनिया में आदमी को भेज चुके तब उन्होंने बताया।

गाजियाबाद के मुताल्लिक़ आप सब जानते ही हैं कि वहां बिजली की क्या हालत है। घोषणा होने के बाद जब कई साल में बिजली का पावर हाउस बन कर बिजली मिलने लगती है तो लोगों की मांग इस अर्से में इतनी बढ़ जाती है कि वह पूरी ही नहीं हो पाती। मेरे पास आंकड़े तो नहीं हैं कि वह कितनी बार जल्दी-जल्दी बिजली फेल होती है और कितने टाइम वह बन्द रहती है लेकिन मेरा खयाल है कि अधिकारियों के पास तो रेकार्ड जरूर होगा कि एक-एक दिन में २, २ और ४, ४ बार लगातार २, ३ घंटे तक बिजली नहीं आती है। आप अन्दाजा कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज पर उसका क्या असर पड़ता है। एक तो यह होता है कि बिजली नहीं आती है और दूसरे कभी वोल्टेज की इतनी होती है कि गाजियाबाद में दिन के वक्त भी आप रेडियो नहीं लगा सकते। न पूरी आवाज आती है और इतना कम वोल्टेज होता है कि आफ आवर में कोई प्रोग्राम सुन लें तो सुन लें लेकिन पीक आवर में देहली इतना नजदीक है, लेकिन वहां का भी प्रोग्राम नहीं सुना जा सकता है। वोल्टेज कम होने का असर इतना होता है कि मोटर्स पर लोड ज्यादा पड़ता है, लेकिन मोटर चलाने वाले लालच करते हैं, और मोटर्स चलाते जाते हैं और उनको नुकसान होता है। इसलिये मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह योजनाओं को पूरा करने के लिये कोशिश करे और उस वक्त तक कोई घोषणा न करे जब तक उसको मुकम्मिल न कर ले। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिजली के बारे में बहुत कम जानता हूं लेकिन इसलिये खड़ा हो गया बोलने के लिये क्योंकि कई लोग तो सदन में डाक्टरी जानते हैं लेकिन वे भी खेती पर बोला करते हैं। मेरी तबियत चली और इसलिये मैं मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि हमारा हिस्सा हमको दे दिया जाय। बड़ी मोटी बात है कि ८० फीसदी गांवों में रहते हैं और २० फीसदी शहरों में, इसलिये हमारा हिस्सा हमको बिजली का दे दिया जाय। हम किसी का अहसान नहीं चाहते। ८० फीसदी गांव के रहने वाले के लिये न लैम्प का इंतजाम है, न दिये का और यहां तमाम लैम्प ही लैम्प दिन में जलते हैं। यहां की बिजली निकाल कर उनको दे दी जाय। यहां एम० एल० ए० के कमरों में—तीन कमरों में ७ लालटेनें और पंखा ऊपर से। यह क्या अंधेर है, कहीं उजेले के मारे जान आफत, कहीं अंधेरा ही अंधेरा, ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिये गांव वालों के लिये बिजली का प्रबन्ध हो ताकि गांव वाले भी जानें कि उन्हें आजादी मिली है। आजादी तो आज मिली बिड़ला को, डबल आजादी मिली कमलापति जुगलाल को, आजादी मिली राष्ट्रपति को, नेहरू को, और हम लोगों को उसका बचा खुचा। लेकिन गांवों में आज आजादी की रोशनी नहीं है और बिजली क्या दिया तक नहीं है।

श्रीमन्, मैं कहता हूं कि सिंचाई के लिये जहां पर बिजली के कुएं हैं उनमें समय पर पानी नहीं मिलता और जनता त्राहि त्राहि कर रही है। इसके अलावा जो बिजली किसानों को कृषि कार्य के लिये दी जाती है उसपर १ हजार रुपये नकदी जमानत ली जाती है। मेरा सुझाव है कि जो बिजली किसानों को खेती के काम के लिये दी जाय उस पर नकदी जमानत न न लेकर उसकी जमीन की जमानत मान ली जाय। इस नकदी जमानत पर श्रीमन्, सवा ३ रुपया फी सैकड़ा मिल जाता है और उसके पीछे उसकी रबी की और खरीफ की खेती बीच में चली जाती है। मेरा सुझाव है कि जिस किसान को कुएं के लिये, सिंचाई के लिये बिजली दी जाय उसकी जमानत उसकी जमीन ही मान ली जाय।

श्रीमन्, हमारे यहां रेह बहुत पैदा हो रहा है और जमीन बिगड़ती जा रही है। माट और अलीगढ़ में हजारों एकड़ जमीन बिगड़ रही है। उसमें आप तभी कामयाब हो सकते हैं जब उनके लिये बिजली का इन्तजाम करेंगे। आप खेत में उपज बढ़ाने के लिये हमारी बिजली हमें दीजिये। हम किसी से अहसान नहीं चाहते। ८० प्रतिशत बिजली पाने का हमें हक है, वह हमें मिलनी चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी ईमानदारी से किसानों का हक उनको दिलायें। वे हमारे पड़ोसी हैं, उनको मालूम है कि अलीगढ़ की क्या हालत है। मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस पर गौर करेंगे और किसानों को ज्यादा तादाद में बिजली देंगे।

बड़े-बड़े कल कारखाने खोल रहे हैं--बिरला वाले, टाटा वाले, डालमियां वाले, उनके बजाय छोटे-छोटे कारखाने बनाये जांय। गांवों में उद्योग धंधे खोले जांय। अमीरन कूं कब्जियत हो रही है, पचाने में उनकूं मुश्किल पड़ रही है। जो भूखा है, वह भूखा चिल्ला रहा है और जिसको कब्जियत हो रही है वह ज्यादा खा कर चिल्ला रहा है। श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि कब्ज वालेन का कब्ज निकाला जाय और जो भूखा है बाके पेट में अन्न डाला जाय, तब ही दोनों का मर्ज ठीक हो सकता है। नहीं तो योजना के अन्त में एक ज्यादा खाकर मर जायगा और दूसरा तड़प-तड़प कर मर जायगा। इसलिये श्रीमन्, गांवों में बिजली की तरक्की की जाय और छोटे-छोटे कल कारखाने गांवों में खोले जायं नहीं तो ये राहू-केतु उसके ऊपर मड़राते ही रहेंगे, क्योंकि किसानों का काम बिना पानी के नहीं चलता, और पानी बिना बिजली के कैसे मिले। श्रीमन्, कहा है ---

पानी बिन मोती न छीबे कोई हाथ मांहि,
पानी बिन सुन्दर सिरोही कौन काम की।

पानी बिन अहि को खरीदे खवावे कौन,
पानी बिन नेत्रन की उपमा न काम की।

पानी बिन सरिता सरोवरहू बिहूने लगें,
पानी बिन नारि नाहीं पुरुषहूं के काम की।

पानी बिन सौदागर घोड़े को खरीदे नाहीं,
पानी बिन बेल जरि जाति नागर पान की।

अरे नर ज्ञानी या पानी जतन राखि,
पानी के गये ते जिन्दगानी कौन काम की।

जहां पानी नहीं होगा वहां कुछ भी नहीं होगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि किसानों के लिये ज्यादा से ज्यादा तादाद में बिजली दी जायगी और उनके लिये सिंचाई का इन्तजाम किया जायगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी मुझ बूढ़े शेर की बातों को मानेंगे। अब न मानेंगे तो एक दिन जरूर इसकी बात माननी पड़ेगी, चाहे आज मानो या कल मानो।

[श्री टीकाराम पुजारी]

६२ तक गांवों का हिस्सा गांवों को दे दो। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुखलाल (जिला इटावा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रदेश में सरकार ने बड़ी-बड़ी नदियों और बड़े-बड़े बांधों को बनवाने की चेष्टा की है जिससे लाखों किलोवाट बिजली पैदा होने लगी है। उससे बिजली के कुएं चलेंगे और सिंचाई का कार्य भी अच्छी तरह से होगा जिससे कृषि की पैदावार भी बढ़ेगी। आज बहुत से बड़े-बड़े और छोटे-छोटे उद्योग बिजली से चल सकते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले इटावा की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इटावा जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसके चारों तरफ मैनपुरी, फर्रुखाबाद व कानपुर में तो बिजली है लेकिन बीच में इटावा जिला ही ऐसा है जो बिजली से वंचित है। माननीय मंत्री जब इटावा गये थे तो मैंने उनको उस पिछड़े हुए क्षेत्र को दिखलाया था जहां डाकुओं का आतंक रहता है। मैंने उनको बतलाया था कि सहसों के पास कुआरी नदी पर एक छोटा सा बांध बना कर वहां पर कम से कम २० लाख किलोवाट बिजली पैदा की जा सकती है जिससे छोटे-छोटे उद्योग धंधे व ट्यूबवेल्स चलाये जा सकते हैं और उससे कृषि की पैदावार भी बढ़ायी जा सकती है तथा लोगों को रोजगार भी मिल सकता है जिससे वहां की बेरोजगारी खतम हो सकती है और वहां पर डाकुओं का आतंक भी खतम हो सकता है। मान्यवर, हमारे यहां औरैया एक बहुत बड़ा कस्बा है जहां के लिये बिजली की बहुत जरूरत है। पोखरायां से औरैया तक २८ मील के लिये बिजली की बहुत जरूरत है और अगर वहां बिजली पहुंचा दी जाय तो वहां बड़े छोटे बहुत से उद्योग धंधे चल सकते हैं। अगर वहां पर २०० किलोवाट बिजली भी पहुंच जाय तो बहुत काम हो सकता है। औरैया में गल्ले की बहुत बड़ी मंडी है और वहां पर कुटीर उद्योग धंधे भी चल सकते हैं। बिजली न होने की वजह से ही वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है जिससे इटावा में बहुत बेकारी बढ़ती जा रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इटावा जिले की तरफ ध्यान देने की कृपा करें जिससे वहां की बेकारी दूर हो जाय।

श्री आर्थर सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)---डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपनी तरफ से काफी इन्तजाम से काम कर रहा है। परन्तु मुझे एक सजेशन यह देना है कि आज हमारे यहां ट्रेनिंग आफ ऐपरेंटिसेज की बहुत कमी है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से और बोर्ड से भी यह प्रार्थना करता हूं क्योंकि उनके पास स्कीम के लिये सब फैसिलिटीज हैं, उनके पास सब प्रोग्राम्स हैं, लेकिन ऐक्चुअल ऐपरेंटिसशिप की ट्रेनिंग उन्होंने शुरू नहीं की है। थर्ड फाईव इयर प्लान में बिजली को बढ़ाने की कोशिश की गयी है, लेकिन बिना ट्रेड परसोनेल के कुछ नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को हमारे यहां से जापान, जर्मनी आदि देशों में बाहर भेजा जाता है और कुछ लोग खुद भी अपनी तरफ से बाहर जाते हैं। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। इतनी ही मेरी आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से प्रार्थना है।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज बिजली की कितनी महत्ता है, उसको बड़े ही सुन्दर शब्दों में प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड ने एक ही लाइन में कहा है जिसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं--

"The importance of electricity to the modern world can be best appreciated by trying to imagine what would happen to a modern community, if electric service is withdrawn for a short period."

यानी अगर थोड़ी देर के लिये बिजली को वापस कर लिया जाय तो उसका क्या असर होगा, इससे अन्दाजा लगाया जा सकताहै। एक ओर तो कहा जाता है कि हम अपने प्रदेश को औद्योगीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं और अगर देखा जाय तो केवल ८ प्रतिशत लोग ही उद्योगों में लगे हुये हैं और ७२ प्रतिशत लोग खेती में लगे हुए हैं। तो बिना बिजली के औद्योगीकरण भी नहीं हो सकता। इस समय की हालत यह है कि ४ लाख ३८ हजार किलो वाट बिजली हमारे पास है जिसमें से कानपुर जैसे औद्योगिक सेंटर में ही ४५ हजार किलोवाट बिजली खर्च होती है। और एक लाख शुगर इंडस्ट्री पर लगता है। इसका आप अन्दाजा लगायें। इस तरह से दो लाख हाउसिंग स्कीम पर और २ लाख इंडस्ट्रीज-स्कीम पर खर्च होती है। तो इस तरह से किस तरह से मंत्री जी औद्योगीकरण की आशा कर सकते हैं। रिहेन्ड डैम पर आशा थी कि वहां ढाई लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी, लेकिन वहां केवल १ लाख ५६ हजार किलोवाट ही पैदा हो सकी। इसका क्या कारण है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह बताये कि यह शार्ट फाल क्यों हुआ ? यह एक टेक्निकल विषय है।

इसका जवाब वह बढ़िया तरीके से पढ़ कर और समझ कर दें। सेकेन्ड फाइव इयर प्लान में स्टेट स्कीम १ लाख ११ हजार किलोवाट्स की आई और प्राइवेट में १२ हजार किलोवाट की। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इस तरह यहां औद्योगीकरण हो सकता है और कैसे हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा सेकेन्ड फाइव इयर प्लान का टार गेट ६ लाख १९ हजार ५९१ किलोवाट का था लेकिन जो एक्चुअल किलोवाट तैयार हुये वह चार लाख ३८ हजार किलोवाट ही रह गये। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से, वह बताये कि यह शार्ट फाल क्यों हुआ। यह वह बतायें कि १ लाख ८१ हजार ५९ कीलोवाट का शार्ट फाल क्यों हुआ ? इसका जवाब सरकार दे, उनके पास तमाम माहिर लोग हैं, उनसे जानकारी करके मंत्री जी सदन को बतायें कि इसका क्या कारण है ? जिस ढंग से चीजें चल रही हैं और जो सस्पेंस की हालत है वह समझ में नहीं आती। कभी बिरला के साथ सस्ती बिजली देने का समझौता किया जाता है और अब कहा जाता है कि वह ५०,००० किलोवाट बिजली फोरगो कर रहे हैं, २५ साल का उनसे एक समझौता हुआ और वह अब खत्म हो जायगा।

अब कहा जाता है कि हम तृतीय पंचवर्षीय में योजना में ११ लाख ८१ हजार किलोवाट बिजली प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जब अभी तक आप ४ लाख ३८ हजार किलो वाट ही पैदा कर सके हैं तो आप के पास इस साल ७ लाख४३ हजार किलोवाट और बिजली पैदा करने के कौन से एडिसनल रिसोर्सेज हैं, वह मंत्री जी हमें बतायें और समझायें, हम जानना चाहते हैं कि आने वाले ५ साल में आप किस तरह से इतनी अधिक बिजली अपने यहां पैदा कर सकेंगे। हमें डर है कि आप इसी तरह से अपने तृतीय प्लान में भी टारगेट को पूरा न कर सकेंगे और औद्योगिक बिकास करने में असमर्थ रहेंगे।

आप थर्ड फाइव ईयर प्लान के चेप्टर ८ में देखें, उसमें साफ कहा है कि:--

"The huge demand of about 2,50,000 kws. which is pending with the State Government at present and which they are unable to meet."

यानी २ लाख ५० हजार किलोवाट बिजली जो उद्योगों के लिये दी जानी चाहिये थी वह नहीं दी जा सकी है। नलकूपों के बारे में भी इस में लिखा है कि--

"In western Uttar Pradesh, where tube-wells have been running for as much as six thousand hours in a year, they could not run for more than

[श्री प्रताप सिंह]

six to eight hours a day even when the irrigation demand was at its peak. Not only this, a number of private tube-wells constructed by individual farmers and by co-operative societies had to be denied power."

यानी जो बिजली नलकूपों के लिये पच्छिम के जिलों में दी जानी चाहिये थी, वह भी नहीं दी जा सकी। लोग नलकूप चलाना चाहते हैं लेकिन उनको बिजली नहीं मिलती। जितने घंटे वह नलकूप चलने चाहिये थे वह नहीं चल पाते। आप को मैं यहां के मुकाबले में नार्वे जो एक छोटा सा देश है वहां का उदाहरण दूंगा। नार्वे जिस की आबादी केवल ४० लाख है वहां पर आज यहां से ३०० गुना बिजली अधिक है और हमारे यहां हालत यह है कि नलकूपों तक को बिजली नहीं मिलती।

हमारे यहां जो आल इंडिया पर कैपिटा इन्सटाल्ड कैपेसिटी है वह १३ किलोवाट × १००० किलोवाट है। उत्तर प्रदेश में वह केवल ६ × १००० किलोवाट है। अगर एक किलोवाट को १००० के बराबर मानते हैं तो कुल भारत ७७ वां हिस्सा है और यू० पी० १६६ वां हिस्सा है। हमारे यहां यूनिट्स का हिसाब पर ईयर-पर कैपिटा का हिसाब १२७ यूनिट्स का है, गुजरात में ६९ यूनिट्स, पंजाब में २८ यूनिट्स और उड़ीसा में २८ यूनिट्स। हमारा यू० पी० बहुत सी चीजों में आगे है लेकिन जबतक यहां बिजली का प्रबन्ध नहीं होता तब तक हम औद्योगीकरण नहीं कर सकते। आज दिन यह सवाल आता है, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, मेरठ में रोज बिजली की कमी रहती है। पर्वतीय और पूर्वी जिलों में तो बिजली का प्रश्न ही नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में जहां कि एग्रीकल्चरल इकोनामी फेल कर गई है, वहां सर्वे हो जाना चाहिये। एक दफा चल्थी डैम वगैरह का सर्वे हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ। मंत्री जी इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

श्रीमन्, ताज्जुब है कि हाइडिल में घाटा है। सन् १९५५-५६ में १ करोड़ ५१ हजार का घाटा हुआ, सन् १९५६-५७ में १ करोड़ १० लाख १४ हजार का, १९५७-५८ में ९० लाख ११ हजार का, १९५८-५९ में १ करोड़ ३८ लाख १९ हजार का और १९५९-६० में १ करोड़ ७४ लाख ६० हजार का। इस तरह से ६ करोड़ १३ लाख ५५ हजार का घाटा हाइडिल में हो रहा है। तो या तो इस विभाग में करोड़ों की कोई गिनती नहीं है और या यह फिगर्स गलत हैं, और अगर गलत हों तो मुझे मंत्री जी करेक्ट कर दें।

इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ने ट्यूबवेल बना दिये लेकिन ६-६ महीने और २-२ साल तक बिजली नहीं मिलती। कमी क्या है? कोआर्डीनेशन नहीं है। मेरा सुझाव है कि एग्रीकल्चर, इर्रीगेशन और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इन तीनों में कोआर्डीनेशन होना चाहिये। हल्द्वानी में, नारायणदत्त तिवारी जी की कांस्टीटुएंसी में एक ट्यूबवेल सील कर गये हैं।

बहुत सा रुपया इस डिपार्टमेंट में खर्च नहीं हो पाता। इसलिये पावर और इर्रीगेशन फंड खोलना चाहिये, उससे रुपया लैप्स नहीं होगा। पिछले साल मैंने कहा था कि सर्वे होना चाहिये, सरकार ने उस ओर कदम उठाया है, इसके लिये वह बधाई की पात्र है, लेकिन उसके बाद कुछ कामयाबी भी होनी चाहिये।

जो लोग इस विभाग में काम करते हैं, आज २०-२५ साल से जो मैकेनिक काम कर रहे हैं, वर्क चार्ज पर काम करते हैं, उनकी सर्विसेज के स्थायीकरण का कोई प्रयत्न नहीं है। माताटीला डैम पर काम किया, मिर्जापुर में काम किया और आज नानकसागर डैम, दुमड़ियां डम और धौहरा डैम पर काम कर रहे हैं, तो योजना खत्म होने पर वह कहां जायेंगे? मैकेनिक के लिये यह होना चाहिये कि वह भी यह समझे कि मैं भी एम० एल० ए० और मिनिस्टर की तरह एक नागरिक हूं। मान्यवर, आप भी मजदूर संगठनों के प्रेसीडेंट हैं, आप जानते हैं कि आज ऐसे तमाम मजदूर हैं जिनकी १२-१२ साल और २५-२५ साल की सर्विस है लेकिन उनके लिये कोई सुविधा नहीं है।

पिछले साल मैंने सवाल उठाया था लेकिन फिर दोहराना पड़ता है क्योंकि कोई कार्यवाही नहीं हुई। माताटीला का प्रोजेक्ट १६०·६८ करोड़ का था लेकिन वह १२ करोड़ का ही रह गया। हम यह नहीं कहते कि आपके यहां एक्सपर्टस् नहीं हैं। हम नहीं कहते कि वह एक्सपर्ट्स बेकार हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह गड़बड़ क्यों होती है। पिछले १० दिन के भीतर मने अखबार में पढ़ा। जुलाई ६१ तक रिहन्ड डैम पूरा हो जाना चाहिये था, लेकिन अब यह रिपोर्ट है कि अभी ६ महीने तक पूरा नहीं हो सकता। इंजीनियर कहेंगे कि हमने पहले यही कहा था। उसमें साफ लिखा था कि हमने पहले ही कहा था कि ऐसे बनना चाहिये, इसीलिये ६ महीने की देर हुई। मालूम नहीं ६ महीने की जगह वह ६ साल न हो जाय। रिहन्द डैम जैसी इम्पार्टेन्ट स्कीम के लिये आज इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम ६ महीने तक पूरा नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसमें खराबी आ गई और जिस समय योजना बनाई गई उसी समय पाइंट आउट किया था लेकिन उसे नहीं माना गया।

खटीमा को लीजिये जो मेरे क्षेत्र में है। ७ करोड़ ४८ लाख की योजना है। ४१ हजार ४०० किलोवाट बिजली बनेगी। उसमें ३० लाख रु० साल का घाटा चल रहा है। यह क्यों है? जिस समय यह योजना चल रही थी, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के रैंक का भी इंजीनियर वहां नहीं था, एस० ई० की बात तो अलग रही। इसी का नतीजा हुआ कि माननीय गोविंद वल्लभ पंत ने उद्घाटन किया। उसके दो महीने बाद कंट्रोल रूम टूट गया। आज वह धंसता चला जा रहा है। क्या यह सही नहीं है कि जब उसकी मशीनें बंद हो गईं तो मद्रास से एक हजार रुपये रोज पर गोताखोर को बुलवाया गया और उससे मशीनें खुलवाई गईं, हमेशा जब ठेका होता है तो उसमें एक पेनाल्टी क्लाज रखा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि खटीमा का जो समझौता विदेशी कम्पनी से हुआ था उसमें पेनाल्टी क्लाज क्यों नहीं रखा गया? नतीजा यह है कि आज जो नुकसान होता है उसको हम उस कम्पनी से वापस नहीं ल सकते हैं।

हमारे यहां २५ फीसदी ड्यूटी लगायी जाती है। मेरा सवाल है कि इंडस्ट्रियल परपजेज के लिये जब बिजली ली जाय तो उस पर ड्यूटी नहीं लगानी चाहिये। हमारे यहां २५ फीसदी ड्यूटी ली जाती है जब कि वेस्ट बंगाल, बिहार और पंजाब में कोई ड्यूटी नहीं ली जाती है। इस ड्यूटी का परिणाम यह होता है कि इंडस्ट्रीज हमारे यहां नहीं बढ़ रही हैं।

इसके अलावा अगर आज हम इतने आगे बढ़ गये हैं, जैसा मंत्री जी कहते हैं, तब भी १२,१३ साल के अर्से में यह विभाग सेल्फ सफीशियेंट नहीं बन पाया जब कि इसको सेल्फ सफीशियेंट होना चाहिये क्योंकि इस विभाग को ही सारे उद्योगों को चलाना है। क्या आज गांव वालों को बिजली की जरूरत नहीं है? लेकिन वह इतनी महंगी है कि गरीब आदमी उसको नहीं ले सकता। हमारा कहना है कि अलकनन्दा, मंदाकिनी नदियों का सर्वे होना चाहिये।

मान्यवर, बार्डर के लोगों की दशा भी बता दूं। सारे भोट लोगों का व्यापार बन्द हो गया जब से चीन का हमला हुआ। काली नदी में हमेशा पानी रहता है। काले पानी में अगर एक छोटा सा बिजली का प्रोजेक्ट लगाया जाय, हाइडल की स्कीम चालू की जाय तो उससे वहां के गृह उद्योग धंधे चलेंगे, और आज जो गरबियांग और गुंजी के लोगों की भावना हमारे प्रति हो गई है कि यह सरकार उनके लिये कुछ नहीं कर रही है, वह खत्म होगी। अगर आप सर्वे करायें और लोगों को बतायें कि तुम्हारा व्यापार बन्द हो गया है इसलिये हम काली नदी पर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिससे तुम्हारे करघे और गृह उद्योग चलेंगे तो एक तो उनका मनो वैज्ञानिक परिवर्तन होगा और दूसरे उनकी आमदनी बढ़ेगी। आज वहां के लोगों को सरकार पर कोई यकीन नहीं है। डेढ़ साल से उनका व्यापार बन्द हो गया है पर सरकार

[श्री प्रताप सिंह]

ने कोई खास उद्योग के सम्बन्ध में वहां पर काम नहीं शुरू किया। अगर आप देश की रक्षा नहीं करेंगे, उनमें आत्म बल और विश्वास नहीं पैदा करेंगे तो न आप रहेंगे और न हम रहेंगे। इसलिये जितने बोर्डर एरियाज हैं, गढ़वाल, पौड़ी और टेहरी गढ़वाल, जहां हमारे राष्ट्रपति और आप सभी भ्रमण के लिये जाते हैं, उनका औद्योगीकरण अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिये आवश्यक है कि आप वहां बिजली दें।

मान्यवर, हर विभाग की अलग रिपोर्ट होती है, पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् की कोई अलग रिपोर्ट नहीं है। जो भी साहित्य है, उसके देखने से मालूम होता है जैसे किसी दूकान का बहीखाता है। जब कि इस परिषद् के एक योग्य अध्यक्ष हैं तो हम चाहते थे कि इस परिषद् की रिपोर्ट को पढ़ने से सारे आंकड़े मिल जाने चाहिये थे। इसके सातवें पेज पर नीचे लिखा हुआ है "खर्चे की नई मदें", लेकिन किसमें खर्चा होगा इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसका जवाब दें।

आखिर में मैं मजदूरों के बारे में कहना चाहूंगा कि उनको स्थायी होना चाहिये, उनके सर्विस रूल्स बनने चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो मैंने सवाल किये हैं आशा है, मंत्री जी उनका जवाब देने की कृपा करेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)----उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत् संबंधी जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हम सब इस बात को जानते हैं और महसूस करते हैं कि विद्युत के बिना हम अपने प्रदेश की तरक्की और प्रगति नहीं कर सकते हैं। चाहे कृषि हो या औद्योगीकरण हो, कृषि के क्षेत्र में जितने ट्यूब वैल्स हैं, उन सब के लिये बिजली की बहुत आवश्यकता होती है। साथ ही औद्योगीकरण जो हमारे प्रदेश में बहुत कम है उसका मुख्य कारण यह भी था कि हमारे यहां जो सबसे बड़ी बाधा थी वह विद्युत् की थी। इसमें शक नहीं कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक हमने कुछ विद्युत् तथा पावर को बढ़ाया और इस समय कुल ४ लाख से कुछ ज्यादा किलोवाट की हमारे यहां कैपेसिटी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जब तक तीसरी पंच वर्षीय योजना हमारी समाप्त होगी तब तक करीब ११ लाख से कुछ ज्यादा हमारी क्षमता बढ़ जायगी। हमारे मित्र प्रताप सिंह ने कहा कि वह कहां से होगी? वह तो साफ है। हमारे यहां जो विद्युत् योजनायें अभी तक चल रही हैं उनके अलावा हमारा जो रिहन्द डैम है इसकी कैपेसिटी करीब ढाई लाख की है और एक थर्मल स्टेशन भी इतनी ही क्षमता का बन रहा है रशियन्स की मदद से। मैं समझता हूं कि ढाई लाख की उसकी भी कैपेसिटी है। ओबरा पर १ लाख की कैपेसिटी का एक प्लान्ट लग रहा है। हरदुआगंज में ३०, ३० हजार के विस्तार दो स्टेजेज में हो रहे हैं और एक स्टेज और बन रहा है। इस तरह से ९० हजार किलोवाट यह हो जाता है। सब मिला कर ७ लाख किलोवाट हो जाता है। इस तरह से तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक हमारा प्रदेश बिजली में यदि और प्रदेशों से आगे नहीं तो करीब-करीब उनके आसपास थोड़ा बहुत जरूर पहुंच जायगा।

मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे स्टेट में विद्युत् की पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम है और यही वजह है कि उद्योगों में हम बहुत पिछड़े हुये हैं और दो योजनाओं के बावजूद ९ प्रतिशत के आगे हम नहीं बढ़े। एक बात मुझे जरूर खलती है और वह यह आड़ है कि हमारा कल्याणकारी राज्य है। सिंचाई विभाग में भी घाटा हो रहा है और इस विभाग में भी, जब कि यह प्योरली कार्पोरेटिव डिपार्टमेंट है, हम विद्युत् पैदा करते हैं और उसे बेचते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा अनुग्रहीत हूंगा अगर वह स्पष्ट रूप से सारी वस्तुस्थिति पर इस विभाग की ओर ध्यान दें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने खुद कहा था कि ६ करोड़ से ज्यादा का नुकसान पांच सालों में हुआ है। यह बात ठीक है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन गया है और कुछ

उसके टर्म्स आफ कांट्रैक्ट इस गवर्नमेंट के साथ हैं और जो घाटा होता है वह आहिस्ता-आहिस्ता २० परसेंट कम होता जायगा और ५ साल तक गवर्नमेंट उसे सबसिडाइज करेगी। मैं उनके मेरिट्स पर जाना नहीं चाहता लेकिन यह उम्मीद करता हूं कि ५ साल के बाद यह स्टेट बोर्ड अपने पावों पर खड़ा हो जायगा।

मैं दो चार बातें और निवेदन करना चाहता हूं। एक तो यह है कि इस बात को मैं मानता हूं कि हमारी स्टेट के इंजीनियर बड़े काबिल हैं, मुझे उनकी काबलियत में कोई शक नहीं। लेकिन मैंने यह देखा कि फेक एस्टिमेट्स जिस प्रकार इरीगेशन विभाग में होते हैं उससे कम फीगर्स हाइडल डिपार्टमेंट के नहीं होते। शारदा पावर हाउस की जिन्दा मिसाल है कि अगर उसके एस्टिमेट्स को दुगुना, तिगुना या चौगुना कह दिया जाय तो माननीय मंत्री जी उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं मानेंगे। मुझे इसे देख कर ताज्जुब भी हुआ और परेशानी भी हुई।

दूसरी चीज यह है कि यह बतलाया जाता है कि शारदा का जो पानी आता है उसके अन्दर रेता होता है और वह टरबाइन्स में फंस जाता है, इससे रिपेयर पर काफी खर्च करना पड़ता है। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन अगर यह सही है तब यह विभाग के लिये कोई गौरव की बात नहीं है। मुझे इसमें भी विश्वास नहीं है कि शारदा पावर हाउस बहुत फायदेमन्द कभी साबित हो सकेगा क्योंकि बहुत ज्यादा उसका कैपिटल कास्ट बढ़ चुका है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने शारदा पावर हाउस के बारे में कोई इंक्वायरी बैठाई है और उसका क्या परिणाम हुआ उसके बारे में थोड़ा सा मैं जान गया हूं, वैसे जाब्ते से कोई जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करके इन्क्वायरी कमेटी बिठाती है तो उसके जो नतीजे हों वह इस हाउस के सामने आने चाहिये। और एक ताज्जुब की बात श्रीमन् यह है कि जिस इंगलिश कम्पनी ने शारदा पावर हाउस के अन्दर काम किया और वहां पर अपना इक्विपमेंट दिया बावजूद इसके कि यह साबित हो गया कि उस कम्पनी का काम अच्छा नहीं था और जो मैटीरियल उन्होंने दिया वह डिफेक्टिव था, रिहन्द बांध का जब निर्माण शुरू हुआ तो उसी कम्पनी को फिर ठेका दे दिया गया। मुझे याद पड़ता है कि शायद लखनऊ के कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई गई थी इस बात को जानने के लिये कि यह ठेका क्यों दिया गया और कौन इसके लिये जिम्मेदार है। मैं जानता नहीं कि उस इन्क्वायरी का क्या परिणाम निकला और वह जम्मेदारी किसके ऊपर डाली गई। मैं मंत्री जी का अनुगृहीत होऊंगा अगर वह अपने जवाब में इस बात पर रोशनी डालें कि क्या वजह थी जब हम जानते थे कि एक कम्पनी का काम अच्छा नहीं है, फिर उसके साथ यह फेवरिटिज्म क्यों की गई ?

एक बात और। यह बात सही है कि हमारे यहां औद्योगीकरण इसलिये नहीं हुआ कि हमारे यहां बिजली की कमी थी। मैं सरकार को इस बात के लिये बधाई दे सकता हूं कि अब उन्होंने इंडस्ट्री और पावर को एक साथ रखा है। लेकिन, बहरहाल मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जिस समय हमने पावर का डेवलपमेंट प्लान अपने हाथ में लिया तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का कोई प्लान उसके साथ जुड़ा हुआ था या नहीं। मैं यह महसूस करता हूं कि शायद इस तरह की बात नहीं थी। हमने एक हैपहेजर्ड वे में अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात सोची और उसी तरह हैपहेजर्ड वे में बिजली बढ़ाने की बात सोची। इसके साथ-साथ एक और बात है। मैं यह जानता हूं कि हेवी इंडस्ट्रीज की हमारे यहां बड़ी आवश्यकता है और मैं उसके महत्व को कम नहीं करता। मगर मैं यह भी जानता हूं कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज भी हमारे लिये उतनी ही जरूरी है और उनमें एम्पलायमेंट पोटेन्शल ज्यादा है। हेवी इंडस्ट्रीज में उतना एम्पलायमेंट पोटेंशल नहीं है यद्यपि हैवी इंडस्ट्रीज हमारा आधारमूल है। मैं यह भी कहता हूं कि हेवी इंडस्ट्रीज को बिजली जरूर दी जाय और अगर सस्ते दाम पर दी जाय तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ आपको स्टेट के अन्दर एक नेट वर्क स्माल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का भी बिछाना चाहिये और उनको बिजली देने का प्रबन्ध करना चाहिये।

[श्री नवलकिशोर]

श्रीमन्, यही नहीं, मुझे याद है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमें बताया गया था कि इतने गांवों के अन्दर बिजली पहुंचाई जायगी। मैं अपने क्षेत्र की बातें बहुत कम कहा करता हूं इस सदन में, लेकिन उन गांवों में मेरे क्षेत्र के भी १५–२० गांव शामिल थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो खत्म हो गई लेकिन उन गांवों में बिजली तो क्या उन गांवों के आसपास बिजली की कोई लाइन वगैरह भी दिखाई नहीं देती। मैं जब जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आपने तो वादा किया था कि बिजली जरूर आ जायगी। तो अब मैं जब जाऊंगा तो कह दूंगा कि अभी थोड़े दिन और इन्तजार करिये, आ जायगी।

इसके अलावा श्रीमन् रोस्टरिंग सिस्टम हमारे यहां चलता है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात जानता हूं कि आपकी रोस्टरिंग की वजह से ट्यूबवेल में जब बिजली नहीं है तो वहां से पानी का मिलना मुश्किल हो गया जिसकी वजह से काश्तकारों की काफी फसलें बरबाद हो गयीं। यह ठीक है कि पावर की कमी के कारण आपको रोस्टरिंग करनी पड़ती है लेकिन जब हम खेती को इतनी प्राथमिकता देते हैं तो कोई कारण नहीं मालूम होता है कि रोस्टरिंग की वजह से खेती का नुकसान हो। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर कोई गोलमाल है। गोलमाल से मेरा मतलब यह नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार है लेकिन कहीं न कहीं कोई गलती जरूर है। इसलिये इस तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

रिहन्द बांध के बारे में मुझे इस बात की तो खुशी है कि उसका अधिकांश काम टाइम शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है यद्यपि शायद यह पहला मौका है लेकिन अगर यह टाइम शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मिल हो गया तो मैं विभाग को इसके लिये हार्दिक बधाई दूंगा। मगर मुझको यह इत्तिला मिली है कि जहां हमारी हर चीज तैयार है और हम सितम्बर या अक्तूबर के अन्दर इस पोजीशन में होंगे कि बिजली जनरेट कर सकें लेकिन चूंकि ट्रांसमिशन लाइन्स में देरी हो गई है इसलिये बिजली इस्तेमाल नहीं हो सकती है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि बैड प्लानिंग है। मेरी कुछ साथियों से जो कि इस विभाग के प्रमुख कर्मचारी हैं बातचीत भी हुई है और ऐसा मालूम हुआ कि जो ट्रांसमिशन लाइन्स थीं उनको कट डाउन किया गया और इस संबंध में टाप इंजीनियरों में आपस में मतभेद भी था। लेकिन मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है कि टैक्निकल आदमियों में मतभेद था या नहीं। मेरा मतलब तो यह है कि हम बिजली जनरेट कर सकते हैं लेकिन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। अगर यह बात सही है तो यह उचित नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि इस विभाग का प्लानिंग अच्छा नहीं है और बैड प्लानिंग है।

मान्यवर, मुझे यह भी मालूम हुआ कि रिहन्द डैम के जो गेट्स थे वह बिड़ला जी को देने थे और जो उसका आखिरी गेट है उसको वह नहीं दे पा रहे हैं। यह सही है कि सरकार ने इन्तजाम कर लिया है, लेकिन हमने देखा है कि सरकार के एग्रीमेन्ट ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर तो पेनाल्टी पड़ जाती है परन्तु ठेकेदारों पर बहुत कम पड़ पाती है और बड़े-बड़े ठेकेदारों पर तो पड़ ही नहीं पाती है मुझे पता नहीं कि किस का दोष है लेकिन मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस मामले के डिटेल्स में जाय।

मान्यवर, वार्टिन कम्पनी के बारे में हाउस में एक बार नहीं बल्कि कई बार शिकायतें आईं और मैं उम्मीद करता था कि गवर्नमेंट उसको पेनेलाइज और तम्बीह करेगी और उसके तौर तरीके को बदलेगी। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि उसको कर्जा दिया और विभाग ने क्या किया? लेकिन शिकायतों के लिये उनको तम्बीह होनी चाहिये थी और उनको सुधारने का मौका मिलना चाहिये था। इसके अलावा और भी लाइसेंसीज हैं जो सिविल मैन का काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि ज्यों-ज्यों इनके कंट्रैक्ट्स खत्म होते जांय वह खत्म किये जांय और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा यह काम कराया जाय।

मैंने बिजली की कास्ट आफ जेनरेटिंग के आंकड़े दूसरे प्रदेश से प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सके। हमारे यहां कास्ट आफ जेनरेटिंग काफी ऊंची है। सब से बड़ी बात यह है कि आपको औद्योगीकरण करना है तो उसके लिये सस्ती बिजली बनानी पड़ेगी और उपभोक्ताओं को भी सस्ते दरों से देनी होगी। दूसरी बात यह है कि जो ट्रांसमिशन लासेज हैं उनमें देखें कि नुकसान का परसेंटेज क्या है और उसको जहां तक मुमकिन हो सके कम करने की कोशिश करें। मिल मालिकों के बारे में मैं क्या कहूं। यह तो आमतौर से कहा जाता है कि इनके ऊपर लाखों रुपया बाकी है। एरियर्स की भी रोकथाम होनी चाहिये। वर्षों तक एरियर्स का चलना मुनासिब बात नहीं है।

मान्यवर, मुझे केवल एक बात कहनी है कि हमारी मांग बहुत दिनों से थी कि हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो। वह अब बन गया है और मुझे खुशी है कि जितना इस विभाग में नुकसान हुआ है उसमें कमी हुई है और इस मानी में विभाग की वर्किंग में इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसके लिये मैं संबंधित अधिकारियों को जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको बधाई देता हूं। मगर साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यह काम्प्लीसेंसी का मौका नहीं है। उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, तमाम नुकसानों को कम करने की। मैं आशा करता हूं कि हमार विभाग अपना उत्तरदायित्व महसूस करेगा कि जो उनके प्राक्कलन हों, समय या धनराशि को उसी के अन्दर अपनी स्कीमों को पूरा करने की कोशिश करेगा और इस बात की कोशिश करेगा कि सस्ती से सस्ती बिजली उपभोक्ताओं को दी जा सके और गांव-गांव तक बिजली पहुंचे ताकि, प्रदेश उद्योग में आगे बढ़ सके।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रदेश में बिजली का जितना उत्पादन होना चाहिये, उससे बहुत कम है और इसीलिये पिछली दो योजनाओं क अन्तर्गत हमारे प्रदेश में जो उद्योगों का विकास नहीं हो सका, और केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार को उद्योगों के लिये जो सहायता नहीं मिल सकी उसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार ने बराबर इस बात की शिकायत की कि उत्तर प्रदेश में जितनी बिजली की जरूरत है उतनी नहीं है, इसलिये कोई बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश को नहीं दिया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुये दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश के अन्दर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिये कई मुख्य योजनायें बनाई गयीं--रिहन्द डैम, यमुना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुहावल पावर स्टेशन, हरदुआगंज पावर स्टेशन, माताटीला हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लेकिन अफसोस इस बात का है कि दूसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत रिहन्द डैम को छोड़ कर जो शेष योजनायें थीं उनमें किसी न किसी कारण से कोई न कोई बाधा उपस्थित हुई और नतीजा यह हुआ है कि रिहन्द को छोड़ कर किसी दूसरे प्राजेक्ट में हम प्रगति नहीं कर सके। आज हालत यह है कि पूरे देश के नक्शे में हमारा प्रदेश जहां तक बिजली का सवाल है सबसे पिछड़ा हुआ है। १९५१ में हमारे प्रदेश का बिजली के संबंध में जो पूरे देश का प्रतिशत था वह आज भी उसी तरह मौजद है। यदि हम देखें तो मालूम होगा कि दूसरी पंच वर्षीय योजना में पूरे देश में जहां २,४०० मेगावाट बिजली उत्पन्न हुई है वहां हमारे प्रदेश में केवल ७० मेगावाट बिजली पैदा हुई है। यह पूरे प्रदेश की आबादी और आवश्यकता को देखते हुये बहुत कम है।

जहां तक उपभोग का सवाल है, उपभोग वहीं ज्यादा होता है जहां उद्योगों का विकास ज्यादा होता है। उद्योगों के विकास को हम बिजली के उपभोग से नापते हैं। हमारे प्रदेश में ६ यूनिट औसत कंजम्प्शन है जब कि देश के अन्दर ऐसे प्रदेश भी हैं कि जहां ८० यूनिट तक बिजली का कंजम्पशन है। यह साबित करता है कि हमारा प्रदेश बिजली में कितना पिछड़ा हुआ है।

जो चिन्ता का दूसरा विषय है वह यह है कि हमारे नियोजन बनाने वालों ने जो बिजली का मूल्यांकन किया है, तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जिस प्रकार उद्योगों का विकास होगा,

[श्री चन्द्रजीत यादव]

छोटे, मझले और बड़े उद्योगों का, और कृषि के संबंध में जो बिजली की जरूरत पड़ेगी उसको देखते हुये उनका खयाल है कि कम से कम १०५४ मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करना चाहिये तीसरी पंच वर्षीय योजना में। लेकिन जो बिजली विभाग ने योजना तैयार की है उससे हम उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते। पिछली दो पंच वर्षीय योजनाओं के अन्दर हम पिछड़े हुये रहे हैं और तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्दर भी हमारी दशा बड़ी दयनीय होगी। इस का प्रभाव कृषि और उद्योग दोनों पर पड़ा है। इस संबंध में तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाने वालों ने जो अपनी राय जाहिर की है उसको मैं संक्षेप में पढ़ देना चाहता हूं। इससे हमारे प्रदेश की स्थिति का साफ नक्शा हमारे सामने आता है। उन्होंने कहा है---

"This extremely unsatisfactory situation in the industrial sphere, has been repeated in the agricultural sphere also. The inadequacy of generating capacity became so acute in the last rabi season that even the running of the Government tube-wells had to be subjected to severe rostering with the result that even in western Uttar Pradesh, where tube-wells have been running for as much as six thousand hours in a year, they could not run for more than six to eight hours a day even when the irrigation demand was at its peak. Not only this, a number of private tube-wells constructed by individual farmers and by co-operative societies had to be denied power. The continuance of such a situation in the agricultural sphere lowers the farmers' morale and connot be contemplated with equanimity."

इस बात को आप देखें इससे साफ जाहिर है कि हमारे प्रदेश के उद्योग पर और कृषि पर बिजली की कमी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में सरकार से मेरा निवेदन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो प्रोजेक्ट थे और जिनको हम पूरा नहीं कर सके उनको पूरी शक्ति लगाकर पूरा करने की जल्द से जल्द चेष्टा करनी चाहिये। हमने बिजली पैदा करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, जो हमने योजनायें बनाई थीं कि उतनी बिजली हमारे यहां होनी चाहिये, उसको पूरा करने के लिये हमको पूरी शक्ति लगा देनी चाहिये। अगर हमने इस काम को पूरा नहीं किया तो हम उद्योग में ही नहीं बल्कि कृषि में भी पिछड़े रहेंगे और हमारा प्रदेश बहुत पीछे रह जायगा।

दूसरी बात मैं रिहन्द डैम के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने जो जवाब दिया उससे सरकार की पालिसी की तरफ इशारा होता है कि सरकार की पालिसी इस संबंध में क्या है। पिछले १० सालों में इस संबंध में बहुत बार यह सवाल उठ चुका है। उससे यह मालूम हुआ है कि यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। सरकार से इस बात को बार-बार कहा गया कि रिहन्द डैम की बिजली बिड़ला जी को नहीं देना चाहिये और रिहन्द डैम की बिजली, जिस उद्देश्य से बनाई जा रही है, उस पूर्वी जिलों के विकास के उद्देश्य को पूरा करना चाहिये। पूर्वी जिलों के देहातों को बिजली दी जाय और उनके विकास पर उसका उपयोग करना चाहिये लेकिन इसके बावजूद सरकार ने ५५ हजार किलोवाट बिजली बिड़ला जी को देदी। किस प्रकार से सरकार से वह समझौता हुआ यह बात रोशनी में नहीं आई है। मुख्य मंत्री जी ने जो बीच में इन्टरवीन करके बतलाया उससे पता चलता है कि अगर केन्द्र से बिड़ला जी को ज्यादा उत्पादन करने का लाइसेन्स मिल गया तो यह बिड़ला जी की मरजी पर होगा कि वह हमारी सरकार से कह दें कि हमें अब उसकी बिजली की आवश्यकता नहीं है। उसका असर हमारी योजनाओं में पर पड़ेगा। अगर पहले से देहात की योजना या इंडस्ट्री की योजना हमारे पास बनी होती तो बात दूसरी थी लेकिन उसके लिये तो योजना हमारे पास होगी नहीं। उसके लिये पहले से योजना बनानी होती है और इस बात को ध्यान में रखकर योजना बनती है कि हमारे पास इतनी बिजली कम है लेकिन बिड़ला जी जब एक दम से कहेंगे कि हम अब बिजली लेना नहीं चाहते तो उसका असर हमारे प्रदेश पर पड़ेगा और हमारी योजनायें अवधि के अन्दर पूरी नहीं हो सकेंगी, जब हमको यह मालूम होगा कि बिजली

की उनको जरूरत नहीं है तो साल भर तक हमको लाइन खींचना होगा और बिजली के इस्तेमाल के लिये दूसरे तरीके निकाले जायेंगे जो कि एक गलत पालिसी का द्योतक होगा। मैं समझता हूं सरकार को इस संबंध में स्पष्ट नीति अख्तियार करनी चाहिये।

दूसरी बात मैं इस विभाग के अधिकारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो उनका व्यवहार मजदूरों के प्रति है। पिछले ८, १० साल का तजुर्बा यह है कि इस विभाग के अधिकारी मजदूरों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि निजी व्यक्ति मजदूरों के साथ करते हैं। इस बात की आशा थी कि सरकार पब्लिक सेक्टर में ज्यादा उद्योग खोल रही है, ज्यादा कारखाने खोल रही है तो मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार अधिक चेष्टा करेगी। किन्तु ऐसा नहीं है। ५, ६ साल का जो पिछला अनुभव है वह इससे बिलकुल मुख्तलिफ है। मजदूरों की यूनियन जो इन फैक्टरियों के अन्दर बनाई गई हैं आज उन यूनियनों को तोड़ने के लिये इस विभाग के अधिकारी हर एक साजिश करते हैं। इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उन मजदूरों को करप्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको लालच दिया जाता है और यूनियन के कामों में अड़ंगा डालने की कोशिश की जाती है। इसी कारण मजबूर होकर २, ३ वर्षों में इस विभाग के कर्मचारियों को जिलों में जगह-जगह भूख हड़ताल करनी पड़ी है और सरकार को नोटिस देना पड़ा है। उसका नतीजा यह हुआ कि उनके प्रतिनिधियों को चीफ इंजीनियर तक जाना पड़ा उन्होंने आश्वासन दिया कि जिलों के अन्दर जो स्थिति पैदा हो गई है उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जायगा। मुझे अफसोस है कि आज भी इस विभाग के अधिकारियों का जो रवैइया है यूनियन के कर्मचारियों के प्रति वह बहुत ही गलत किस्म का रवैइया है। उनका नतीजा यह होता है कि जो सहयोग अपेक्षित है वह नहीं मिलता है। ट्रेड यूनियन ऐक्ट में इस बात का कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि बाहर का कोई आदमी यूनियन में न हो सके। यह ठीक है कि प्रतिनिधित्व निर्धारित है कि विभाग इतने प्रतिनिधि रखे लेकिन चाहे जैसी यूनियन बने उसको मान्यता नहीं देते हैं अगर बाहर का आदमी काम करता है। जब उसके अन्दर कर्मचारी रहते हैं तो नतीजा यह होता है कि कर्मचारियों को तोड़ने, उन पर दबाव डालने, उनकी मनमानी छंटनी करने आदि को वे कर सकते हैं और इस प्रकार की नीति बरती जा रही है। पिछले दिनों में जिन कर्मचारियों ने मजदूरों की मांगों के लिये यूनियन की तरफ से खुल कर हिस्सा लिया, सरकार की छंटनी नीति का विरोध किया है। ज्यादा काम लेने की नीति का विरोध किया है, बेगार की प्रथा का विरोध किया है, उन कर्मचारियों को मुख्तलिफ तरीके से सजा दी गयी है। एक कर्मचारी जो मोटर ड्राइवर था उसका विभाग की ओर से तीन वर्ष के अन्दर २० स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया है, इसलिये कि वह यूनियन का सक्रिय कार्य करता था। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की नीति गलत है और इससे विभाग को जो सहायता और सहयोग मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है।

दूसरी बात यह कि विभाग में चार प्रकार के कर्मचारी हैं। कुछ मस्टर रोल पर कार्य करते हैं कुछ वर्क चार्ज पर काम करने वाले हैं, कुछ रेगुलर और कुछ परमानेंट हैं। ऐसे कर्मचारियों की जो अस्थायी हैं तादाद ५० प्रतिशत से ज्यादा है। यह विभाग जिसे हमें विकसित करना है, भविष्य उज्ज्वल बनाना है उसमें अगर ५० प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी रहे तो उनमें सर्विस की सेक्योरिटी नहीं रहेगी और मैं समझता हूं कि वे विभाग में ठीक ढंग से काम नहीं कर सकते।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले आठ दस वर्षों से इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की मांग की जा रही थी और विभाग के कर्मचारियों ने पहले इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि इलक्ट्रीसिटी बोर्ड की स्थापना नहीं होनी चाहिये। लेकिन सरकार ने इसकी स्थापना की बात मंजूर की और उसकी स्थापना की गयी। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की स्थापना हो जाने के बाद जितने भी बिजली के कल कारखाने हैं उनका संचालन इस बोर्ड के मातहत होना चाहिये और जितने भी बिजली के प्राइवेट कल कारखाने हैं उनका अंत होना चाहिये।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

मार्टिन बर्न के बारे में सैकड़ों बार शिकायत की गयी लेकिन अफसोस है कि फैजाबाद में जहां सुहावल पावर हाउस लगा हुआ है, वहां भी फैजाबाद शहर के लिये मार्टिन बर्न का ठेका है और वह शहर को बिजली सप्लाई करते हैं। बिजली कृषि और उद्योग का मूल है और इसलिये सरकार को इस ओर कदम आगे बढ़ाना चाहिये और इसमें उसे राष्ट्रीयकरण नीति अपनानी चाहिये। प्राइवेट कंपनियों का अंत करना चाहिये और उन सब का संचालन इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड द्वारा कराना चाहिये।

नवलकिशोर जी ने दबी जबान से कहा है, मैं स्पष्ट मांग करता हूं कि कानपुर के कारखानों पर और दूसरे पूंजीपतियों पर जो लाखों रुपया बिजली का बकाया है और सरकार ने जिसके लिये वायदा किया है कि वह रेवन्यू की तरह से वसूल किया जायगा, उसे सख्ती से सरकार को वसूल करना चाहिये। हमारा कंज्यूमर जो रोशनी और पंखों के लिये बिजली का इस्तेमाल करता है और एक महीने अपना पैसा नहीं देता तो दूसरे महीने उसकी बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि लाखों रुपया उन पर बकाया है फिर भी सरकार नरमी से उन से बर्ताव करती है। इसके लिये मेरी मांग है कि उस बकाया को मुस्तैदी के साथ वसूल होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवधेशप्रतापसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

गोपनीय रिपोर्टों को सदन में रखने के सम्बन्ध में व्यवस्था (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—चेयर के सामने दो व्यवस्था के प्रश्न हैं। पहला तो माननीय नारायणदत्त जी द्वारा उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का जो वार्षिक वित्तीय लेखा है उसमें जो वर्णन दिया गया है और जो अनुदान पर बहस चल रही है उसमें विरोधाभास है। इस संबंध में तो मैं यह कहूंगा कि जैसा उन्होंने उस समय पढ़ा था, यह इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई एक्ट, १९४८ की धारा ६१ (३) इस प्रकार है:

"61 (3). The State Government shall as soon as may be after the receipt of the said statement cause it to be laid on the table of the House, or as the case may be, Houses of the State Legislature: and the said statement shall be open to discussion therein, but shall not be subject to vote.

(4) The Board shall take into consideration any comments made on the said statement in the State Legislature."

तो इस सेक्शन के मुताबिक माननीय सदस्यों को अधिकार है कि आप चाहें तो उस रिपोर्ट का हवाला दे सकते हैं वित्तीय लेखे का, लेकिन इसके अलावा दूसरे दिन अलग से भी उस पर बहस की जा सकती है। अब अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो सरकार से इस संबंध में बातचीत करके कोई समय या दिन इस वार्षिक वित्तीय लेखा पर विवाद के लिये निश्चित किया जायेगा।

अतः अनुदान पर बहस नहीं रुकेगी।

दूसरा प्रश्न माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने सिवेश्कर कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में उठाया था। इस संबंध में ११ मार्च, १९६० को भूतपूर्व विद्युत् मंत्री, माननीय गिरधारी लाल, ने यहीं सदन में कुछ जिक्र किया था और उसका कुछ अंश मैं पढ़ कर सुना देता हूं जो इस प्रकार है—

". . दूसरी बात खटीमा के बारे में कही गयी। किसी भाई ने गलतफहमी से यह कह दिया कि उसी कम्पनी को कैसा का काम दे दिया गया। मेरी इत्तला में ऐसा नहीं है, लेकिन रिहन्द का काम जरूर दिया गया था, इससे पहले सिद्दीक हसन कमेटी ने जिस वक्त काम चालू किया या चालू करने जा रही थी यह सवाल हुआ कि इतनी देर क्यों लगी, कोई वहां पर मौजूद था या नहीं, फिर के बाद इन यह बना। यह सब देखने के लिये एक कमेटी बिठायी गयी।

उस कमेटी ने उसका पूरे तौर पर परीक्षण किया । इसी समय जब वह काम हो रहा था, दूसरी तरफ रिहन्द डैम का ठेका दे दिया था । उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने आयी । जब वह रिपोर्ट सरकार के सामने आयी तो उस वक्त वहां पर जिस चीफ इंजीनियर ने अपने मातहत उस काम को करवाया था उसके ऊपर भी कार्यवाही की और उसकी पेंशन वगैरह सब रुकी पड़ी है । उस पर एक विशेष सिवे.कर कमेटी बैठायी गयी इसी बात को देखने के लिये कि जब वह काम इस तरीके का था तो ठेका क्यों दिया गया । उस कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आ जायेगी ।" श्री राजनारायण जी ने फिर एक प्रश्न किया था कि—

"सिवेश्कर कमेटी की रिपोर्ट क्या है ?" इसका उत्तर देते हुये श्री गिरधारी लाल ने कहा था—"रिपोर्ट बहुत जल्द सामने आयेगी और उसको हर एक माननीय सदस्य देख सकेंगे ।"

तो एक तो इस संबंध में माननीय मंत्री जी का उस समय का आश्वासन है । दूसरे आदरणीय सदन को भी यह ध्यान में रखने की बात है कि जिस विभाग के लिये वह अनुदान देता है उसका खर्चा किस प्रकार से होता है, इस संबंध में पाई-पाई का हिसाब जानने का सदन को अधिकार है । उस समय यह प्रश्न उठा था कि जब उस कम्पनी का काम ठीक नहीं था तो रिहन्द डैम का काम उसको क्यों दिया गया । यह सारी समस्या उसी अनुदान से संबंधित है और उसी के खर्च से संबंधित है कि इस सदन ने सरकार को या उस विभाग को खर्च करने के लिये स्वीकृत किया था जो आश्वासन श्री गिरधारी लाल ने इस संबंध में दिया अगर उसको इस समय माननीय मंत्री जी रिवाइज भी कर दें, तब भी सदन को उसके बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार है और उनको वह रिपोर्ट मिलनी चाहिये क्योंकि उस समय प्रश्न यही था कि इंगलिश कम्पनी ने कोई गड़बड़ी की या नहीं और अधिकारियों द्वारा भी कोई इरैगुलरिटी हुई या नहीं ? यह ऐसी बातें हैं जो जनता के सामने आनी चाहिये, लेजिस्लेचर के सामने आनी चाहिये और मैं समझता हूं कि यह बात सरकार के हित में है और उस इंग्लिश कम्पनी के भी हित में है क्योंकि वह एक व्योपारिक कन्सर्न है और अगर वह निर्दोष है तो इस तरह की बातों से उसको हानि पहुंच सकती है । उसकी प्रतिष्ठा भी इसी में है कि जो बात हो वह सामने आये । सरकार इसको गोपनीय समझती है, लेकिन अनुदानों के मामले में, जिस रकम को हम दें, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार हमको है । उसको पेश करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये । इसलिये मेरी व्यवस्था यह है कि उनको इस रिपोर्ट को सदन के सामने रखना चाहिये । हो सकता है कि वह रिपोर्ट अभी छपी न हो । ऐसी हालत में उसकी टाइप कापी ही सदन के सामने रख दी जाय, ताकि सदन उसको देख सके ।

१९६१–६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २६—विद्युत योजनायें अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५०—विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत (क्रमागत)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया । श्रीमन्, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुदान है और खास कर उस समय जबकि देश अनेक योजनाओं में से होकर गुजर रहा हो । श्रीमन्, योजना चलाई इसीलिये जाती है ताकि देश की उन्नति हो, और हर प्रकार का सुख जनता को मिल सके । ऐसी हालत में चूंकि अपने प्रदेश की जनता अधिकतर गांवों में रहती है, सरकार की प्रत्येक योजना का ध्यान गांवों की तरफ ही अधिक होना चाहिये । परन्तु यह दुर्भाग्य है कि सरकार का ध्यान गांवों की तरफ कम जाता है । इस विद्युत् को ही देखा जाय कि जिस रेट पर बिजली गांवों में उद्योग के हेतु दी जाती है उसमें और जो शहरों में दी जाती है उसमें ५, ६ गुने का फर्क है । यहीं इस सदन में हमारे पार्टी के उपनेता श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी ने एक प्रश्न किया था और उसके उत्तर में सरकार की ओर से बतलाया गया था कि मनकापुर के गांवों में २५ पसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है

[कुंवर श्रीपालसिंह]

और लखनऊ या अन्य शहरों में बहुत मामूली यानी ५, ७ पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दी जाती है और बिड़ला साहब को तो रिहंद डैम से और भी सस्ती बिजली दी गयी है। तो अगर देहातों का उत्थान करना है और कृषि जिसके ऊपर इस देश का भविष्य निर्भर है जब तक देहातों में उद्योगों का विकास नहीं करेंगे और छोटे-छोटे उद्योगों को खोलकर देहात की सरप्लस जनसंख्या को उस पर नहीं लायेंगे तब तक इस देश की उन्नति नहीं हो सकती। गांवों में बिजली सस्ते दाम पर जानी चाहिये जिससे गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगाये जा सकें। मगर सरकार उल्टा करती है। गांवों में तो बिजली महंगी दी जाती है और शहरों में सस्ती देंगे।

श्रीमन्, खर्च के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। आडिट रिपोर्ट जो हम लोगों को मिली है सन् १९५९–६० की उसमें बहुत सारी अनियमिततायें हैं। इसमें से कुछ विद्युत् विभाग के बारे में भी है। ऐसी चीजें उसमें बतलायी गयी हैं जिनको देखकर यह मालूम पड़ता है कि जानबूझ कर मालूम नहीं किस भावना से यह चीजें की गयी हैं। श्रीमन्, कोई योजना थी जिसमें ६ जेनरेटिंग प्लान्ट्स लगाने थे। सितम्बर, १९५५ में १.३० लाख रुपये लगाकर जिस कम्पनी को आर्डर दिया गया था उससे किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ। श्रीमन्, खरीदे गये प्लान्ट लगाये गये और उनके बाद कोई ऐग्रीमेंट भी नहीं था जबकि आमतौर से एग्रीमेंट होकर १० परसेंट रुपया रोक लिया जाता है, जब काम सैटिसफैक्टरी होने लगता है तो ६ महीने के बाद वह रुपया दे दिया जाता है लेकिन यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं था लिहाजा रुपया दे देना पड़ा और जब प्लान्ट चले तो उनमें गड़बड़ी मालूम पड़ी। वे खराब थे। उसकी वजह से ७९,७०५ रुपये का नुक्सान हुआ क्योंकि उनको फिर से लगाना पड़ा। यह आडिट रिपोर्ट में लिखा है।

इसी प्रकार से एक चीज और हुई। ए० सी० एस० आर० कंडक्टर ४९० मील की दूरी के इस्तेमाल के लिये खरीदा गया १६ अक्तूबर सन् १९५७ को जिसका दाम था २३,३३,५१० रुपये और २८९२ सेट्स डिस्क इनसुलेटर्स के खरीदे गये। इनका दाम था ३५,०९,११४ रुपये, और तार जो खरीदे गये उसका दाम था ३२,२३,११४ रुपये। यह उसी लाइन पर लगाने के लिये सन् १९५८ में खरीदे गये मगर वह किन्हीं कारणों से लाइन में नहीं लगे और सरप्लस स्टाक में रखे रहे। वह रखे थे लेकिन अगस्त, १९५९ में ठीक यही चीज जो सरप्लस में थी और स्टाक में मौजूद थी, उसको न लगा कर ९८५ मील की लाइन के लिये आर्डर प्लेस कर दिया गया। उस आर्डर में डिस्क इन्सूलेटर भी थे, तार भी थे और ए० सी० एस० आर० भी थे। ६,५०,०१५ रुपये के डिस्क इन्सुलेटर, और ८९,१७,००४ रुपये का बकीया सामान फिर से ले लिया गया जबकि सामान पहले से मौजूद था और एक बहुत बड़ा सरप्लस स्टाक बना दिया गया। आडीटर ने फरवरी, १९६० को लिखा लेकिन सरकार ने अक्तूबर, १९६० तक कोई उत्तर नहीं दिया। सरकार की तरफ से भी इस प्रकार की चीजें होती हैं। बिजली जितनी तेज रफ्तार से चलती है उतनी तेज रफ्तार विभाग के कर्मचारियों को चलना चाहिये ताकि इस किस्म की गड़बड़ी न हो।

इसके अलावा एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं लखनऊ की बिजली कंपनी के बारे में। माननीय चन्द्रजीत यादव और नवल किशोर जी ने कहा कि इन प्राइवेट कंपनियों का जो काम करने का ढंग है ऐसा खराब है कि जिसकी कोई इन्तहा नहीं है। मैं उसके बारे में किसी दूसरे की बात नहीं कहना चाहता हूं। स्वयं अपनी भोगी हुई कहना चाहता हूं। मेरा मकान नवलकिशोर रोड पर है। बाढ़ के समय वहां पानी भर गया था। उस समय मेरे यहां बिजली फेल हो गयी। मैंने जब टेलीफोन किया तो उनके किसी आफीसर ने कहा कि बिजली इसलिये काट दी गयी है कि बिजली पानी में न फैल जाय और बहुत से लोगों की जान चली जाय। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिये। यह मैंने ११ बजे दिन में फोन किया था लेकिन रात को देखता हूं कि अकेले मेरे मकान की बिजली फेल है और आस पास के मकानों में जल रही है। मैंने फिर फोन किया कि क्या पानी में फैलने वाली बिजली मेरे ही मकान में आती है? तो जवाब मिला कि ऊपर के आफिसर से बातें कीजिये। ऊपर के किसी आफीसर को फोन किया तो कोई बंगाली

महाशय बोले। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में बातें कीजिये। हमने कहा कि बातें करने का हमारा पेशा ही है, हमें बातें करना न सिखाइये। आप बताइये कि यह क्या तमाशा है। उन्होंने कहा कि आपके पोल का फ्यूज हो गया होगा, इस वक्त तो नहीं हो सकेगा, सबेरे देखा जायगा। दूसरे दिन शाम के चार बजे तक मैंने इंतजार किया। जब कोई साहब नहीं आये तो फिर फोन किया। उन्होंने हुसेनगंज में कोई आफिस है उससे मिला दिया। उन्होंने कहा कि आप ही खुद ऐसे लेबर कानून बना देते हैं कि लेबर पानी में उतरते ही नहीं हैं, उनसे हम पानी में उतरने के लिये कह ही नहीं सकते हैं। नवल किशोर रोड पर केवल कमर भर पानी था। असलियत यह थी कि एक पेड़ गिर गया और उसको उठाना चाहते नहीं थे और बराबर गलत बात कह कर इस प्रकार से परेशान करते हैं। प्राइवेट कंपनियों का काम ही यही है। जब बिल लेने के लिये पहुंचते हैं तो शेर की तरह दहाड़ते हैं कि इतना रुपया फलां तारीख तक पहुंच जाय नहीं तो रिबेट नहीं मिलेगा। किसी सूरत में भी ४-६-१० का मौका नहीं दिया जाता। मगर जब उनका अपना काम होता है तो उस वक्त इस किस्म का तमाशा करते हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि जब सरकार बड़े-बड़े उद्योगों को अपने हाथ में लेना चाहती है तो फिर इस तरह की प्राइवेट बिजली कम्पनियों को किस लालच में उसने छोड़ रखा है। क्या इसीलिये छोड़ रखा है कि वे इस तरह से जनता के सब लोगों को परेशान किया करें ?

श्रीमन्, यह पावर का विभाग तो है ही, अब शक्ति यहां से आती है, किसके पास से आती है, यह एक गुप्त चीज है। कौन सी शक्ति आती है, कहां से किसके पास से आती है, इसको कहने के लिये मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर देखा जाय तो जितना भ्रष्टाचार और अनियमितता इस विभाग में मिलती है उतनी किसी दूसरे विभाग में शायद ही मिले। पिछले साल मेरे एक सवाल का जबाव दिया गया था कि एक मील में कितना रुपया खर्च होता है। उससे मालूम हुआ कि सन् १९३९ से वही चला आ रहा था। बाद में आकर जब कई मर्तबा कहने पर इसकी जांच की गयी तो उसमें करीब .४ का फर्क पड़ा और इस .४ के फर्क से ही करीब-करीब २५ लाख रुपये का हेरफेर आता था। मगर बाद में फिर यह कहा गया कि तार का जो लटकन होता है वह नहीं जोड़ा गया था और लिहाजा उसको निकाल देने के बाद उतना ही रह जाता है जितना कि पहले से बना हुआ है। तो इस प्रकार से इस सरकार की मनोवृत्ति सारी चीजों को छिपाने की ही रही है। वह हमेशा अपनी गलती को छिपाती है। जैसा कि अभी आपने उनको समझाया, यही इसका प्रमाण है कि सरकार हर चीज को छिपाना चाहती है। सरकार को चाहिये कि किसी चीज को छिपाने के बजाय सारी चीज को स्पष्ट रूप से सामने रख दे ताकि असलियत तो सब के सामने आ जाय।

श्री शमसुल इस्लाम (जिला एटा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका निहायत मशकूर हूं कि आपने इस मतालबा जर के ऊपर मुझे बोलने की इजाजत मरहमत फरमायी। श्रीमन्, मैं आपके जरिये इस मतालबा जर में इजाफे के बारे में अपनी हुकूमत से कुछ दरख्वास्त करना चाहता था लेकिन बजट में गुंजायश न होने की वजह से अब इसकी ताईद और इसकी मंजूरी ही हाउस के लिये ज्यादा जरूरी है। प्रजातंत्र और जम्हूरियत में हर शख्स की तमन्ना होती है कि अपनी हुकूमत से ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें हासिल करे और हुकूमत की भी यही आरजू होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें अवाम को पहुंचावे। मगर चन्द वजूहात की बिना पर वह ऐसा नहीं कर पाती और उन वजूहात में से एक खास वजह महदूद जराये आमदनी होती है। और वह तमाम मुकामात पर एक ही वक्त में अवाम को सहूलियत पहुंचाने से मजबूर रहती हैं।

श्रीमन्, जम्हूरियत का निजाम कुछ सहयोग के ऊपर चलता है कि अवाम हुकूमत से तआवुन करे और हुकूमत का सहयोग अवाम को हासिल हो। एक पुरानी मसल है कि कुछ गंगाजल और कुछ मेंहे का पानी करके काम चलता है।

[श्री शमसुल इस्लाम]

श्रीमन्, मैं जिस इलाके से आया हूं वहां के अवाम ने अपनी जवांमर्दी से बिना सरकारी इमदाद के एक इंटर कालेज, मय बी० टी० क्लासेज के एक डिग्री कालेज, और ८ बेड्स का एक शफाखाना भी तैयार कराया है और जिनमें आज तक हुकूमत ने किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी। इन तमाम बातों से हमारे इलाके के आदमी बहुत ही बददिल हो गये हैं और वहां की दशा आज ऐसी है कि सड़कें व बिजली वगैरह जो अवाम की तरक्की के बायस हैं इन तमाम मराअात से वह इलाका बिलकुल महरूम ही नहीं बल्कि उस इलाके के साथ एक मजाक सा किया गया है। मुतवातिर २० साल गुजर गये लेकिन उस इलाके में कोई सहूलियत, कोई तरक्की न बिजली की न पुल व सड़क की, न स्कूल को न शफाखाने को दी गई, किसी तरह की कोई चीज वहां हुई ही नहीं हालांकि दूसरी जगहों में बनी हुई सड़कें ऊंची कराई गई हैं और उन को चौड़ा किया जाता है लेकिन मेरे इलाके में कहीं एक इंच सड़क भी इस अर्से में नहीं बनी है। इधर जो एक और बड़ी सितमजरीफी की गई है, वह यह कि हमारे यहां एटा में ही मेरी कांस्टीटुएंसी के बाहर काम हुआ है, अलीगंज से दरियागंज तक २ लाख रुपया मंजूर किया गया लेकिन जहां मेरी कांस्टीटुएंसी शुरू होती है वहीं उस सड़क को भी खत्म कर दिया गया। कहने का मकसद यह है कि मेरे इलाके को आज तक कोई राहत नहीं पहुंची है। मैं बिजली के मुताल्लिक अर्ज करूंगा कि कहीं पर तो सरप्लस बिजली चल रही है, पूर्वी इलाकों में फालतू बिजली है लेकिन मगरिबी अजला में जरूरी कामों के लिये भी बिजली नहीं मिलती है। मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि

"गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी,

ए खाना बरअन्दाज तजर कुछ तो इधर भी।"

मैं क्या अर्ज करूं हमारे यहां इंटर कालेज है, शफाखाना है, डिग्री कालेज है, आयल मिल है और ६०-७० और छोटे-छोटे कारखाने, मशीनें लगी हैं, २०-२२ हजार की आबादी है, वहां की म्युनिसिपैलिटी भी २०-२२ हजार रुपया रोशनी के लिये दे सकती है। वहां पर बिजली न होने की वजह से हालत यह है कि जो अच्छे लेक्चरर हैं वह वहां के कालेजों में ठहरने के लिये तैयार नहीं हैं, बच्चों को भी पढ़ने में बगैर बिजली के सहूलियत नहीं है और वहां की हर तरह की तरक्की में एक रुकावट है। इसके अलावा सरकार की तरफ से वहां स्कूल, शफाखाने या सड़क बिजली के लिये कभी एक पैसे की भी इमदाद नहीं दी गई है। इसके अलावा एक और मजाक हमारे साथ किया गया है कि हमारे यहां शुमाली सरहद पर गंगा का २० मील का इलाका है और बराबर २-३ मील चौड़ाई में गंगा ने काट डाला है, उसके लिये ९ लाख मंजूर हुआ था उसका पता नहीं कि वह कहां गया।

श्री उपाध्यक्ष--मैं कहूंगा कि आप सिर्फ बिजली विभाग के मुताल्लिक कहें। थोड़ा सा गुबार निकालने का मैंने मौका दे दिया अब इस से ज्यादा और मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री शमसुल इस्लाम--अगर आप की नवाजिश हो जाय तो मैं अपने इलाके के लिये बिजली चाहता हूं। अगर वहां बिजली पहुंच जाय तो दरियागंज से गोरहे तक के २८-२९ मील के इलाके की तरक्की हो सकती है, वहां दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जायगी और उसी इलाके को चार चांद लग जायंगे। मेरे इलाके की बड़ी मांग बिजली की है। अगर बजट का १४ साल का हिसाब लगाया जाय और औसतन १ अरब सालाना का बजट रखा जाय और उसको जिलों में न बांटकर ४३१ कांस्टीटुएंसी में बांटा जाय तो मैं अर्ज करूंगा कि हमारे यहां का ३,२४,८२,५९६ रुपये का हिसाब आता है। अगर सरकार ८,१६,५५,०६४ अपने और जरूरी खर्च के लिये काट लें तो भी १,०८,२७,५३२ रुपया होता है जिस में काफी काम हो सकता है और बिजली भी उसमें लग सकती है। उस इलाके के तमाम काम इस रकम से

हो सकते हैं। गालिबन सरकार ऐसा करने को तैयार न होगी लेकिन मैंने जायज मुतालबा समझ कर यह चीज सरकार के सामने रखी है। दूसरे यह कि अगर जायज खर्चा काट कर इलाके की आमदनी ही वहीं खर्च की जाय तो भी काफी काम वहां हो सकता है।

*श्री भजनलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अपनी बात कहने के पूर्व सर्वप्रथम मैं मौजूदा सरकार की जो हालत है उसकी एक बात आप के द्वारा सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि यह पुस्तक आडिट रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है उस में बरती गई अनियमितताओं की ओर ध्यान दें और उन की छानबीन करने का कष्ट करें ताकि उत्तर प्रदेश का हित हो सके। मैं थोड़ी बातों में अनियमिततायें जो बरती गई हैं रख देना चाहता हूं। रोकड़ बही में नकद लेन-देन को तुरन्त नहीं दर्ज किया गया जैसा कि नियमों के अधीन अपेक्षित है। कई दशाओं में नकदी या स्टोर पर नियंत्रण रखने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों से पर्याप्त प्रतिभूति नहीं ली गई। ठेकों के संबंध में ठेकेदारों के साथ निष्पादित कारनामों की शर्तों और प्रतिबन्धों को कड़ाई से लागू नहीं किया गया। कई मामलों में लेखा-परीक्षा टिप्पणियां और उन मदों के विवरण-पत्र जिनके संबंध में लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा आपत्तियां भी की गईं थीं उत्तर सहित शीघ्र ही नहीं वापस किये गये। इसके फलस्वरूप अनियमिततायें हुई और मुख्यतः उनके कारण यह हैं कि तख-मीनों का अभाव, तखमीनों से अधिक व्यय और ब्योरेवार विपत्रों (बिलों) से प्रमाणकों (वा-उचरों), उप प्रमाणकों, मुद्रांकित रसीदों आदि का अभाव।

इस विद्युत विभाग में जो बड़ी भारी राशि अनियमितता के रूप में चली आ रही है और जिसका कि १५ जनवरी, १९५९ से अब तक निराकरण नहीं किया गया है, वह धनराशि क्या है, इसको सुनकर दांत तले उंगली दबानी पड़ती है। वह धनराशि है १६ करोड़ २७ लाख १७ हजार ४५३ रुपया। तो जब इतनी बड़ी धनराशि का निराकरण आज तक नहीं हुआ तो हमें इस बात की क्या आशा हो सकती है कि प्रदेश में कोई तरक्की की जा सकती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आपकी जो सरकार बनी है वह इन अनियमितताओं की ओर विशेष ध्यान दे और छानबीन करके संबंधित अधिकारियों को उचित दंड दे।

इसके बाद मैं रिहन्द डैम की बिजली के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि रिहन्द से जो बिजली उत्पादित होगी उसका बहुत अंश कुटीर उद्योगों को दिया जायगा, जिससे कि छोटे-छोटे धंधे चल सकें और कम से कम ९३ प्रतिशत जनता जो देहात में रहती है उसको सुविधा मिलेगी। लेकिन उन सारी आशाओं पर पानी फिर गया सिर्फ दो-एक व्यक्ति ऐसे प्रमुख हैं जिनको बिजली दी गई, बिड़ला सरीखों को जिन्होंने कि एल्म्युनियम की फैक्ट्री लगाई, उन्हें दी गई और भी कम्पनियों को दी गई। ५० हजार किलोवाट से अधिक बिजली इस तरह से दे दी गई। पूर्वी जिलों की जनता जो आशा लगाये बैठी थी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये मैं मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूं कि वह चन्द व्यक्तियों के स्वार्थ की पूर्त्ति करने के बजाय ७ करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये अधिक से अधिक बिजली देहाती क्षेत्रों को छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को चलाने के लिये दें, तो हो सकता है कि प्रदेश के अन्दर जो बेकारी, गरीबी और भुखमरी है वह समस्या कुछ हल हो सके।

एक मांग और करना चाहता हूं। जिस प्रकार से सिंचाई विभाग अपनी नहरों से बम्बे और बम्बे से गूलें निकालकर पानी देहात की जनता को देता है और जनता अपनी इच्छा के आधार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भजन लाल]

पर पानी को लेती है और उस पानी के लेने के हिसाब से कर देती है उसी प्रकार माइनर प्लांट से इस प्रकार का बिजली का जाल बिछा दिया जाय और जनता जितनी बिजली इस्तेमाल करे उतनी का ही टैक्स वसूल किया जाय। (लाल बत्ती जलने पर) समय तो बहुत जल्दी हो गया?

श्री उपाध्यक्ष---बड़ी मुश्किल से ७ मिनट आपके लिये निकाले थे। मजबूरी है।

श्री भजनलाल---मुझे कहना तो बहुत है, लेकिन मैं अपने जिले की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जिले में जहां पर चम्बल घाटी है बहुत बड़ी नदी है जो हिमांचल प्रदेश से निकलती है, काफी तेजी से पानी उनमें बहता है। जिला इटावा के अन्दर जिन खंडहरों में बड़े-बड़े कुख्यात डाकू रहते हैं भुखमरी होने के कारण वह गलत अपराध करने के लिये तैयार होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर चम्बल घाटी पर सहसों के पास एक बांध बना दिया जाय और उससे बिजली पैदा की जाय तो मैं समझता हूं प्रदेश को ही नहीं बल्कि मध्य भारत को भी बिजली मिल सकती है और बेकारी की समस्या दूर की जा सकती है। मैंने १९५९ में औरैया नगर में बिजली के संबंध में नैनीताल में होने वाली मीटिंग में प्रस्ताव रखा था और मांग की थी कि औरैया से पुखरायां २५, २६ मील दूर है और आज जो औरैया नगर में कुछ व्यक्तियों के द्वारा बिजली संचालित है उससे इतना कर बढ़ गया है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है और बिजली के दाम देते देते जनता की कमर टूटी जा रही है। मैं मांग करता हूं कि मंत्री जी इस योजना में पुखरायां से कनेक्शन अगर बिजली का औरैया को दे दें तो वह क्षेत्र सरसब्ज हो जाय, वहां उद्योग-धंधे पनपें और वहां की जनता को राहत मिले।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय अवधेश प्रताप सिंह, आपके केवल १० मिनट हैं।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं जल्दी करूंगा।

महोदय, मुझे एक शिकायत फिर भी आपसे आज करनी है। एक प्रश्न आपकी अदम मौजूदगी में मैंने उठाया था और उस पर आपने रूलिंग दी जिसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। परन्तु कठिनाई यह है कि ऐसी ग्रांट्स जो कि टेक्निकल होती हैं, उस तरफ से उन पर कुछ प्रकाश नहीं डाला जाता, जिसके कारण हम लोगों को कुछ अधिक सूचना नहीं मिल पाती। जिन लोगों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। और जिन्होंने विरोध किया है पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके खिलाफ कुछ कहा जा सकता है, बल्कि एक तरह से हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया है। केवल एक दल के सदस्य होने के कारण विरोध किया। सरकार की तरफ से भी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर या किसी ने इंटरवीन नहीं किया जिससे हमको यह मालूम हो सके कि इसमें क्या है एक तो हमको साहित्य नहीं मिल पाया, हमने अगर कुछ गलत कहा था तो हमको बताया जाता ताकि उस रोशनी में हम जवाब दे सकते। इसलिये आपसे निवेदन है कि कम से कम जब ऐसे टेक्निकल सबजेक्ट्स आवें तो उनके बारे में अधिक से अधिक सूचना हम लोगों को मिलनी चाहिये। यह मैं मानता हूं कि हाउस में बिजली के संबंध में बहुत पढ़ने के बाद माननीय सदस्यों को जानकारी हो सकती है। मैं मानता हूं कि संबंधित मंत्री के पास जानकारी की सुविधायें हैं पर आज हमारे पास कोई साहित्य नहीं है। अगर साहित्य दिया करें तो हमको सुविधा हुआ करेगी।

सुबह एक इशारा हुआ था कि बिड़ला जी रिहन्द बांध से जो ५५ हजार किलोवाट बिजली लेना चाहते थे, प्रेस रिपोर्ट भी है कि अब वह सेंटर से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, शायद प्रदेशीय सरकार से भी कर रहे हों, और आज वह बिजली जो दी गई थी सस्ते रेट पर अब उसको वह छोड़ना चाहते हैं। इसमें कोई उदारता नहीं है। इसमें भी एक गहरी चाल है। अगर

वह सरकार से अधिक उत्पादन के लिये लाइसेंस पा जायेंगे तो रिहन्द बांध जो १ लाख ५० हजार किलोवाट बिजली उत्पादन कर सकता है, ५५ हजार किलोवाट उनको मिल चुकी है, तो पूरी तो सरकार दे नहीं सकती। इसलिये वह चाहते यह हैं अगर उनको अपनी प्रोडक्टिव कैपैसिटी बढ़ाने के लिये लाइसेंस मिल जाता है, अगर उनको दुगना कर दिया तो बिजली उनको अधिक चाहिये, इसलिये वह अपनी बिजली पैदा करेंगे। लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर यह सरकार बिड़ला है या बिड़ला सरकार है। आखिर इसमें भी तो अन्तर होना चाहिये। क्या जो कुछ आदेश या निर्देश सरकार देगी वह बिड़ला से ही लेगी?

उपाध्यक्ष महोदय, यह भंडाफोड़ उस दिन होगा जिस दिन सिवेश्वरकर कमेटी की रिपोर्ट आपकी कृपा से सदन के सामने आयेगी। रिहन्ड डैम के बारे में आजकल बिलकुल अन्धेरा है। ऐग्रिमेंट नहीं मिल सकता जो सरकार और बिड़ला के दरमियान हुआ। बमुश्किल तमाम मंत्री महोदय ने अपने दफ्तर में दिखाने के लिये कहा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर यह कहें कि उनके दफ्तर में आओ तो दूसरी बात है लेकिन मिनिस्टर के पास उनके चैम्बर में पहुंचना नई पद्धति कायम हो रही है। रिपोर्ट के बारे में आपने जो रूलिंग दी उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। यह इलेक्ट्रिसिटी का बजट है लेकिन कोई साहित्य नहीं है जिससे हम यह समझ सकें कि यह रुपये किन मदों में जा रहा है और क्या होने वाला है? जब बहस का मौका होगा तब इस संबंध में कुछ पता चल सकेगा।

अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो कर्मचारी होंगे उनकी पर्मानेंसी का सवाल कौन तय करेगा? निम्न श्रेणी के बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं, ५० प्रतिशत ऐसे निकलेंगे जो अभी १५,१६ साल का करेंगे और उनमें एक भी मुस्तकिल नहीं हुआ है। कोई उनके लिये इसमें प्रोमोशन का रूल नहीं है, यह कहा जा सकता है कि यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है। यह चीज टेम्पोरेरी नहीं रहेगी। तो इतने दिन की सर्विस के बाद कोई कारण प्रतीत नहीं होता जिससे लोग मुस्तकिल न किये जायं।

मैं यह समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को एक सुविधा है कि मेरे बोलने के बाद किसी चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता। सदन उनके बोलने पर कुछ कह नहीं सकता। ५ मिनट में पहले तो डिप्टी मिनिस्टर साहब ने अनुदान पेश कर दिया ताकि अपोजीशन के लिये वक्त रहे। इस वजह से वह ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते। यह उदारता उस तरफ जरूर है। बीच में किसी को इंटरवीन करते नहीं। अन्त में जब बोलने खड़े होंगे तो चाहे जो कुछ कह दें। पिछली दफा माननीय गिरधारी लाल जी ने या धर्मसिंह जी ने जो कुछ कहा उसके संबंध में एक लफ्ज भी उस तरफ से नहीं आ रहा है। उन्होंने पूरा ब्योरा दे दिया कि हर सुविधा वह दे रहे थे और हर मजबूरी बतला रहे थे। यह भी उन्होंने कहा कि बिड़ला फोबिया है, बिड़ला से एलर्जी है। तो न हमें अलर्जी है बिड़ला से, न झारखंडेराय से। अलरजी तो घर ही में है। बाहर के लोग शराफत के कारण गवारा नहीं करते कि दूसरे के घर में ज्यादा खोजबीन करें। माननीय मुख्य मंत्री जी उपस्थित होते तो शायद जवाब देते लेकिन बहुत देर में तशरीफ लाये हैं मौका महल देख कर।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह एग्रीमेंट किया था बिड़ला से तो मंत्री महोदय कुछ भी कहें, या यह जो बिजली दी जा रही है कास्ट आफ प्रोडक्शन से ४० प्रतिशत कम पर दी गयी है। बिजली उनके पास नहीं है और उन्होंने जो बात कही वह गले के नीचे उतर नहीं सकती और यह बात मानी नहीं जा सकती कि जो रिपोर्ट है वह गोपनीय है। माननीय शांतिप्रपन्न शर्मा जी बड़े धीमे ढंग से कह देंगे कि इसमें हमने यह पैदा किया लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में बिजली खराब गयी। बिजली अगर पैदा हो गयी तो कुछ बिजली ट्रांसमिशन में गायब हो गयी।

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

इन शब्दों के साथ में समझता हूं कि साहित्य की व्यवस्था होनी चाहिये वरना अपोजीशन के लिये दुश्वारी है कि किसी चीज का माकूल जवाब दे सकें और माल मंत्री की नामाकूलियत की बिना पर हर बात को टाल देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री चन्भानु गुप्त)—उपाध्यक्ष महोदय, आज भी दिन भर बहस को सुना और उन्हीं बातों को माननीय सदस्यों को दोहराते हुये सुना जो इन चार महीनों में समय-समय पर इस सरकार के प्रति, इस सरकार की योजनाओं के प्रति इस सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा जो उधर बैठे हुये हैं व्यक्त की गयी हैं। माननीय राजा साहब को एतराज तो बिड़ला साहब से नहीं है लेकिन कोई मौका इन तीन, चार महीनों में छोड़ा नहीं कि जब-जब सवाल उठा प्रश्नों के द्वारा या भाषणों के द्वारा तो उन्होंने इस प्रकार के विचार व्यक्त न किये हों कि यह सरकार तो पूंजीपतियों का समर्थन करती है, उनके हितों की तरफ अधिक देखती है और किसानों की बातों की तरफ नजर नहीं रहती है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वे लोग जो सदा वेस्टेड इंटरेस्ट के समर्थक रहे हों और जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स के अन्दर ही से उभरे हों आज वे अपने को किसानों के प्रति सब से ज्यादा हमदर्द साबित करने की चेष्टा करते हैं। मैं अदब के साथ उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि बराबर इस तरह की आलोचना और इस तरह का आरोप क्या हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम जाने की अभिलाषा रखते हैं?

आखिर को हम में से प्रत्येक यही तो चाहता है कि इस प्रदेश की आमदनी बढ़े और इस प्रदेश के उन गरीब किसान और मजदूरों का स्तर ऊंचा हो उस आमदनी के द्वारा और उन साधनों के द्वारा जो हमें विभिन्न योजनाओं की तहत में प्राप्त हों। तो यदि यह सरकार उद्योग-धंधों की तरफ अधिक ध्यान दे रही है और उनको बढ़ाने के लिये बिजली को उन साधनों में व्यय करने की योजना सदन के समक्ष प्रस्तुत करती है तो कौन सा भारी पाप करती है? यह कहना कि बिजली किसानों के हितों की रक्षा करने के लिये उन्हें नहीं दी जाती है, उनसे ज्यादा कीमत ली जाती है और जो उद्योगपति हैं उनसे कम पैसा लिया जाता है तो कभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि यह जो बिजली का घाटा कम से कम गंगा ग्रिड इत्यादि में हो रहा है और जिस बिजली को हम ट्यूबवेल्स इत्यादि पर व्यय करते हैं और कम काम लेकर उस बिजली को ट्यूबवेल्स के इस्तेमाल करने के लिये देते हैं तो वह घाटा और खर्चा किन के ऊपर होता है? आखिर उन ट्यूबवेल्स से कौन फायदा उठाता है? ट्यूबवेल्स से किसान ही फायदा उठाता है। यदि हम कम कीमत पर ट्यूबवेल्स को बिजली देते हैं तो हम किसान का ही फायदा करते हैं, किसान की ही सहायता करते हैं और किसान की ही योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहयोग देते हैं या ऐसा करने से हम किसी पूंजीपति को सहायता देते हैं और उसके कार्य के सम्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं? कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में जहांतक गंगा ग्रिड की बिजली के रेट्स का संबंध है, हम जिन दरों पर किसान को बिजली देते हैं ट्यूबवेल्स वगैरह चलाने के लिये वे दरें अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में बहुत कम हैं। मेरे पास आंकड़े हैं और वे इस बात को सिद्ध करेंगे कि जो ऐग्रीकल्चर रेट बिजली का हम ट्यूबवेल्स के सिलसिले में चार्ज करते हैं वह और प्रदेशों के रेट से कम है। अपने प्रदेश में जहां तक शारदा और गंगा ग्रिड का संबंध है वहां पर १०.३ पाई प्रति किलोवाट पावर चार्ज किया जाता है जिन ट्यूबवेलों को बिजली दी जाती है, देहली में २०.६ पाई लिया जाता है, पंजाब में १७.७५, मदरास में १२.८७, बम्बई में १३.६०, बंगाल में १२.९९ और अहमदाबाद में .२० पाई लिया जाता है। सिर्फ मैसूर स्टेट ऐसी है जहां ६ पाई चार्ज होता है। यह जो बिजली के रेट हम कम चार्ज करते हैं और जो घाटा होता है वह किसके कारण होता है? क्या किसानों के कारण नहीं होता है, क्या उन गरीबों के कारण नहीं होता है जिनकी दुहाई माननीय सदस्यगण सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

बिड़ला जी को जिस दर पर बिजली दी गयी है उसकी बड़ी भारी चर्चा सदन में की गई। इस समय ही नहीं बल्कि जब सदन बैठता है तो बार बार इसका जिक्र आ जाता है। क्या माननीय

सदस्यों ने अध्ययन किया है कि अल्मूनियम फैक्टरियों के सिलसिले में अन्य प्रदेशों में किस दर पर बिजली दी है। अगर अन्य प्रदेशों से मुकाबला करें तो जिन दरों पर हमने बिजली बिड़ला जी को दी है वह कहीं ज्यादा है। जैसे आंकड़े मेरे सामने हैं उनके अध्ययन से पता चलता है कि हम से कम दर पर उड़ीसा में दी गई। एक अन्य प्रदेश में जहां बिजली देने का प्रश्न उठा वहां पर भी हम से कम दर पर बिजली दी गई। हमने जिस दर पर बिड़ला जी को दी है वह अन्य प्रदेशों के मुकाबले में अधिक दाम पर दी है। खर्चा १६५ या शायद १६६ रुपया फी किलोवाट प्रति वर्ष पड़ता है और सालाना किलोवाट जो हम बिजली देते हैं उसकी दर १७५ रुपया पर किलोवाट पड़ती है। जब कि अन्य प्रदेशों में अल्मूनियम कारखाने का रेट सैंट्रल वाटर कमीशन ने स्वीकार किया जो बिजली हीराकुंड बांध से दी जाती है इंडियन अल्मूनियम कम्पनी को उसकी दर १२० रुपये प्रति किलोवाट सालाना पड़ती है और वह रेट दस साल के बाद १२० रु० से बढ़ कर १३५ रुपये हो जायगा। केरल सरकार ने एक एकरारनामे से जो सरकार तथा अल्मूनियम प्रोडेक्शन कम्पनी आफ इंडिया के साथ हुआ है उसमें बिजली की दर १०५ रुपये प्रति किलोवाट सालाना रखी गई है। बिड़ला जी को हमने जो बिजली दी है ,जैसा कि आंकड़े सिद्ध करते हैं हमें १७५ रुपये फी किलोवाट सालाना बिजली का खर्चा देना पड़ेगा और हमने बिजली की दर १७५ रुपये प्रति किलोवाट रखी है। तो इस प्रकार से बार बार इसकी चर्चा करना ठीक नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में उद्योग धंधे लगें और बिजली व्यय करना चाहते हैं तो उद्योग धंधे लगाने के लिये बिड़ला जी से जिस दर पर बिजली देना तय किया है वह हमने कौन सा पाप किया है? कहां हमने पूंजीपति सरकार का दृष्टिकोण अपने सामने रखा है? केरल की सरकार अपने यहां बिजली की दर अल्मूनियम कम्पनी से १०५ रुपये प्रति किलोवाट चार्ज करती है जो सरकार किसानों और मजदूरों की कही जाती है और यह सरकार जो बिजली की दर बिड़ला जी से १७५ रुपये प्रति किलोवाट चार्ज करती है तो यह पूंजीपति सरकार हो गई और उनकी सरकार किसानों और मजदूरों की सरकार हो गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से असंतुलित ढंग से आलोचना करने से हमारा काम नहीं बनता।

अगर हमें अपने प्रदेश की तरक्की करनी है तो हमें ऐसे उद्योग धंधे लगाने हैं जिससे हमारे प्रदेश का भला हो। आप अच्छी तरह से यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश में मिनरल रिसोर्सेज नहीं हैं। हमने एक अल्मूनियम का कारखाना लगा दिया है। अगर वह उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है तो वह बहुत से उद्योग धंधों को पनपाने में सहायक हो सकता है। वह कारखाना दूसरे प्रदेशों में लग सकता था और जितनी क़ीमत में हमने बिड़ला जी को बिजली दी है कदाचित उससे कम कीमत पर वह पा सकते थे क्योंकि हर प्रदेश इस होड़ में है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे उस प्रदेश में लगें और बढ़ें। अगर बिड़ला जी के साथ हमने अपने प्रदेश के फायदे के लिये बिजली का दाम तय कर लिया तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने प्रदेश के और किसानों के साथ कोई बुराई नहीं की है। हम किसानों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं क्योंकि किसान जिस संख्या में खेती में लगे हुए हैं हम चाहते हैं कि किसानों को जहां खेती के रोजगार में बराबर साल भर काम नहीं मिलता है, वह अपने ध्यान को बदलें और वहां से जो संख्या है खेती पर लगी हुई, उसमें थोड़ी कमी दिखाई दे, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना और आगे आने वाली योजनाओं में यही हमारा दृष्टिकोण है कि महज खेती पर लगे रहने से हमारा प्रदेश बहुत सारी समस्याओं को सुलझा नहीं सकेगा। यदि हम प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो उद्योग धंधों को विकसित करना चाहिए और बड़े उद्योग धंधों को लगाने का भी प्रयास करना चाहिए क्योंकि उनके सहयोग से छोटे छोटे उद्योग धंधे पनप सकते हैं। तमाम सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज हमारे बीच में कायम हो सकती हैं। हमारे आंकड़े कोट किये जाते हैं और हमारे ऊपर आरोप किया जाता है ,जो आंकड़े हम स्वयं माननीय सदस्यों के सामने रख देते हैं कि हमारी यह कमियां और कमजोरियां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रही हैं, प्रथम पंच वर्षीय योजना में रही हैं, उनको रखने से काम बनता नहीं।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

हम भी जानते हैं कि बिजली के उत्पादन में हम पिछड़ गये हैं। उसी कमी को दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ५०२ करोड़ की योजना के अन्तर्गत १०७.९५ करोड़ रुपया उसमें व्यय करने जा रहे हैं। यह एक बड़ी भारी रकम है अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में, जहां इस क्षेत्र में अधिक प्रगति हुई है। यह काफी लम्बा चौड़ा आंकड़ा है। प्लानिंग कमीशन ने हमारी कमियों, खामियों और अविकसित अवस्था को ध्यान में रखते हुये, इतनी लम्बी रकम हमारे लिये स्वीकार की है। तो यह हमारी कोशिश से ही तो हुआ है और उन आंकड़ों को रखने से ही तो हुआ है जिन आंकड़ों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और जिनको हमने उन माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया था, जिनको हमने पार्लियामेंट से बुलाया था और जिनके सामने अपने पिछड़ेपन को रखा था। उन आंकड़ों को दोहराने की आवश्यकता नहीं। अगर हम अपने पिछड़ेपन को स्वीकार न करें तो हम से शिकायत कर सकते हैं। अगर हम शेखी मारें कि हमने पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े लम्बे लम्बे कार्य कर लिये, तो शिकायत हो सकती है, यद्यपि बिजली के उत्पादन में उत्तरोत्तर हम प्रगति करते रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जैसा कि माननीय सदस्यों को भलीभांति पता है, उसके अन्त में २३६ मेगावाट बिजली हम पैदा करते थे। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में हम २९६ मेगावाट बिजली पैदा करने लगे, यानी ६० मेगावाट बिजली हमने बढ़ाई। यह ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसको सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हमें भी शर्म आती है। जिस क्षेत्र में हमें तेजी से कार्य करना चाहिये था उस क्षेत्र में हम बहुत सी दिक्कतों के कारण तेजी से कार्य नहीं कर पाये। यह हमारी कमजोरी और कमी रही है, लेकिन आज जो तृतीय पंचवर्षीय योजना हमने तैयार की है, और जिस योजना को तैयार करने में हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने मेहनत से कार्य किया है और दूरदर्शिता का परिचय दिया है उनके लिये आज हम यह कहने बैठ जायें कि वे हमारे अधिकारी निकम्मे हैं, पावर प्रोडक्शन के सम्बन्ध में प्रदेश को पीछे ले जाने वाले हैं, यह बात न्याय संगत नहीं होगी। हमारा जो एनर्जी कंसिटी बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो इन समस्याओं को सुलझाने में अपना समय दे रहे हैं और समय दे कर उत्तर प्रदेश की समस्याओं को सुलझा कर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आज उनकी शिकायत नहीं करता और न उनकी शिकायत कर सकता हूं। मैं उनके कार्य से स्वतः प्रसन्न हूं कि वे अपना ध्यान इस तरफ दे रहे हैं। जिस जल्दी के कारण हम अपना ध्यान उस तरफ नहीं दे पाये वे उस तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिसको हम पूरा करना चाहते हैं वे आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि उत्तरोत्तर हम प्रगति के मार्ग पर चलना चाहते हैं।

जहां तक बिजली की पैदावार का सम्बन्ध है, हमने १७५ करोड़ रुपये की योजना प्लानिंग कमीशन के सामने रखी थी परन्तु बहुत से कारणों से वह पूरी की पूरी स्वीकार नहीं हुई लेकिन जितनी मात्रा में भी वह योजना स्वीकार हुई है वह अवश्य हम आगे उस दिशा में ले जाने वाली है जिसको हम पूरा करने पर अधिक उद्योग धंधों की तरफ प्रदेश में ध्यान दे सकें। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जितनी मात्रा में बिजली की आवश्यकता है कम से कम हम उस पूरी मांग को पूरा नहीं कर सकेंगे। यदि हम सारी योजनायें जो कि हमने बना रखी हैं, जो हमारी कल्पनायें हैं, यदि उनको हम पूरा भी कर लें तब भी हमारे पास बिजली तीसरी योजना में कम ही रहेगी। इस लिये हमने तीसरी योजना में इस बात को भी रखा है कि हम चौथी योजना में किन किन योजनाओं को लेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही उनके इन्वेस्टीगेशन के लिये हम धन व्यय करेंगे। अभी तक हम इस कार्य को नहीं करते रहे हैं। अभी तक हमारा इन्वेस्टीगेशन का कार्य आगे आने वाली योजनाओं के संबंध में उस तत्परता के साथ तैयार नहीं किया गया है जिस तत्परता से हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में काम करना चाहते हैं। यदि माननीय सदस्यों ने आंकड़ों का अध्ययन किया होगा तो उन्हें पता होगा कि करीब १ करोड़ २० लाख रुपया हमने चौथी पंचवर्षीय योजना में किन किन योजनाओं को कार्यान्वित किया जायगा, उनके इन्वेस्टीगेशन के लिये, उनके प्रोजेक्ट बनाने के सम्बन्ध में रखा है। तो क्या यह धनराशि इस बात को सिद्ध नहीं करती है कि हम उत्तरोत्तर प्रगति की

ओर जाना चाहते हैं ? हम उत्तरोत्तर प्रगति के कार्य करना चाहते हैं जिससे बिजली की पैदावार बढ़ा कर अपने प्रदेश में उद्योग धंधों को पनपाया जा सके और साथ ही ट्यूबवेल्स के लिये, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये, उचित मात्रा में बिजली दी जा सके। क्या यह बात किसी से छिपी है कि पिछले वर्ष हम ट्यूबवेल्स को २४ घंटे तक नहीं चला पाये ? कहीं हमने ८ घंटे उनको चलाया है और कहीं ७ घंटे चलाया है। सब को हम बिजली पूरी मात्रा में नहीं दे पाये हैं। उसके कारण हमारे यहां खाद्यान्न के उत्पादन में दिक्कत हुई है। हम खेतों को पानी भी उतनी मात्रा में नहीं दे पाये हैं जितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता थी। यह सब बातें हमारी कमियों को सिद्ध करती हैं। वे हमारी कमियां हैं। उनसे हम भागते नहीं हैं। उनका मुकाबला करना चाहते हैं। उनके ऊपर विजय पाकर ,सफलता पाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह हमारी सारी नीति है और इस नीति के तहत में हम कार्य करना चाहते हैं।

कई सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि हम प्राइवेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते हैं। जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, जैसा मैंने अभी बतलाया कि साधनों की कमी के कारण बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ सका तो आज उन तमाम बिजली के कारखानों को जहां पर बिजली पैदा होती है, राष्ट्रीयकरण करने के लिये मुआवजे की धनराशि कहां से दी जायगी ? जब रुपये की कमी है तो पहले अधिक से अधिक उनके द्वारा बिजली पैदा करनी चाहिये और जहां तक ऐसी एजेन्सी हैं जो बिजली हम से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं उनको राष्ट्रीयकरण करने की योजना हमारी उत्तरोत्तर है। ज्यों ज्यों उनका समय बीतता जाता है उनको लेने की हम चेष्टा करते हैं। बार बार जब यह राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठता है तो हमारी नजर से वह एक बात को ओझल कर देता है और वह यह है कि जब साधनों की कमी है और हमें दूसरों के सामने साधन जुटाने के लिये हाथ पसारना पड़ता है तो दूरदर्शिता का तकाजा यह है कि जिन साधनों द्वारा हम बिजली पैदा करवा सकते हैं उनका सहयोग लेकर हमें अधिक बिजली पैदा करानी चाहिये और फिर जब अधिक मात्रा में बिजली पैदा हो जायगी तो राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न हमारे सामने आयेगा। उस समय उसके लिये हमारे पास साधन उपलब्ध रहेंगे और उसमें अधिक दिक्कत नहीं पड़ेगी। सब से पहले हमारे पास साधन होने चाहिये और इसी दिशा में हम कार्य करना चाहते हैं।

कई बातें कर्मचारियों के सिलसिले में कही गयीं कि जो कर्मचारी एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चले गये हैं उनको अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है। अभी तक वह उसी तरह से कार्य करते हैं जैसे कि सरकार में काम करते थे। जब सब सारी योजनायें पूरी तरह से पूरी होने लगेंगी और जो घाटा हम उठाते जा रहे हैं वह हम बचत के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे तब वे लोग जो उन योजनाओं में काम कर रहे हैं अवश्य स्थायी किये जायंगे और यह एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वह उन कर्मचारियों के स्थायीकरण की ओर ध्यान दे।

हम, जैसा मैंने बतलाया, चौथी योजना के अन्तर्गत जो कार्य करना चाहते हैं, उसके सिलसिले में थोड़ी मात्रा में विचार हुआ है। तृतीय योजना में हम क्या-क्या कार्य करेंगे और किस क्षेत्र में अधिक बिजली पैदा करने की कोशिश की जायगी इस पर विचार हुआ है। मेरे पास करीब ९ प्रोजेक्ट हैं जो इस प्रकार हैं—एक तपोवन गुलाबकोटि हाइड्रो एलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसमें ११२ हजार किलोवाट, दूसरा उतासू इरिगेशन कम हाइडिल प्रोजेक्ट, जिसमें २ लाख किलोवाट, तीसरा डोबरा इरिगेशन कम हाइडिल प्रोजेक्ट जिसमें ३ लाख किलोवाट, चौथा कोटीभिल इरिगेशन कम हाइडिल प्रोजेक्ट जिसमें ६ लाख किलोवाट, पांचवां किशू इरिगेशन कम हाइडिल प्रोजेक्ट जिसमें २ लाख १५ हजार किलोवाट, छठां राजघाट इरिगेशन कम हाइडिल प्रोजेक्ट जिसमें ४८ हजार किलोवाट, सातवां धुरकारा हाइडिल प्रोजेक्ट जिसमें ३६ हजार किलोवाट, आठवां केन इरिगेशन कम हाइडिल प्रोजेक्ट जिसमें १०५ हजार किलोवाट और नवां ब्रमदेव इरिगेशन कम हाइडिल प्रोजेक्ट है जिसमें ४७५ हजार किलोवाट बिजली पैदा की जायगी। कहने का तात्पर्य

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

यह है कि हम एक ऐसी योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं जिसमें उत्तरोत्तर सफल हो कर, अधिक साधन मुहैया करके हम प्रदेश को चौथी या पांचवीं योजना में ऐसा बना देंगे जिसमें प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंच सकेगी, और जब वह बिजली गांवों में पहुंच जायगी तो जो उत्तर प्रदेश आज कमियों से, खामियों से, कमजोरियों से घिरा हुआ है, वह ऊंचा उठेगा और जो कथित किसानों के हिमायती हैं उनको यह कहने का अवसर नहीं मिलेगा कि यह सरकार किसानों की दशा को सुधारने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। किसी योजना को बनाते समय हमें किसी न किसी योजना को प्राथमिकता देकर उसे सम्पन्न करना होगा और यही योजना का मूल मन्त्र है। इसी के तहत में यह सरकार कार्य कर रही है, भले ही सरकार ने पिछले दस वर्ष गवां दिये हों और मैंने जगह जगह यह स्वीकार भी किया है कि जो दस वर्ष यूं ही व्यतीत हो गये हैं उनमें हमें बिजली के उत्पादन में ज्यादा ध्यान देना चाहिये था, लेकिन क्या हम पिछली कमियों की तरफ ही ध्यान देते रहेंगे, क्या उनका ही रोना रोते रहेंगे ? हमें तो अधिक बिजली का उत्पादन करना है, आगे बढ़ना है और यह तभी हो सकेगा जब कि यह सरकारी कर्मचारी और एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने कर्तव्यों की ओर और अधिक ध्यान दें और पूरा-पूरा सहयोग प्रदान कर कार्य अधिक जोरों से करें। हमें पूरी आशा है कि हमारे इंजीनियर्स और चेयरमैन एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तथा अधिकारीगण, जो इस उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जिन्हें अपने बच्चों का ख्याल है, वे उत्तर प्रदेश की सेवा करने को तैयार अवश्य होंगे। तो आज वे जिस तरह सेवा कार्य में लगे हुये हैं और जिस तरह के कार्य को वे अपनाते हैं उसकी हमें सराहना करनी चाहिये और उनका अध्ययन करना चाहिये ताकि जो हमारी योजनायें हैं वे सफल हो सकें। मैं अधिक समय न लेता हुआ यही निवेदन करूंगा कि यहां केवल यही घोषणायें करने से कि यह पंजीपतियों की सरकार है, यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, इस तरह की गलत और वास्तविकता से परे बातों को कहने से हमारा काम चलने वाला नहीं है और इस तरह की बातों को रखना सदन की परम्परा के भी विरुद्ध है। हमें इस प्रकार की असत्य बातें सदन के सामने प्रस्तुत नहीं करनी चाहियें, ऐसा करने से हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि जो अनुदान सदन के सामने पेश है सदन उसको स्वीकार करने की कृपा करे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, जब माननीय मुख्य मंत्री यहां नहीं थे उस समय मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न पूछा था और माननीय उप मंत्री जी ने कहा था कि वे बाद को उसकी सूचना देंगे। तो वे उस को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--इसमें जो दी गई व्यवस्था है उसमें यह कर्मचारी ट्रेजरी से लिये जायेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रुपया ट्रेजरी में जमा कर देगा। वह लोग ट्रेजरी से लेंगे, उस की व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह तो बताया कि केरल में वहां की सरकार उनको १०५ या जो कुछ हो, उस दर पर बिजली देने को तैयार थी, मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि वहां पर कास्ट आफ प्रोडक्शन कितना है ? यह भी मुख्य मन्त्री जी जरा स्पष्ट कर दें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे पास जो आंकड़े हैं, उसको कैलकुलेट किया, मैं उसे बता देता हूं। यह जो पिपरी स्टेशन है उसका खर्चा ३१ करोड़ ९५ लाख २४ रुपये का अनुमान किया गया है। उस खर्चे के आधार पर बिजली उत्पन्न करने का खर्चा लगभग १७५ रुपये फी किलोवाट है। मेरे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं हैं, यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मालूम करके बता दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय उप मंत्री जी ने बताया कि वे ट्रेजरी से ड्रा कर सकते हैं, वहां से कोई रुपया ड्रा नहीं हो सकता है जब तक कि उसके लिये बजट में कोई प्राविधान न किया गया हो, वह तो रिइम्बर्समेंट होता है। तो इसको स्पष्ट करेंगे माननीय उप मंत्री जी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---उसमें लोन्स एन्ड ग्रान्ट्स के अन्तर्गत १० करोड़ रुपया है, उसी से वह ले लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---सदन को १५ मिनट का समय बढ़ाने का अधिकार है, इसलिये जब तक मैं इन पर मत नहीं ले लेता सदन तब तक बैठेगा।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २६ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६---विद्युत् योजनायें अधिष्ठान के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १,८८,३२,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५० के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है।

विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०---विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ६,४५,८९,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२५ अप्रैल, १९६१

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर नीचे पृष्ठ २५३ पर)

क्रम-संख्या	नाम	लम्बाई मील	लम्बाई फर्लांग	लागत (रुपयों में)
१	पटाछ्ल नाल ड्रेन	..	..	११	६	१०५,०००
२	डाहो नाल ड्रेन	..	..	९	४	६०,०००
३	बसन्ती नाला ड्रेन	..	..	६	०	२४,०००
४	छोटे सरजू ड्रेन	..	..	२५	०	८,००,०००
५	पारी नाला ड्रेन	..	..	११	०	४५,०००
६	अलाई नाला ड्रेन	..	..	१२	०	४५,०००
७	सुकसई नदी ड्रेन	..	..	११	४	४०,०००
८	रसूलपुर नाल ड्रेन	..	..	९	०	४०,०००
९	बंगईपुर ड्रेन	..	..	९	०	२५,०००
१०	तहवरपुर ड्रेन	..	..	१०	०	४०,०००
११	पारी पुर नहरपार ड्रेन	..	..	४	४	१५,०००

कार्यालय सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०—११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

ईस्ट वेहगुल जलाशय की रूपरेखा

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुमानतः ५९,००,००० रुपये की लागत से ईस्ट वेहगुल जलाशय तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल में बनाने की योजना है। यह जलाशय ६ मील १ फर्लांग लम्बे कच्चे बांध के निर्माण से बनेगा। इस बांध की अधिकतम ऊंचाई २८ फीट है। इस जलाशय के निर्माण से ८२०० एकड़ भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है तथा ३४ ग्रामों में २५००० एकड़ भूमि की बाढ़ से रक्षा हो सकेगी। इस जलाशय का निर्माण पूर्ण हो जाने पर १८०४ टन अतिरिक्त उपज पैदा होने की आशा की जाती है। इस योजना का निर्माण कार्य १९६३—६४ में आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

तहसील खटीमा में निम्नलिखित योजनाओं से सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है—

१—लोहिया कैनाल

२—गोंडा खाली

३—त्रस्तिया

४—पुजिया माइनर

इसके अतिरिक्त चान्दनी व टनकपुर में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल आर्गनाइजेशन (भारत सरकार) द्वारा दो नलकूप बनाये गये हैं जिनसे १३२९ एकड़ भूमि में सिंचाई की जा सकती है।

२—तहसील सितारगंज में लालहर नहर से २३९२ एकड़ और अपर वेहगुल नहर से ७३६२ एकड़ भूमि को सिंचाई के लिये व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त कटना नहर को बढ़ाने की योजना है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७० पर)

तालिका

मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को मत्स्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण

१---मत्स्यजीवी सहकारी समितियों को विभागीय जलाशय पिछले तीन वर्ष की औसत आय पर पांच वर्ष तक के लिये पट्टे पर दिये जाते हैं। वार्षिक लगान तीन वर्ष बाद फिर से तै किया जाता है किन्तु यह प्रथम तीन वर्षों में दिये गये लगान से कम नहीं हो सकता।

२---मछली के बच्चे ४ रु० प्रति हजार की रियायती दर पर दिये जाते हैं और उन्हें विभागीय परिवहन द्वारा ले जाये जाने पर उनके यातायात में प्राथमिकता दी जाती है।

३---विभागीय तालाबों के नीलाम के समय जो सबसे ऊंची बोली आती है। यदि समितियां उतनी ही बोली पर तालाब लेना चाहें तो समितियों को प्राथमिकता दी जाती है।

४---मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी में समितियों द्वारा भेजे गये अभ्यर्थियों को अन्य मछुवों के साथ मत्स्य पालन एवं तत्सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षण काल में ५० रु० मासिक छात्र-वृत्ति भी दी जाती है।

५---विभागीय जाल, नावें और मोटरगाड़ियां उचित किराये पर दी जाती हैं।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७२ पर)

तालिका (क)

जिला गोंडा में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत जलाशयों का विवरण

क—झीलों के नाम

क्रम-संख्या	नाम	स्थान	क्षेत्रफल (एकड़ में)
१	कोंडर	तहसील तरबगंज	३७५.९०
२	अरगा	.. ,, ,,	८००.००
३	पारवती	.. ,, ,,	१६००.००
४	नौखान	.. ,, ,,	३००.००
५	पथरी	.. ,, ,,	१००.००
		योग	३१७५.९०

ख—तालाबों के नाम

१	भेरमपुर	.. तहसील उतरौला	७३.६९
२	करउगढ़	.. ,, ,,	२५९.३८
३	चतरपारा कनुहा	.. ,, ,,	
४	चतरपारा नौखारा	.. ,, ,,	१६८.२०
५	बरहवा कोट	.. ,, ,,	११५.८९
६	माधोपुर	.. ,, ,,	२५.५०
७	बरैल	.. ,, ,,	५०.००
८	तिलहर	.. ,, ,,	१०.००
९	बघनावा	.. ,, बलरामपुर	१००.००
१०	ककरा	.. ,, ,,	१००.००
११	बट्टा	.. ,, तरबगंज	५.२०
१२	पारसपुर	.. ,, ,,	४.००
१३	गिलौली	.. ,, मोंडा	२.०६
		योग	९१३.९१

विधान सभा प्रतिवेदन

सम्वर्द्धनियों (नरसरीज) के नाम

क्रम-संख्या	नाम	स्थान	क्षेत्रफल (एकड़ में)
१	पुरैनिया	.. तहसील बलरामपुर	२.६०
२	मेवालाल	.. ,, ,,	२.०६
३	पजावा	.. ,, ,,	९.९०
४	गुबरहिया	.. ,, ,,	२.०६
५	सिरसिया	.. ,, ,,	१.७०
६	मरहा	.. तरबगंज	६.००
७	चौबेपुर	.. ,, ,,	०.७५
८	मोहनिया	.. ,, ,,	१.००
९	कोहरगढ़ी	.. ,, ,,	१.५०
१०	मुहम्मद वसीम	.. ,, बलरामपुर	१.००
११	लमटी	.. ,, तरबगंज	०.७५
१२	खेमपुर	.. ,, ,,	१.५०
१३	राधाकुन्ड	.. ,, गोंडा	१.००
		योग	३१.८२

तालिका (ख)

जिला गोंडा में स्थित मत्स्य विभाग के कर्मचारियों का विवरण

क्रम-संख्या	पद	संख्या	वेतन क्रम
			रु०
१	फिशरीज इंस्पेक्टर	१	१२०—२५०
२	फिशरीज डेवलपमेन्ट सुपरवाइजर ..	२	७५—१२०
३	असिस्टेन्ट फिशरीज वार्डन	१	४५—१००
४	फिशरमैन	६	३०—६५
५	चपरासी	१	२७—३२
६	चौकीदार	१	२७—३२
७	क्लीनर	१	२७—३२
८	ड्राइवर ..	१	२७—३२
	कुल संख्या	१४	

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर)

प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर में कथित सूची

क्रम संख्या	नलकूप व ग्रुप संख्या		बनाई गई पक्की गूलों की लम्बाई			पक्की गूल न बनाये जाने के कारण
			मील	फर्लांग	फीट	
१	१	जलाला-बाद	१	१	२३५	—
२	२	—	०	६	१०९	—
३	३	—	०	५	३३०	—
४	४	—	०	६	३३०	—
५	५	—	०	४	०	—
६	७	—	०	५	३३०	—
७	१०	—	०	४	०	—
८	११	—	०	६	०	—
९	६	—	०	०	०	भूमि अधिकृत न होने के कारण
१०	८	—	०	०	०	
११	९	—	०	०	०	
१२	१२	—	०	०	०	
१३	१३	—	०	०	०	
१४	१४	—	०	०	०	
१५	१५	—	०	०	०	
१६	१६	—	०	०	०	
१७	१७	—	०	०	०	

संसद सदस्य पदेश्वर सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७९ पर)

गांवों की सूची

१---बसन्तपुर
२---मधनगर
३---पिपरहवा
४---मेसावा
५---विजयनगर
६---धवल
७---मानपुर
८---सोनपुर
९---संग्रामपुर
१०---लालपुर
११---मनकापुर
१२---रजदरवा
१३---बजरिया
१४---सगाव
१५---बानगढ़
१६---आदमतारा
१७---लखौरा
१८---नवस्ता
१९---मदरहवा
२०---बिमिहा
२१---गनवरिया
२२---समरहनान
२३---औनरेहवा
२४---समेहती
२५---भगवानपुर
२६---रमवापुर
२७---तिकहना
२८---सकरीकुला
२९---छपिया
३०---मदरहिया
३१---मालदह
३२---सकलदह
३३---अचकवापुर
३४---लाल मरिया
३५---नरायनपुर
३६---पंचपेड़वा
३७---उदईपुर
३८---हरनहवा परसिया
३९---सिरसियहवा
४०---बरमदवा सेफ
४१---बरगांव
४२---नरायनपुर घटवा
४३---मोती नगर
४४---बरगदवा कला
४५---तिलकनीरा
४६---सिसलुनिया
४७---मगौर
४८---विशुनपुर कुनटुनवा
४९---रामनगर
५०---मोतीपुर हुहुवा
५१---हरैया
५२---चन्द्रसी
५३---रतनपुर
५४---मटहर
५५---लक्ष्मीनगर
५६---डुमरी
५७---चनकापुर कलां
५८---खालादेई

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ७१ एल० ए०---१९६१-८४५ ।